आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल
का
संविधान अधिनियम

अनुवादक
भगवतीप्रसाद राय

सत्यमेव जयते

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मन्त्रालय,
भारत सरकार की मानक ग्रन्थ योजना के
अंतर्गत प्रकाशित

© भारत सरकार
प्रथम संस्करण 1965

प्रस्तुत पुस्तक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की मानक ग्रंथ योजना के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के शतप्रतिशत अनुदान से प्रकाशित हुई है।

295441

344-H
34

मूल्य : दो रुपए पचीस पैसे

प्रकाशक : **हिन्दी प्रकाशन समिति**
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

मुद्रक : **लक्ष्मीदास**
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी प्रेस, वाराणसी–5

प्रस्तावना

हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि इनमें उच्च कोटि के प्रामाणिक ग्रंथ अधिक से अधिक संख्या में तैयार किए जाएँ। भारत सरकार ने यह कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के हाथ में सौंपा है और उसने इसे बड़े पैमाने पर करने की योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रंथ भी लिखाए जा रहे हैं। यह काम अधिकतर राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा प्रकाशकों की सहायता से प्रारम्भ किया गया है। कुछ अनुवाद और प्रकाशन-कार्य आयोग स्वयं अपने अधीन भी करवा रहा है। प्रसिद्ध विद्वान और अध्यापक हमें इस योजना में सहयोग दे रहे हैं। अनूदित और नए साहित्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शब्दावली का ही प्रयोग किया जा रहा है ताकि भारत की सभी शिक्षा संस्थाओं में एक ही पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके।

'आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल का संविधान अधिनियम' नामक पुस्तक हिन्दी प्रकाशन समिति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इसके अनुवादक श्री भगवतीप्रसाद राय हैं। आशा है कि भारत सरकार द्वारा मानक ग्रंथों के प्रकाशन संबंधी इस प्रयास का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जाएगा।

निहालकरण सेठी

अध्यक्ष

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

ALLAHABAD

प्रकाशकीय

8 अगस्त सन् 1963 ई० को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रकाशन समिति की स्थापना हुई। समिति के तत्वावधान में मानक ग्रंथों का अनुवाद और कुछ विषयों पर मौलिक ग्रंथों का प्रणयन निश्चित किया गया। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से अन्य मानक ग्रंथों सहित घाना, जापान, स्विटजरलैंड, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, ब्रिटिश-नार्थ अमेरिका एक्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस आदि के संविधान अनुवाद के लिए सौंपे गए। समिति ने इनका अनुवाद विश्वविद्यालय के अनुभवी अध्यापकों से कराया है। 'आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल का संविधान अधिनियम' योजना की चौथी पुस्तक है। इसका अनुवाद करते समय भारत सरकार की ओर से प्रकाशित पारिभाषिक शब्दावली का पूरा उपयोग किया गया है। भाषा सरल तथा औपचारिक रखी गई है। संविधान की अधिकांश शब्दावली पारिभाषिक होती है, उसके प्रत्येक शब्द का निश्चित अर्थ होता है, इसलिए विषय सुस्पष्ट बनाने के लिए भाषा में यथासम्भव पर्यायों के प्रयोग से बचने का प्रयास किया गया है। यथा-अवसर संविधान के मिश्र या संयुक्त वाक्य हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल छोटे वाक्यों में रखे गए हैं।

अंग्रेजी भाषा में बने इस संविधान का हिन्दी भाषा में अनुवाद करते समय यह ध्यान रखा गया है कि आस्ट्रेलिया के शिष्टाचार तथा संस्कृति मूलक प्रयोग विशेष परिवर्तित न हों। जैसे Queen's Most Excellent Majesty (परमश्रेष्ठ महिमामयी महारानी), Lords Spiritual and Temporal (धर्म और लौक लॉर्ड) आदि।

इस कार्य के लिए पूरी आर्थिक सहायता भारत सरकार से मिली है। इस अनुदान तथा प्रोत्साहन के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की हिन्दी प्रकाशन समिति वज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ है। अनुवादक ने बड़े परिश्रम से इसका अनुवाद किया है। उनका कार्य प्रशंसनीय है और वे समिति की ओर से बधाई के पात्र हैं। प्रकाशन-कार्य में मैनेजर, बी० एच्० यू० प्रेस, का सहयोग पूर्णरूप से प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें अपनी ओर से तथा समिति की ओर से धन्यवाद देता हूँ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी–5

नन्दलाल सिंह
निदेशक, हिन्दी प्रकाशन समिति

विषय-सूची

				पृष्ठ
1.	संविधान*	...	...	1– 52
2.	अनुसूची	...	...	53
3.	वेस्टमिंस्टर अभिग्रहण अधिनियम 1942 की संविधि			54– 60
4.	अनुक्रमणी†	...	...	61–134
5.	शब्दावली	...	...	135–144

---

*आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल के संविधान अधिनियम के इस मुद्रण में संविधान परिवर्तन (सीनेट निर्वाचन) 1906 (1907 के पहले) द्वारा, संविधान परिवर्तन (राज्य ऋण) 1909 (1910 के तीसरे) द्वारा, संविधान परिवर्तन (राज्य ऋण) 1928 (1929 के पहले) द्वारा, और संविधान परिवर्तन (सामाजिक सेवाएँ) 1946 (1946 के इक्काइसवें) द्वारा किए गए परिवर्तन; तथा वेस्टमिंस्टर अभिग्रहण अधिनियम 1942 (1942 के छप्पनवें) की संविधि; एवं अनुक्रमणी सम्मिलित है।

†टिप्पणी: – अनुक्रमणी में शब्दों के पहले या बाद में शून्य (जैसे संसद का° (पृष्ठ 127) दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि "संसद का" के बाद ऊपर का शीर्षक **सत्रावसान** भी पढ़ना चाहिए (अर्थात् संसद का सत्रावसान)। इसी प्रकार कुछ पंक्तियाँ ऊपर की पंक्तियों से कुछ स्थान छोड़कर छापी गई है। उनके साथ ऊपरी पंक्ति का संगत अंश मिलाकर पढ़ना चाहिए।

आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल
का
संविधान अधिनियम

(अध्याय 12, विक्टोरिया 63 और 64)

आस्ट्रेलिया का राष्ट्रमण्डल संगठित करने के लिए एक अधिनियम

(9 जुलाई, 1900)

जब कि न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिणी आस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और तस्मानिया की जनता सर्वशक्तिमान ईश्वर के वरदान पर सविनय विश्वास करते हुए ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्तराज (United Kingdom) के क्राउन (Crown) के अधीन और एतत् द्वारा संस्थापित संविधान के अधीन एक अविलेय (indissoluble) संघीय राष्ट्रमंडल में संगठित होने के लिए सहमत है :

और जब कि दूसरे आस्ट्रेलेशियाई उपनिवेशों (colonies) और महारानी की आस्तियों (possessions) के राष्ट्रमण्डल में प्रवेश के लिए उपबन्ध इष्टकर है :

इसलिए यह परमश्रेष्ठ महिमामयी महारानी (Queen's Most Excellent Majesty) द्वारा, प्रस्तुत संसद में समवेत, और उस के प्राधिकार से, धर्म और लौक लॉर्ड (Lords Spiritual and Temporal) और लोक सभासदों (Commons) की सहमति से और सलाह (advice) सहित निम्न रूप में अधिनियमित हो :

संक्षिप्त शीर्षक

1. यह अधिनियम "आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल का संविधान अधिनियम" शीर्षक से उद्धृत किया जाएगा।

महारानी के उत्तराधिकारियों तक विस्तरण के लिए अधिनियम

2. महारानी को निर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबन्ध संयुक्तराज की प्रभुसत्ता में महारानी के दायादों (heirs) और उत्तराधिकारियों तक विस्तृत होंगे।

राष्ट्रमण्डल की उद्घोषणा

3. प्रिवी कौंसिल की सलाह से उद्घोषणा[1] द्वारा यह घोषित करना महारानी के लिए विधिसम्मत होगा कि उसमें उल्लिखित किसी दिन से और उसके पश्चात्, जो यह अधिनियम पारित होने के बाद एक वर्ष से अनधिक हो, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिणी आस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और तस्मानिया की जनता तथा, यदि महिमामयी महारानी संतुष्ट हों कि पश्चिमी आस्ट्रेलिया की जनता भी उससे सहमत है तो, पश्चिमी आस्ट्रेलिया की जनता

---

[1] संविधान अधिनियम के इस मुद्रण के अन्तर्गत संविधान में पहली जनवरी, 1961 तक किए गए सभी परिवर्तन सम्मिलित हैं। वे अधिनियम जिन से संविधान परिवर्तित हुआ इस प्रकार हैं—संविधान परिवर्तन (सीनेट निर्वाचन) 1906 (3 अप्रैल 1907 को अनुमति प्राप्त); संविधान परिवर्तन (राज्य ऋण) 1909 (6 अगस्त, 1910 को अनुमति प्राप्त); संविधान परिवर्तन (राज्य ऋण) 1928 (13 फरवरी, 1929 को अनुमति प्राप्त); और संविधान परिवर्तन (सामाजिक सेवाएँ) 1946 (19 दिसम्बर, 1946 को अनुमति प्राप्त)।

उद्घोषणा में घोषित किया गया कि सन् एक हजार नौ सौ एक के जनवरी के पहले दिन या उसके पश्चात् न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिणी आस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, तस्मानिया और पश्चिमी आस्ट्रेलिया की जनता 'आस्ट्रेलिया का राष्ट्रमण्डल' संज्ञा से अभिहित एक संघीय राष्ट्रमण्डल में संगठित होनी चाहिए; देखिए गजट, 1901, पृष्ठ 1 और राष्ट्रमण्डल संविधीय नियम (Commonwealth Statutory Rules 1901-1956, जिल्द V, पृष्ठ 5300।

'आस्ट्रेलिया का राष्ट्रमण्डल' संज्ञा से अभिहित एक संघीय राष्ट्रमण्डल में संगठित होगी। लेकिन महारानी, उद्घोषणा के पश्चात् किसी समय, राष्ट्रमण्डल के लिए एक महाराज्यपाल (Governor General) नियुक्त कर सकती हैं।

अधिनियम का समारम्भ

4. राष्ट्रमण्डल स्थापित होगा, और राष्ट्रमण्डल का संविधान किसी उल्लिखित दिन से और उसके पश्चात् प्रभावकारी होगा। लेकिन यह अधिनियम पारित होने के पश्चात् किसी समय विभिन्न उपनिवेशों की संसदें कोई ऐसा कानून बना सकेंगी, जो किसी निश्चित दिन से कार्यशील होने के लिए हो, मानो उन्होंने यह अधिनियम पारित होने पर संविधान प्रभावकारी हो चुकने पर बनाया है।

संविधान और कानूनों का प्रवर्तन

5. किसी राज्य के कानून में किसी बात के होते, यह अधिनियम, और इस संविधान के अधीन राष्ट्रमण्डल की संसद द्वारा बने सभी कानून न्यायालयों, न्यायाधीशों और प्रत्येक राज्य और राष्ट्रमण्डल के प्रत्येक हिस्से की जनता पर बंधनकारी होंगे; और राष्ट्रमण्डल के कानून सभी ब्रिटिश नौयानों, युद्ध के लिए महारानी के नौयानों को छोड़कर, पर प्रवृत्त होंगे जिनकी पहली निकासी का पत्तन और जिनका गंतव्य पत्तन राष्ट्रमण्डल में स्थित है।*

परिभाषाएँ

6. "राष्ट्रमण्डल" का अर्थ इस अधिनियम के अधीन स्थापित आस्ट्रेलिया का राष्ट्रमण्डल है।

"राज्य" का अर्थ न्यू साउथ वेल्स, न्यूजीलैण्ड, क्वींसलैण्ड, तस्मानिया, विक्टोरिया, पश्चिमी आस्ट्रेलिया, और दक्षिणी आस्ट्रेलिया का उत्तरी भूक्षेत्र सम्मिलित कर दक्षिणी आस्ट्रेलिया के ऐसे उपनिवेश जो तत्कालीन राष्ट्रमण्डल के अंग हैं, और ऐसे उपनिवेश या भूक्षेत्र जो राष्ट्रमण्डल में अंतर्विष्ट किए जा सकते हैं या उसके द्वारा राज्य के रूप में स्थापित किए जा सकते हैं; और राष्ट्रमण्डल का ऐसा प्रत्येक हिस्सा "एक राज्य" कहा जाएगा।

---

* वेस्टमिंस्टर संविधि, 1931 के सेक्शन 3 से तुलना कीजिए।

"मौलिक राज्यों" (original states) से अभिप्राय ऐसे राज्यों से है जो राष्ट्रमण्डल की स्थापना के समय इसके अंग हैं।

संघीय परिषद् अधिनियम का निरसन

7. एतद्द्वारा आस्ट्रेलेशिया की संघीय परिषद् का अधियिनम, 1885, इस भाँति निरसित किया गया है कि वह आस्ट्रेलेशिया की संघीय परिषद् द्वारा पारित और राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर प्रवृत्त किसी कानून को अनुभावित नहीं करता है।

(विक्टो० 48और49 अध्याय60)

किसी राज्य के सम्बन्ध में कोई ऐसा कानून राष्ट्रमण्डल की संसद द्वारा, या किसी उपनिवेश के सम्बन्ध में, जो राज्य न हो, उसकी संसद द्वारा निरसित[1] किया जा सकता है।

औपनिवेशिक सीमा अधिनियम की प्रयुक्ति विक्टो० 58 और 57 अध्याय 34

8. यह अधिनियम पारित होने के पश्चात् औपनिवेशिक सीमा अधिनियम, 1895, किसी उपनिवेश पर, जो राष्ट्रमण्डल का राज्य हो गया है, नहीं लागू होगा; लेकिन इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राष्ट्रमण्डल एक स्वायत्त शासित उपनिवेश समझा जाएगा।

संविधान

9. राष्ट्रमण्डल का संविधान अधोलिखित भाँति विभाजित होगा :

संविधान

यह संविधान अधोलिखित भाँति बाँटा गया है :

अध्याय I—संसद (Parliament)

भाग I—साधारण

भाग II—सीनेट

भाग III—प्रतिनिधि-सदन

भाग IV—संसद के दोनों सदन

---

[1] अधोलिखित राष्ट्रमण्डल अधिनियमों द्वारा आस्ट्रेलेशिया की संघीय परिषद् द्वारा पारित अधिनियमों को निरसित किया गया है—

मुक्ता मत्स्य अधिनियम 1952-1953, सेक्शन 3।

प्रक्रिया का निष्पादन और तामील अधिनियम 1901-1958 सेक्शन 2।

भाग V—संसद की शक्तियाँ
अध्याय II—कार्यपालिका सरकार
अध्याय III—न्यायालय
अध्याय IV—वित्त और व्यापार
अध्याय V—राज्य
अध्याय VI—नए राज्य
अध्याय VII—विविध
अध्याय VIII—संविधान का परिवर्तन।
अनुसूची

अध्याय I

संसद

भाग I

साधारण

विधान शक्ति

1. राष्ट्रमण्डल की विधान शक्ति एक संघीय संसद में निहित होगी, जिसमें महारानी, एक सीनेट, और एक प्रतिनिधि-सदन होगा, और जिसे इसके पश्चात् "संसद" या "राष्ट्रमण्डल, की संसद" कहा गया है।

महाराज्य-पाल

2. महारानी द्वारा नियुक्त एक महाराज्यपाल राष्ट्रमण्डल में महिमामयी महारानी का प्रतिनिधि होगा, और राष्ट्रमण्डल में, महारानी की प्रसन्नता तक, इस संविधान के उपबन्ध में, महारानी की ऐसी शक्तियों और कृत्यों को प्राप्त और निष्पादित करेगा जिन्हें महिमामयी महारानी उसे सौंपने के लिए प्रसन्न हों।

महाराज्य-पाल का वेतन

3. राष्ट्रमण्डल की संचित राजस्व निधि (Consolidated Revenue fund) से महाराज्यपाल के वेतन के लिए एक वार्षिक राशि, जो, यदि संसद कोई दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, दस हजार पाउंड होगी, महारानी को देय होगी।

किसी महाराज्यपाल का वेतन उसके पद धारण काल में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

महाराज्य-पाल के संबंध में उपबंध

4. महाराज्यपाल से संबंधित इस संविधान के उपबंध तत्कालीन महाराज्यपाल या किसी ऐसे व्यक्ति तक, जिसे महारानी राष्ट्रमण्डल की सरकार प्रशासित करने के लिए नियुक्त करें, विस्तृत और लागू होंगे; लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रमण्डल की सरकार से राष्ट्रमंडल सरकार के अपने प्रशासन काल में किसी दूसरे पद के लिए राष्ट्रमण्डल से वेतन पाने का हकदार नहीं होगा।

5. महाराज्यपाल संसद का सत्र प्रारम्भ करने के लिए ऐसा समय नियुक्त कर सकता है जो उसे उपयुक्त मालूम हो, और समय-समय पर उद्घोषणा द्वारा या अन्य किसी ढंग से संसद का सत्रावसान कर सकता है, और उसी भाँति प्रतिनिधि-सदन को विघटित कर सकता है। **संसद के सत्र : सत्रावसान और विघटन**

किसी साधारण निर्वाचन के पश्चात् लेखों की वापसी के निमित्त नियुक्त दिन के बाद अधिक-से-अधिक तीस दिन के भीतर संसद उपवेशन के लिए आहूत की जाएगी। **संसद आहूत करना**

राष्ट्रमण्डल की स्थापना के पश्चात् अधिक-से-अधिक छः महीने के भीतर उपवेशन के लिए संसद आहूत की जाएगी। **पहला सत्र**

6. प्रत्येक वर्ष कम-से-कम एक बार संसद का एक सत्र होगा, ताकि एक सत्र में संसद के अंतिम उपवेशन और दूसरे सत्र के पहले उपवेशन के बीच बारह महीने का अन्तराक्षेप न हो। **संसद का वार्षिक सत्र**

भाग II

सीनेट

7. यदि संसद कोई दूसरा उपबन्ध नहीं करती है तो सीनेट का गठन प्रत्येक राज्य के लिए, एक निर्वाचक-मण्डल के रूप में राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से मतदान द्वारा निर्वाचित सीनेटरों द्वारा होगा। **सीनेट**

लेकिन जब तक राष्ट्रमण्डल की संसद दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, तब तक क्वींसलैंड राज्य की संसद, यदि वह एक मौलिक राज्य है, राज्य को प्रखण्डों (divisions) में विभाजित करते हुए और प्रत्येक प्रखण्ड के लिए चुने जाने वाले सीनेटरों की संख्या निर्धारित करते हुए कानून बना सकती है, परन्तु ऐसे उपबंध के अभाव में राज्य एक निर्वाचक-मण्डल होगा।

जब तक संसद दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, तब तक प्रत्येक मौलिक राज्य के लिए छः सीनेटर होंगे। संसद प्रत्येक राज्य के लिए सीनेटरों की संख्या में वृद्धि या ह्रास करते हुए इस प्रकार

कानून बना सकती है[1] जिससे प्रत्येक मौलिक राज्य का बराबर प्रतिनिधित्व बना रहे और किसी मौलिक राज्य के लिए छः सीनेटर से कम न हों।

सीनेटर छः वर्ष की अवधि के लिए चुने जाएँगे, और प्रत्येक राज्य के लिए चुने हुए सीनेटरों का नाम महाराज्यपाल की ओर से राज्यपाल द्वारा प्रमाणित होगा।

निर्वाचकों की अर्हता

8. प्रत्येक राज्य में सीनेटरों के निर्वाचकों की अर्हता वही होगी जो इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के निर्वाचकों के लिए अर्हता के रूप में निर्धारित है; लेकिन सीनेटरों के निर्वाचन पर प्रत्येक निर्वाचक केवल एक बार मत देगा।

सीनेटरों के निर्वाचन का तरीका

9. राष्ट्रमण्डल की संसद सीनेटर चुनने का तरीका निर्धारित करते हुए कानून बना सकती है, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए इस प्रकार निर्धारित तरीका एकसमान होना चाहिए। किसी ऐसे कानून के अधीन प्रत्येक राज्य की संसद उस राज्य के लिए सीनेटर चुनने का तरीका निर्धारित करते हुए कानून[2] बना सकती है।

---

[1] प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1948, सेक्शन 4 द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए सीनेटरों की संख्या बढ़ाकर दस कर दी गई है।

[2] सेक्शन 9 द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसरण में निम्नलिखित राज्य अधिनियम पारित किए गए हैं।

राज्य	संख्या	संक्षिप्त शीर्षक	कैसे अनुभावित हुए
न्यू साउथ वेल्स	नं० 73, 1900	संघीय निर्वाचन अधिनियम, 1900	नं० 9, 1903 द्वारा सेक्शन 2,3,4,5 और 6 तथा अनुसूची निरसित की गई; नं० 41, 1912 द्वारा पूर्णतः निरस्त।

किसी राज्य की संसद उस राज्य के लिए सीनेटरों के निर्वाचनों का समय और स्थान निश्चित करने के लिए कानून बना सकती है। **समय और स्थान**

न्यू साउथ वेल्स	नं० 9, 1903	सीनेटर निर्वाचन अधिनियम 1903,	नं० 75, 1912 द्वारा संशोधित
,, ,,	नं० 75, 1912	सीनेटर निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम 1912	—
विक्टोरिया	नं० 1715	संघीय निर्वाचन अधिनियम 1900	नं० 1860 द्वारा निरसित
,,	नं० 1860	सीनेट निर्वाचन (समय और स्थान) अधिनियम 1903	नं० 2723 द्वारा निरसित और पुनरधिनियमित
विक्टोरिया	न० 2723	सीनेट निर्वाचन (समय और स्थान) अधिनियम, 1915	नं० 3769 द्वारा निरसित और पुनरधिनियमित
विक्टोरिया	नं० 3769	सीनेट निर्वाचन (समय और स्थान) अधिनियम, 1928	नं० 6365 द्वारा निरसित और पुनरधिनियमित
विक्टोरिया	नं० 6365	सीनेट निर्वाचन अधिनियम, 1958	
क्वींसलैंड	नं० 25 विक्टो०64	राष्ट्रमण्डल की संसद के निर्वाचन अधिनियम और निर्वाचन अधिनियम 1885 से 1898 तक, 1900 का संशोधन अधिनियम	प्रवर्तन परिसमाप्त
,,	3 एडव VII नं० 6	सीनेटर निर्वाचन अधिनियम 1903	
दक्षिणी आस्ट्रेलिया	नं० 834	सीनेटर निर्वाचन अधिनियम, 1903	
पश्चिमी आस्ट्रेलिया	नं० 11, 1903	सीनेटर निर्वाचन अधिनियम 1903	नं० 27, 1912 द्वारा संशोधित

राज्य कानूनों की प्रयुक्ति

10. यदि संसद कोई दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, तो इस संविधान के उपबन्ध में राज्य की संसद के बहुसंख्यक (more-numerous) सदन के लिए निर्वाचनों से सम्बन्धित प्रत्येक राज्य में उस समय के लिए प्रवृत्त कानून, यथा निकट व्यवहार्य हो, उस राज्य के सीनेटरों के निर्वाचनों पर लागू होंगे।

सीनेटरों को चुनने में असफलता

11. सीनेट में अपने प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने में किसी राज्य की असफलता के होते, सीनेट अपना कार्य निबटाने के लिए अग्रसर हो सकता है।

लेख प्रचालन

12. किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के लिए सीनेटरों के निर्वाचन के लिए निकाले जानेवाले लेख तैयार करा सकता है। सीनेट के विघटन की स्थिति में इस प्रकार के विघटन की उद्घोषणा से दस दिन के भीतर लेख जारी किया जाएगा।

सीनेटरों का आवर्तन सन् 1907 के नं० 1 सेक्शन 2 द्वारा परिवर्तित

13. सीनेट की पहली बैठक के पश्चात् और सीनेट की प्रत्येक पहली बैठक के अनन्तर उसके विघटन के बाद, यथा शीघ्र व्यवहार्य हो, सीनेट प्रत्येक राज्य के लिए चुने हुए सीनेटरों को यथा निकट व्यवहार्य बराबर संख्या वाली दो श्रेणियों में विभक्त करेगा; और पहली श्रेणी के सीनेटरों के स्थान उनकी सेवा-अवधि से लगाकर तीन वर्ष की समाप्ति पर रिक्त हो जाएँगे, और दूसरी श्रेणी के सीनेटरों के स्थान छः वर्ष की समाप्ति पर; और उसके बाद सीनेटरों के स्थान उनकी सेवा की अवधि से लगाकर छः वर्ष की समाप्ति पर रिक्त हो जाएँगे।

पश्चिमी आस्ट्रेलिया	नं० 27, 1912	सीनेटर निर्वाचन संशोधन अधिनियम, 1912	
तस्मानिया	नं० 59 विक्टो 64	संघीय निर्वाचन अधिनियम, 1900	26जार्जV, नं० 3 द्वारा निरस्त
,,	3 एडवVII, नं० 5	सीनेटर निर्वाचन अधिनियम, 1903	26जार्जV, नं० 3 द्वारा निरस्त
,,	26जार्जV, नं 3	सीनेट निर्वाचन अधिनियम, 1935	

रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निर्वाचन उन स्थानों पर रिक्तता हो जाने से पहले एक वर्ष के भीतर किया जाएगा।

इस सेक्शन के प्रयोजन के लिए किसी सीनेटर की सेवा-अवधि उसकी निर्वाचन तिथि के पश्चात् तदनन्तर जुलाई के पहले दिन प्रारम्भ हुई समझी जाएगी, प्रथम निर्वाचन और सीनेट के किसी विघटन के पश्चात् दूसरे निर्वाचन की परिस्थितियों को छोड़कर; जिनमें अवधि उनके निर्वाचन के दिन की अनुगामी जुलाई के पहले दिन से प्रारम्भ हुई समझी जाएगी।

आवर्तन के लिए दूसरी व्यवस्था

14. जब कभी किसी राज्य के लिए सीनेटरों की संख्या में वृद्धि या ह्रास हो, तो राष्ट्रमण्डल की संसद उस राज्य के लिए सीनेटरों के स्थानों की रिक्तता के लिए ऐसी व्यवस्था करेगी जैसी उसे आवर्तन[1] की नियमितता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

आकस्मिक रिक्तताएँ

15. यदि किसी सीनेटर का स्थान उसकी सेवा-अवधि की समाप्ति से पहले रिक्त हो जाता है, तो उस राज्य की संसद के सदन, जिसके लिए वह चुना गया था, एकत्रित बैठकर और मत देकर उस अवधि की समाप्ति तक या इसकी दूसरी व्यवस्था के अनुरूप किसी उत्तराधिकारी के निर्वाचन तक, जो भी पहले घटित हो, वह स्थान ग्रहण करने के लिए कोई व्यक्ति चुनेंगे। लेकिन यदि राज्य की संसद के सदन, उस समय जब रिक्तता अधिसूचित (notified) की गई हो, सत्र में न हों तो उस राज्य का राज्यपाल उसकी कार्यपालिका परिषद् की सलाह से किसी व्यक्ति को राज्य की संसद के आगामी सत्र के समारम्भ के पश्चात् चौदह दिन की समाप्ति पर्यन्त या किसी उत्तराधिकारी के निर्वाचन तक के लिए, इनमें जो भी पहले घटित हो, उस स्थान को ग्रहण करने के लिए नियुक्त करेगा।

प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के आगामी साधारण निर्वाचन पर या राज्य के लिए सीनेटरों के आगामी निर्वाचन पर, जो भी

---

[1] देखिए प्रतिनिधित्व अधिनियम 1948-1949, सेक्शन 4 और 5।

पहले घटित हो, कोई उत्तराधिकारी, यदि तब तक अवधि समाप्त नहीं हुई है, अपने निर्वाचन की तिथि से लेकर अवधि की समाप्ति तक के लिए वह स्थान ग्रहण करने के लिए चुना जाएगा।

इस प्रकार निर्वाचित या नियुक्त किसी सीनेटर का नाम महाराज्यपाल की ओर से उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रमाणित होगा।

सीनेटर की अर्हता

16. किसी सीनेटर की अर्हताएँ वही होंगी जो प्रतिनिधि-सदन के किसी सदस्य की हैं।

राष्ट्रपति का निर्वाचन

17. कोई दूसरा कार्य निबटाने की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पहले, सीनेट किसी सीनेटर को राष्ट्रपति होने के लिए चुनेगा और जितनी बार राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा सीनेट उतनी बार कोई सीनेटर राष्ट्रपति होने के लिए चुनेगा।

राष्ट्रपति अपना पदधारण करना त्याग देगा यदि वह सीनेटर होना छोड़ देता है। वह सीनेट के किसी मतदान द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, या अपने पद से या अपनी सीट से महाराज्यपाल को सम्बोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकता है।

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति

18. राष्ट्रपति की किसी अनुपस्थिति के समय या उससे पहले, उसकी अनुपस्थिति में उसके कृत्यों के संपादन के लिए किसी सीनेटर को सीनेट चुन सकता है।

सीनेटर का स्तीफा

19. कोई सीनेटर राष्ट्रपति को, या यदि राष्ट्रपति वहाँ न हो या यदि राष्ट्रपति राष्ट्रमण्डल से अनुपस्थित हो तो महाराज्यपाल को सम्बोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान से स्तीफा दे सकता है जो उसके बाद रिक्त हो जाएगा।

अनुपस्थिति द्वारा रिक्तता

20. किसी सीनेटर का स्थान रिक्त समझा जाएगा यदि वह संसद के किसी सत्र में लगातार दो महीने सीनेट की अनुज्ञा बिना सीनेट में उपस्थित होने में असफल होता है।

रिक्तता अधिसूचित होगी

21. यदि सीनेट में कोई रिक्तता घटित हो जाती है, तो राष्ट्रपति, या यदि कोई राष्ट्रपति न हो या यदि राष्ट्रपति राष्ट्रमण्डल से अनुपस्थित हो तो महाराज्यपाल उस राज्य के

राज्यपाल को जिसके अभिवेदन (representation) में रिक्तता घटित हुई है, अधिसूचित (notify) करेगा।

गणपूर्ति

22. यदि संसद कोई दूसरा उपबंध नहीं करती है, तो सीनेट की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी उपवेशन की गणपूर्ति में सीनेटरों की पूरी संख्या की कम-से-कम तिहाई संख्या के सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

सीनेट में मतदान

23. सीनेट में उठने वाले प्रश्नों को वोटों के बहुमत से निश्चित किया जाएगा, और प्रत्येक सीनेटर का एक मत होगा; और यदि मतों की संख्या बराबर हो तो प्रश्न नकारात्मक पारित होगा।

भाग III

प्रतिनिधि-सदन

प्रतिनिधि-सदन का विधान

24. राष्ट्रमण्डल की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुने हुए सदस्यों से प्रतिनिधि-सदन बनेगा, और ऐसे सदस्यों की संख्या, यथा निकट व्यवहार्य हो, सीनेटरों की संख्या की दूनी होगी।

विभिन्न राज्यों में चुने जानेवाले सदस्यों की संख्या उनकी जनता की अपनी-अपनी संख्याओं के समानुपात में होगी, और यदि संसद कोई दूसरा उपबंध नहीं करती है तो, जहाँ कहीं आवश्यक हो, निम्नलिखित ढंग से निश्चित की जाएगी :

(i) राष्ट्रमण्डल की अधुनातन सांख्यिकी द्वारा प्रदर्शित राष्ट्रमण्डल की जनता की संख्या को सीनेटरों की संख्या के दूने से भाग देकर कोटा अभिनिश्चित किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक राज्य में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या राष्ट्रमण्डल की अधुनातन सांख्यिकी द्वारा प्रदर्शित राज्य की जन-संख्या में कोटा से भाग देकर निश्चित की जाएगी; और यदि ऐसे विभाजन में कोटा के आधे से अधिक शेष बचता है तो उस राज्य में एक अधिक सदस्य चुना जाएगा।

लेकिन इस सेक्शन में किसी बात के होते, प्रत्येक मौलिक राज्य में कम-से-कम पाँच सदस्य चुने जाएँगे।

मतदान से अर्नहित जातियों के संबंध में उपबंध

25. पूर्वगत सेक्शन के प्रयोजन के लिए, यदि किसी राज्य-कानून द्वारा किसी जाति के सभी व्यक्ति राज्य की संसद के बहुसंख्यक सदन के लिए निर्वाचन में मतदान करने से अर्नहित किए गए हैं तो राज्य की या राष्ट्रमण्डल की जनसंख्या की गणना करने में उस राज्य के निवासी उस जाति के लोग नहीं गिने जाएँगे।

प्रथम संसद में प्रतिनिधि

26. सेक्शन चौबीस में किसी बात के होते, प्रथम निर्वाचन में प्रत्येक राज्य से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या निम्नलिखित होगी :

न्यू साउथ वेल्स	—तेइस
विक्टोरिया	—बीस
क्वींसलैंड	—आठ
दक्षिणी आस्ट्रेलिया	—छः
तस्मानिया	—पाँच

यदि मान लिया जाए कि पश्चिमी आस्ट्रेलिया एक मौलिक राज्य है, तो संख्या निम्नलिखित भाँति होगी :

न्यू साउथ वेल्स	—छब्बीस
विक्टोरिया	—तेइस
क्वींसलैंड	—नौ
दक्षिणी आस्ट्रेलिया	—सात
पश्चिमी आस्ट्रेलिया	—पाँच
तस्मानिया	—पाँच

सदस्यों की संख्या में परिवर्तन

27. इस संविधान के उपबन्ध में, प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों की संख्या घटाने या बढ़ाने के लिए संसद कानून बना सकती है।

प्रतिनिधि सदन की अवधि

28. प्रत्येक प्रतिनिधि-सदन उस सदन के प्रथम उपवेशन से तीन वर्ष तक चलेगा, और उससे अधिक नहीं, परन्तु महा-राज्यपाल द्वारा उससे पहले विघटित किया जा सकता है।

निर्वाचकीय मंडल

29. यदि राष्ट्रमण्डल की संसद दूसरा उपबंध नहीं करती है, तो किसी राज्य की संसद प्रत्येक राज्य में मण्डलों को,

जिनके लिए प्रतिनिधि-सदन के सदस्य चुने जाएँगे, और प्रत्येक मंडल के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या को निश्चित करने के लिए कानून[1] बना सकती है। विभिन्न राज्यों के हिस्सों को मिलाकर कोई मंडल नहीं बनाया जाएगा।

किसी दूसरे उपबंध के अभाव में, प्रत्येक राज्य एक निर्वाचक-मण्डल (electorate) होगा।

निर्वाचकों की अर्हता

30. यदि संसद दूसरा उपबंध नहीं करती है तो प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के निर्वाचकों की अर्हता वही होगी जो राज्य के कानून द्वारा राज्य की संसद के बहुसंख्यक (more numerous) सदन के निर्वाचकों की अर्हता निर्धारित है; लेकिन सदस्यों के चुनाव में प्रत्येक निर्वाचक केवल एक बार मत देगा।

राज्य कानूनों की प्रयुक्ति

31. यदि संसद दूसरा उपबंध नहीं करती है, तो इस संविधान के उपबन्ध में राज्य की संसद के बहुसंख्यक सदन के लिए निर्वाचन से संबंधित उस समय प्रत्येक राज्य में प्रवृत्त

[1] सेक्शन 29 द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसरण में निम्नलिखित राज्य-अधिनियम पारित किए गए, परन्तु राष्ट्रमण्डल निर्वाचकीय अधिनियम, 1902 के अधिनियमन पर उनका प्रभावकारी होना समाप्त हो गया।

राज्य	संख्या	संक्षिप्त शीर्षक
न्यू साउथ वेल्स	नं० 73,1900	संघीय निर्वाचन अधिनियम, 1900
विक्टोरिया	नं० 1667	विक्टोरियाई संघीय प्रतिनिधि-सदन निर्वाचकमंडल अधिनियम, 1900
क्वींसलैंड	विक्टो 64, नं० 25	राष्ट्रमंडल संसद का निर्वाचन अधिनियम और निर्वाचन अधिनियम 1885 से 1898, 1900 का संशोधन अधिनियम,
पश्चिमी आस्ट्रेलिया	विक्टो० 64, नं० 6	पश्चिमी आस्ट्रेलिया संघीय प्रतिनिधि-सदन निर्वाचकमण्डल अधिनियम, 1900

कानून, यथानिकट व्यवहार्य हो, राज्य में प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के निर्वाचन पर लागू होंगे।

साधारण निर्वाचन के लिए लेख

32. परिषद् सहित महाराज्यपाल प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के साधारण निर्वाचन के लिए निकाले जाने वाले लेख तैयार करा सकता है।

प्रथम साधारण निर्वाचन के पश्चात्, किसी प्रतिनिधि-सदन की समाप्ति से या उसके किसी विघटन की उद्घोषणा से दस दिन के भीतर लेख निकाले जाएँगे।

रिक्तताओं के लिए लेख

33. जब कभी प्रतिनिधि-सदन में कोई रिक्तता घटित हो, तो अध्यक्ष (Speaker) किसी नए सदस्य के निर्वाचन के लिए अपना लेख निकालेगा, या यदि कोई अध्यक्ष न हो या यदि वह राष्ट्रमण्डल से अनुपस्थित हो तो परिषद् सहित महाराज्य-पाल लेख निकाल सकता है।

सदस्यों की अर्हताएँ

34. यदि संसद दूसरा उपबंध नहीं करती है, तो प्रति-निधि-सदन के किसी सदस्य की अर्हताएँ निम्नलिखित होंगी :

(i) वह अवश्यमेव इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और वह अवश्यमेव प्रतिनिधि-सदन के निर्वाचन पर मत देने का हकदार (entited) निर्वाचक हो, या ऐसा निर्वाचक होने की अर्हता प्राप्त कोई व्यक्ति हो, और उस समय वर्तमान, जब वह चुना गया है, राष्ट्रमंडल की सीमा के भीतर कम-से-कम तीन वर्ष तक अवश्यमेव निवासी रहा हो :

(ii) वह अवश्यमेव देश में पैदा हुआ या संयुक्तराज के किसी कानून के अन्तर्गत कम-से-कम पाँच वर्ष के लिए देशीकृत, या किसी उपनिवेश की, जो कोई राज्य हो गया हो या हो रहा हो, या राष्ट्रमण्डल की या किसी राज्य के अधीन महारानी की प्रजा हो।

अध्यक्ष का निर्वाचन

35. कोई दूसरा कार्य निबटाने के लिए अग्रसर होने से पहले, प्रतिनिधि-सदन किसी सदस्य को सदन का अध्यक्ष होने के लिए निर्वाचित करेगा, और जितनी बार अध्यक्ष का पद

रिक्त होगा सदन उतनी बार किसी सदस्य को अध्यक्ष होने के लिए चुनेगा।

अध्यक्ष अपना पद धारण करना बन्द कर देगा यदि वह सदस्य होना छोड़ देता है। सदन के किसी मतदान द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है, या वह महाराज्यपाल को सम्बोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख से अपनी सीट या अपने पद से स्तीफा दे सकता है।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति

36. अध्यक्ष की किसी अनुपस्थिति के समय या अनुपस्थिति से पहले उसकी अनुपस्थिति में उसके कृत्यों के सम्पादन के लिए प्रतिनिधि-सदन किसी सदस्य को चुन सकता है।

सदस्य का स्तीफा

37. कोई सदस्य अध्यक्ष को, या यदि कोई अध्यक्ष न हो या अध्यक्ष राष्ट्रमण्डल से अनुपस्थित हो तो महाराज्यपाल को सम्बोधित कर अपने हस्ताक्षरसहित लेख से अपने स्थान से स्तीफा दे सकता है जो उसके पश्चात् रिक्त हो जाएगा।

अनुपस्थिति के कारण रिक्तता

38. किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि वह संसद के किसी सत्र में लगातार दो महीने तक सदन की अनुज्ञा बिना सदन में उपस्थित होने में असफल होता है।

गणपूर्ति

39. यदि संसद दूसरा उपबंध नहीं करती है, तो सदन की शक्तियों के प्रयोग के लिए उसके किसी उपवेशन की गणपूर्ति करने के लिए प्रतिनिधि-सदन की पूरी संख्या की कम-से-कम एक तिहाई संख्या के सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

प्रतिनिधि-सदन में मतदान

40. प्रतिनिधि-सदन में उठनेवाले प्रश्न, अध्यक्ष का मत छोड़कर, बहुमत से निश्चित किए जाएँगे। अध्यक्ष तब तक मत नहीं देगा जब तक मत-संख्या बराबर न हो, और तब उसका निर्णायक मत होगा।

भाग IV

संसद के दोनों सदन

राज्य के निर्वाचकों के अधिकार

41. किसी वयस्क व्यक्ति को, जो किसी राज्य की संसद के बहुसंख्यक सदन के लिए निर्वाचन में मतदाता अधिकार प्राप्त है या प्राप्त करता है, जब तक उसे अधिकार प्राप्त है राष्ट्रमण्डल

के किसी कानून द्वारा राष्ट्रमण्डल की संसद के किसी भी सदन के लिए निर्वाचन में मत देने से रोका नहीं जाएगा।

निष्ठा की शपथ या अभिपुष्टि

42. प्रत्येक सीनेटर और प्रतिनिधि-सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले महाराज्यपाल के सम्मुख या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के सम्मुख इस संविधान की अनुसूची (schedule) में निर्धारित शपथ या निष्ठा का प्रतिज्ञापन और अभिदान (subscribe) करेगा।

एक सदन का सदस्य दूसरे के लिए अपात्र

43. संसद के किसी सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने या उपवेशन के लिए अपात्र होगा।

अर्हताएँ

44. कोई व्यक्ति जो

(i) किसी विदेशी सत्ता की अनुषक्ति (adherence) या आज्ञापालन (obedience), या निष्ठा विषयक किसी प्रतिज्ञापन के अन्तर्गत है, या किसी विदेशी सत्ता की कोई प्रजा या कोई नागरिक है या प्रजा या नागरिक विशेषाधिकारों (privileges) या अधिकारों के लिए हकदार है; या

(ii) अभिद्रोही (treason) है, या अभिशस्त रहा है और सजा के अन्तर्गत है, या राष्ट्रमण्डल या किसी राज्य के कानून के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध के लिए एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास दंड से दंडित होने का पात्र है; या

(iii) कोई अनिर्मुक्त दीवालिया (bankrupt) या शोधाक्षम (insolvent) है; या

(iv) क्राउन के अन्तर्गत कोई वेतनभोगी पद धारण करता है, या राष्ट्रमण्डल के राजस्वों (revenues) में से किसी राजस्व से देय, क्राउन की प्रसन्नता तक, कोई निवृतिका (pension) पाता है; या

(v) पच्चीस व्यक्तियों से अधिक की बनी हुई किसी निगमित संस्था (कंपनी) (incorporated company) के अन्य सदस्यों के साथ है और सामान्य सदस्य से भिन्न, राष्ट्रमण्डल

की लोकसेवा के साथ किसी करारनामें में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक (pecuniary) अभिरुचि रखता है : वह प्रतिनिधि-सदन केसदस्य या किसी सीनेटर के रूप में बैठने या चुने जाने के लिए अक्षम होगा।

लेकिन राष्ट्रमण्डल के लिए महारानी के राज्यमंत्रियों में किसी के पद के लिए, या किसी राज्य के लिए महारानी के मंत्रियों में किसी के लिए, या महारानी की नौ-सेना या थल-सेना के सदस्य या किसी अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किसी निवृतिका या अर्धवेतन या वेतन की प्राप्ति को, या राष्ट्रमण्डल की नौसेना या मिलिटरी शक्ति के सदस्य या किसी अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति की वेतन-प्राप्ति को जिसकी सेवाएँ राष्ट्रमण्डल द्वारा सम्पूर्णतः नियोजित (employed) नहीं है, उपधारा (iv) लागू नहीं होती है।

अनर्हता घटित होने पर रिक्तता

45. यदि कोई सीनेटर या प्रतिनिधि-सदन का कोई सदस्य

(i) पूर्ववर्ती अन्तिम सेक्शन में उल्लिखित अपात्रताओं में से किसी का भागी (subject) हो जाता है : या

(ii) चाहे अधिन्यास (assignment), या प्रशमन (couposi.ion) द्वारा या किसी अन्य प्रकार से दीवालिया या शोधाक्षम ऋणी से संबंधित किसी कानून का लाभ लेता है; या

(iii) राष्ट्रमण्डल के निमित्त की गई सेवाओं के लिए या संसद में किसी व्यक्ति या राज्य के निमित्त की गई सेवाओं के लिए मानदेय (honorarium) या कोई शुल्क (fee) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेता है या लेने को राजी होता है :

तो उसके पश्चात् उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

अनर्हित हो जाने के बाद उपवेशन के लिए दंड

46. यदि संसद कोई दूसरा उपबंध नहीं करती है तो इस संविधान द्वारा प्रतिनिधि-सदन के सदस्य के रूप में या सीनेटर के रूप में बैठने के लिए अक्षम उद्घोषित किया गया कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन के लिए, यदि वह यथापूर्व बैठता है, ऐसे व्यक्ति को जो इसके लिए किसी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में दावा करता है, एक-एक सौ पौंड की राशि चुकाने का जिम्मेवार होगा।

विवादग्रस्त निर्वाचन

47. यदि संसद दूसरा उपबंध नहीं करती है, तो किसी सीनेटर की अर्हता के संबंध में या प्रतिनिधि-सदन के किसी सदस्य की अर्हता के संबंध में, या संसद के किसी सदन में किसी रिक्तता के संबंध में, या किसी सदन के किसी विवादग्रस्त निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उस सदन द्वारा निर्णीत किया जाएगा जिसमें प्रश्न उठता है।

सदस्यों को भत्ता

48. यदि संसद दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, तो प्रत्येक सीनेटर और प्रतिनिधि-सदन का प्रत्येक सदस्य चार सौ पौंड की धन राशि वार्षिक भत्ते के रूप में पाएगा जो उस दिन से दी जाएगी जिस दिन वह अपना स्थान ग्रहण करता है।

सदनों के विशेषाधिकारादि

49. सीनेट की और प्रतिनिधि-सदन की और प्रत्येक सदन की समितियों (committees) और सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, और प्रतिरक्षाएँ (immunities) वही होंगी जो संसद द्वारा उद्घोषित की गई हों, और यदि उद्घोषित न हों, तो राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर वही रहेंगी जो संयुक्त राज (United Kingdom) की संसद के लोक-सदन (Common's House), और उसकी समितियों और सदस्यों की हैं।

नियम और आदेश

50. संसद का प्रत्येक सदन

(i) उन तरीकों के संबंध में जिसमें उसकी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाएँ प्रयुक्त होंगी और निषिद्ध की जाएँगी :

(ii) दूसरे सदन के साथ संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से अपने व्यापार और कार्यवाहियों के संचालन और व्यवस्था के संबंध में नियम और आदेश जारी कर सकता है।

भाग V

संसद की शक्तियाँ

संसद की विधान शक्ति

51. इस संविधान के उपबन्ध में, संसद को अधोलिखित विषयों के संबंध में राष्ट्रमण्डल के लिए उत्तम सरकार, व्यवस्था तथा शांति के निमित्त कानून बनाने की शक्ति[1] होगी :

---

[1] अधोलिखित साम्राज्य अधिनियमों (Imperial Acts)

(i) राज्यों के बीच, और दूसरे देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य :

(ii) करभार; लेकिन इस प्रकार कि राज्यों और राज्यों के हिस्सों के बीच विभेद (discriminate) न किया गया हो :

(iii) मालों के निर्यात और उत्पादन पर अधिदान (bounties), लेकिन इस प्रकार कि सम्पूर्ण राष्ट्रमण्डल में ऐसे प्रतिदान एक समान हों :

(iv) राष्ट्रमण्डल की जन-साख (public credit) पर धन उधारण (borrowing) :

(v) डाक, तार, टेलीफोन और इस प्रकार की दूसरी सेवाओं :

(vi) राष्ट्रमण्डल के विभिन्न राज्यों की नौ-सेना और मिलिटरी सुरक्षा, और राष्ट्रमण्डल के कानून को बनाए रखने और निष्पादन के लिए सैन्यबल का नियंत्रण :

(vii) प्रकाश-गृहों (lighthouses) प्रकाश-नौकाओं (lightships), आकाशदीपों (beacons) और प्लावों (बोया) :

(viii) खगोलीय (astronomical) और अंतरिक्ष शास्त्रीय प्रेक्षण (meterological observation) :

(ix) संगरोध (quarantine) :

(x) भूक्षेत्रीय सीमाओं के बाहर आस्ट्रेलियाई समुद्रों में मछली पकड़ने :

द्वारा राष्ट्रमण्डल की संसद की वैधानिक विधानशक्तियों का विस्तार हुआ :

ह्वेल उद्योग (Whaling Industry) नियमन (regulation) अधिनियम 1934, सेक्शन 15; आकस्मिकता अधिकार (सुरक्षा) अधिनियम 1939, से० 5; स्थल और वायु सेना बल (वार्षिक) अधिनियम 1940, से० 3; जिनेवा अभिसमय (Convention) अधिनियम 1937, सेक्शन 2।

(xi) जनगणना और सांख्यिकी;

(xii) चलराशि, सिक्के और कानूनी निविदा;

(xiii) राज्य-बैंकिंग को छोड़कर बैंकिंग; संबंधित राज्य की सीमा के बाहर विस्तृत राज्य-बैंकिंग भी, बैंकों का निगमन, और कागजी मुद्रा :

(xiv) राज्य-बीमा छोड़कर बीमा; संबंधित राज्य की सीमा के बाहर विस्तृत राज्य-बीमा भी :

(xv) बाट और माप :

(xvi) विनिमय पत्र (bills of exchange) और प्रामिसरी नोट (promissory notes) :

(xvii) दीवालापन और शोधाक्षमता (bankrupty and insolvency):

(xviii) कृति स्वाम्य (copyright), डिजाइनों और आविष्कारों के पेटेंट, और ट्रेड मार्क :

(xix) देशीकरण तथा अन्यदेशीय :

(xx) विदेशी कारपोरेशन, और राष्ट्रमण्डल की सीमा के भीतर संगठित व्यापारी (trading) या वित्तीय कारपोरेशन :

(xxi) विवाह :

(xxii) तलाक और वैवाहिक कारण; और उसके संबंध में पैत्रिक अधिकार, और शिशुओं (infants) का संरक्षण (guardianship) और अभिरक्षा (custody) :

नं० 31, 1964 सेक्शन 2 द्वारा समावेशित

(xxiii) पंगुता (invalid) और बुढ़ापा पेंशन

(xxiii a) मातृत्व कालीन (maternity) भत्ते की व्यवस्था, विधवाओं के लिए पेंशन, बाल धर्मस्व (endow-

ment), बेरोजगारी (unemployment), औषध निर्माण (pharmaceutical), बीमारी और अस्पताल के लाभ sickness and hospital benefits), मेडिकल और दन्त सेवाएँ (लेकिन ऐसी सेवाएँ नहीं जिससे किसी प्रकार की सिविल बद्धता (conscription) अधिकृत हो), विद्यार्थियों और परिवार के लिए भत्ता लाभ :

(xxiv) सम्पूर्ण राष्ट्रमण्डल में राज्य न्यायालयों की सिविल और आपराधीप्र क्रियाओं और फैसलों का निष्पादन और तामील :

(xxv) राज्यों के कानूनों, लोक-अधिनियमों और अभिलेखों (records) तथा नैयायिक कार्यवाहियों की सम्पूर्ण राष्ट्रमण्डल में मान्यता :

(xxvi) किसी राज्य की आदिवासी जाति छोड़कर, अन्य जाति के लोगों के लिए यदि विशेष कानून बनना आवश्यक समझा जाए :

(xxvii) आप्रवासन (immigration) और उत्प्रवासन (emigra ion) :

(xxviii) अपराधियों का अन्तःप्रवाह (influx of criminals) :

(xxix) विदेशी मामले :

(xxx) पैसिफिक द्वीपों के साथ राष्ट्रमण्डल के संबंध :

(xxxi) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जिसके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है, किसी राज्य या व्यक्ति से समुचित शर्तों पर सम्पत्ति अर्जन (acquisition) :

(xxxii) राष्ट्रमण्डल की नौ-सेना और मिलिटरी प्रयोजनों के निमित्त परिवहन के लिए रेलवे का नियंत्रण :

(xxxiii) राज्य की सहमति से राष्ट्रमण्डल और राज्य के बीच व्यवस्थित शर्तों पर राज्य की किसी रेलवे का अभिग्रहण :

(xxxiv) किसी राज्य की सहमति से उस राज्य में रेलवे का निर्माण और प्रसार :

(xxxv) किसी एक राज्य की प्रसीमा के बाहर विस्तृत औद्योगिक विवादों के निपटारे और निवारण के लिए मध्यस्थ निर्णय और समाधान :

(xxxvi) ऐसे विषय जिनके संबंध में, जब तक संसद कोई दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, यह संविधान व्यवस्था करता है :

(xxxvii) किसी राज्य या राज्यों की संसद या संसदों द्वारा राष्ट्रमण्डल की संसद को निर्दिष्ट मामले[1]; लेकिन ऐसे मामलों में कानून उन्हीं राज्यों तक विस्तृत होगा जिनकी संसदों द्वारा मामला निर्देशित है या जिन्होंने बाद में कानून को अंगीकार कर लिया है।

[1] राष्ट्रमण्डल की संसद को विषय निर्देशित करने के लिए राज्य संसदों द्वारा अधोलिखित अधिनियम पारित किए गए हैं।

राज्य	संख्या	संक्षिप्त शीर्षक	कब तक अनुभावी
न्यू साउथ वेल्स	नं० 65, 1915	राष्ट्रमण्डल शक्ति (युद्ध) अधिनियम, 1915	जनवरी, 1921 को समाप्त; देखिए सेक्शन 5
	नं० 33, 1942	राष्ट्रमण्डल शक्ति अधिनियम, 1942	समाप्त; देखिए सेक्शन 4
	नं० 18, 1943	,, 1943	,, ,,
	नं० 40, 1949	द्रव इंधन अधिनियम 1949 (liquid fuel act)	31 जनवरी, 1950 को समाप्त
विक्टोरिया	नं० 3108	राष्ट्रमण्डल शक्ति (वायु जहाज़रानी) अधिनियम, 1920	नं० 4502 द्वारा निरस्त
	नं० 3658	राष्ट्रमण्डल सुव्यवस्था अधिनियम, 1928 (भाग III)	नं० 4502 द्वारा निरस्त
	नं० 4009	ऋण संपरिवर्तन करार अधिनियम, 1931 (नं० 2)	

(xxxviii) प्रत्यक्ष रीति से सम्बन्धित सभी राज्य संसदों की सहमति के साथ और उनकी प्रार्थना पर राष्ट्रमण्डल के भीतर

	नं० 4950	राष्ट्रमण्डल शक्ति अधिनियम, 1943	प्रवर्तित होने के लिए अनुद्घोषित और अब उस प्रकार उद्घोषित नहीं हो सकता।
क्वींसलैंड	12 जार्ज V नं० 30	राष्ट्रमण्डल शक्ति (वायु जहाज़रानी) अधिनियम, 1921	1 जार्ज VI नं० 8 द्वारा निरस्त
	22 जार्ज V नं० 30	राष्ट्रमण्डल विधान शक्ति अधिनियम, 1931	— —
	7 जार्ज VI नं० 19	राष्ट्रमण्डल शक्ति अधिनियम, 1943	समाप्त; देखिए से० 4
क्वींसलैंड	13 जार्ज VI नं० 45	1949 का द्रव ईंधन अधिनियम	31अगस्त1950 को समाप्त
	14 जार्ज VI नं० 2	राष्ट्रमण्डल शक्ति (वायु परिवहन) अधिनियम, 1950	——
दक्षिणी आस्ट्रेलिया	नं० 1469, 1921	राष्ट्रमण्डल शक्ति (वायु जहाज़रानी) अधिनियम, 1921	1937 के नं० 2352 द्वारा निरस्त
	नं० 2061, 1931	राष्ट्रमण्डल विधान शक्ति अधिनियम 1931	— —
	नं०3, 1943	राष्ट्रमण्डल शक्ति अधिनियम, 1943	समाप्त; देखिए से० 5
पश्चिमी आस्ट्रेलिया	नं०4, 1943	राष्ट्रमण्डल शक्ति अधिनियम, 1943	नं० 30, 1947 द्वारा संशोधित; समाप्त, देखिए से० 4

किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग जो इस संविधान की स्थापना पर

पश्चिमी आस्ट्रेलिया	नं० 57, 1945	,, ,, 1945	1947 के नं० 31, 73 और 81 द्वारा संशोधित, 31 दिसम्बर, 1948 को समाप्त
	नं० 30, 1947	,, ,, 1947 संशोधन अधिनियम, 1947	समाप्त; देखिए नं० 4, 1943
	नं० 31, 1947	राष्ट्रमण्डल शक्ति अधिनियम 1945 संशोधन अधिनियम 1947	31 दिसम्बर 1948 को समाप्त
	नं० 73, 1947	राष्ट्रमण्डल शक्ति अधिनियम, 1945 संशोधन अधिनियम (नं० 2) 1947	31 दिसम्बर, 1948 को समाप्त
	नं० 81, 1947	राष्ट्रमण्डल शक्ति अधिनियम 1945-1947, संशोधन (अनुवर्तन) अधिनियम, 1947	,, ,,
	नं० 21, 1947	द्रव ईंधन (आपात कालीन व्यवस्थाएँ) अधिनियम, 1949	31 दिसम्बर, 1950 को समाप्त
तस्मानिया	11 जार्ज V नं० 42	राष्ट्रमण्डल शक्ति (वायु जहाजरानी, अधिनियम) 1920	1 जार्ज VI नं० 14 द्वारा निरस्त
	नं० 46, 1952	राष्ट्रमण्डल शक्ति (वायु परिवहन) अधिनियम, 1952	——

संयुक्त राज (U· K.) की संसद द्वारा या आस्ट्रेलेशिया की संघीय परिषद द्वारा प्रयोग है।

(xxxix) संसद या उसके किसी सदन, या राष्ट्रमण्डल की सरकार या संघीय न्यायमण्डल (judicature) या राष्ट्र-मण्डल के किसी विभाग या अधिकारी में निहित इस संविधान द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के निष्पादन के प्रासंगिक विषयों के सम्बन्ध में।

संसद की निरपेक्ष शक्तियाँ

52. इस संविधान के उपबन्ध में, संसद को राष्ट्रमण्डल की शांति, सुव्यवस्था (order) और उत्तम सरकार के लिए निम्न विषयों के संबंध में कानून बनाने की निरपेक्ष शक्ति होगी :

(i) राष्ट्रमण्डल सरकार का स्थान, और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए राष्ट्रमण्डल द्वारा अर्जित सभी स्थान :

(ii) सार्वजनिक सेवा के किसी विभाग से संबंधित मामले जिसका नियंत्रण इस संविधान द्वारा राष्ट्रमण्डल की कार्यपालिका सरकार को अंतरित कर दिया गया है :

(iii) संसद की निरपेक्ष शक्ति के अधीन होने के लिए इस संविधान द्वारा उल्लिखित दूसरे विषय।

विधान के संबंध में सदनों की शक्तियाँ

53. धन या राजस्व विनियोजित या करभार आरोपित करने वाले प्रस्तावित कानून सीनेट में नहीं प्रारम्भ होंगे। लेकिन कोई प्रस्तावित कानून केवल इस कारण राजस्व या धन विनियोजित, या करभार आरोपित करने वाला नहीं समझा जाएगा कि उस प्रस्तावित कानून के अन्तर्गत आरोपण या जुर्माने के विनियोजन या दूसरी आर्थिक शास्ति (pecuniary penali.ies) के लिए, या लाइसेंस के लिए शुल्कों की माँग या भुगतान (payments) या विनियोजन के लिए या सेवाओं के लिए शुल्कों की व्यवस्थाएँ अन्तर्वेशित (containing) हैं।

करभार आरोपित करने वाले प्रस्तावित कानून या सरकार की सामान्य वार्षिक सेवाओं के लिए राजस्व या धन का विनियोजन करने वाले प्रस्तावित कानून का संशोधन संसद नहीं करेगी।

सीनेट कोई प्रस्तावित कानून इस प्रकार संशोधित नहीं कर सकता है जिससे जनता पर किसी प्रस्तावित शुल्क या भार की वृद्धि हो।

सीनेट किसी स्तर पर किसी प्रस्तावित कानून की, जिसका संशोधन सीनेट नहीं कर सकता है, किसी व्यवस्था या किसी मद का संशोधन या निष्कासन प्रार्थनापूर्वक, सम्वाद द्वारा प्रतिनिधि-सदन को लौटा सकता है और प्रतिनिधि-सदन, यदि उचित समझता है तो, बिना परिवर्तन या परिवर्तन सहित निष्कासन या संशोधन में से किसी को पारित कर सकता है।

इस सेक्शन के उपबन्ध के अतिरिक्त, सीनेट को प्रतिनिधि-सदन के समान सभी प्रस्तावित कानूनों पर बराबर शक्ति होगी।

विनियोजन बिलें

54. ऐसा प्रस्तावित कानून, जो सरकार की सामान्य वार्षिक सेवाओं के लिए राजस्व या धन का विनियोजन करता है, केवल ऐसे ही विनियोजन के साथ व्यवहार करेगा।

करभार बिल

55. करभार आरोपित करने वाले कानून केवल करभार आरोपण के संबंध में व्यवहार करेंगे, और उनमें किसी दूसरे विषय के संबंध में व्यवहार करने वाली कोई व्यवस्था किसी प्रभाव की न होगी।

करभार आरोपित करने वाले कानून, चुंगी और आबकारी के शुल्कों को छोड़कर, केवल करभार विषय के संबंध में व्यवहार करेंगे; परन्तु सीमांत शुल्क आरोपित करने वाले कानून केवल सीमांत शुल्क के संबंध में व्यवहार करेंगे, और आबकारी शुल्क आरोपित करने वाले कानून केवल आबकारी शुल्क के संबंध में व्यवहार करेंगे।

धनमदों पर सिफ़ारिश

56. राजस्व या धन के विनियोजन के लिए प्रस्तावित कोई मतदान, कानून, प्रस्ताव तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक विनियोजन के प्रयोजन की उस सदन के लिए जिसमें प्रस्ताव प्रारम्भ हुआ था महाराज्यपाल के सम्बाद द्वारा उसी सत्र में सिफ़ारिश न की गई हो।

सदनों के बीच असहमति

57. यदि प्रतिनिधि-सदन कोई प्रस्तावित कानून पारित करता है, और सीनेट उसको अस्वीकार करता है या पारित करने में असफल होता है, या ऐसे संशोधनों के साथ पारित करता है जिनसे प्रतिनिधि-सदन सहमत नहीं होगा, और यदि तीन महीने के अन्तराल के बाद, उसी सत्र में या दूसरे सत्र में, प्रतिनिधि-सदन पुनः किन्हीं संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के, जो सीनेट द्वारा संमत थे, बनाए गए थे या सुझाए गए थे, प्रस्तावित कानून पारित करता है, और सीनेट उसे अस्वीकार करता है या पारित करने में असफल होता है या ऐसे संशोधनों के साथ पारित करता है जिनसे प्रतिनिधि-सदन सहमत नहीं होगा, तो महाराज्यपाल सीनेट और प्रतिनिधि-सदन को साथ-साथ विघटित कर सकेगा। लेकिन समय के समापवाह (effluxion) द्वारा प्रतिनिधि-सदन की परिसमाप्ति की तिथि से पहले छः महीने के भीतर ऐसा विघटन नहीं किया जाएगा।

यदि ऐसे विघटन के पश्चात् प्रतिनिधि-सदन प्रस्तावित कानून, किन्हीं ऐसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के जो सीनेट द्वारा सम्मत थे या बनाए गए थे या सुझाए गए थे पुनः पारित करता है और सीनेट उसे अस्वीकार करता है या पारित करने में असफल होता है या ऐसे संशोधनों सहित पारित करता है जिनसे प्रतिनिधि-सदन सहमत नहीं होगा, तो महाराज्यपाल प्रतिनिधि-सदन और सीनेट के सदस्यों का संयुक्त उपवेशन संयोजित कर सकता है।

संयुक्त उपवेशन में उपस्थित सदस्य प्रतिनिधि-सदन द्वारा अन्तिम रूप से प्रस्तावित, उस प्रस्तावित कानून की पर्यालोचना करेंगे और साथ-साथ मतदान करेंगे, और संशोधनों पर, यदि कोई हो, जो उसमें एक सदन द्वारा पारित किए गए थे और दूसरे द्वारा स्वीकृत नहीं थे, और ऐसा कोई संशोधन जो सीनेट के सदस्यों की पूरी संख्या के निरपेक्ष बहुमत द्वारा अभिपुष्ट (affirmed) हो और प्रतिनिधि-सदन धारण किया हुआ मान लिया गया हो, और यदि इस प्रकार धारण किया हुआ प्रस्तावित कानून, संशोधनों सहित, यदि कोई हो, प्रतिनिधि-

सदन और सीनेट के सदस्यों की कुल संख्या के निरपेक्ष बहुमत द्वारा अभिपुष्ट किया गया है, तो उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा सम्यक् रूप से पारित किया हुआ मान लिया जाएगा और महारानी की संमति के लिए महाराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा।

बिलों पर शाही संमति

58. यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई प्रस्तावित कानून महारानी की संमति के लिए महाराज्यपाल को प्रस्तुत किया गया हो, तो वह अपने विवेक (discretion) के अनुसार, परन्तु इस संविधान के उपबन्ध में, घोषित करेगा कि वह महारानी की ओर से संमति देता है या संमति रोकता है, या वह महारानी की प्रसन्नता के लिए कानून को संरक्षित करता है।

महाराज्यपाल द्वारा सिफ़ारिश

महाराज्यपाल इस प्रकार प्रस्तुत किए गए किसी प्रस्तावित कानून को उस सदन को वापिस कर सकेगा जिसमें वह प्रारम्भ हुआ था और उसके साथ वह संशोधन भेज देगा जिसकी वह सिफ़ारिश करता है, और सदन सिफ़ारिश पर विचार करेगा।

महारानी की अस्वीकृति

59. महाराज्यपाल की संमति से एक वर्ष के भीतर महारानी कोई बिल अस्वीकार कर सकती हैं, और महाराज्यपाल के भाषण या संवाद या उद्घोषणा द्वारा संसद के सदनों में से प्रत्येक को प्रतिज्ञापित कर देने पर ऐसी अस्वीकृति, उस कानून को उस दिन, जब अस्वीकृति इस प्रकार प्रतिज्ञापित की गई हो, रद्द कर देगी।

संरक्षित बिलों पर महारानी की प्रसन्नता की सार्थकता

60. महारानी की प्रसन्नता के लिए संरक्षित कोई प्रस्तावित कानून तब तक प्रभावकारी नहीं होगा जब तक उस दिन से दो वर्ष के भीतर, जिस दिन महारानी की संमति के लिए महाराज्यपाल को प्रस्तुत किया गया था, महाराज्यपाल भाषण या संवाद या उद्घोषणा द्वारा संसद के सदनों में से प्रत्येक को प्रतिज्ञापित नहीं करते हैं कि उसे महारानी की संमति प्राप्त हो गई है।

अध्याय II

कार्यपालिका सरकार

कार्यपालिका सरकार

61. राष्ट्रमण्डल की कार्यपालिका शक्ति महारानी में निहित है और महारानी के प्रतिनिधि के रूप में महाराज्यपाल द्वारा प्रयोज्य है, और इस संविधान के और राष्ट्रमण्डल के कानूनों के पोषण (maintenance) और निष्पादन तक विस्तृत है।

संघीय कार्यपालिका परिषद्

62. महाराज्यपाल को सलाह देने के लिए राष्ट्रमण्डल की सरकार में एक संघीय कार्यपालिका परिषद् होगी, और परिषद् के सदस्य महाराज्यपाल द्वारा चुने और आहूत किए जाएँगे और कार्यपालिका सलाहकार (counsellor) के रूप में ग्रहीतशपथ होंगे और उसकी प्रसन्नता तक अपना पद धारण करेंगे।

महाराज्यपाल को निर्देशित उपबन्ध

63. परिषद् सहित महाराज्यपाल को निर्देश करने वाले इस संविधान के उपबन्धों का अर्थ किया जाएगा कि संघीय परिषद् की सलाह से कार्य करने वाला महाराज्यपाल।

राज्य-मंत्री

64. महाराज्यपाल राष्ट्रमण्डल के राज्य के उन विभागों का प्रशासन करने के लिए जिन्हें परिषद् सहित महाराज्यपाल स्थापित करें, अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।

संसद में मंत्रियों का उपवेशन

ऐसे अधिकारी महाराज्यपाल की प्रसन्नता तक अपना पद धारण करेंगे। वे संघीय कार्यपालिका परिषद के सदस्य होंगे और राष्ट्रमण्डल के लिए महारानी के राज्य-मंत्री होंगे।

प्रथम साधारण निर्वाचन के पश्चात् कोई राज्य-मंत्री तीन महीने से अधिक अवधि के लिए अपना पद नहीं धारण करेगा यदि वह कोई सीनेटर या प्रतिनिधि-सदन का कोई सदस्य नहीं है या हो जाता है।

मंत्रियों की संख्या

65. यदि संसद दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, तो राज्य-मंत्रियों की संख्या सात से अनधिक होगी, और वे उन पदों को धारण करेंगे जिन्हें संसद निर्धारित करती है, या, व्यवस्था के अभाव में, जिन्हें महाराज्यपाल निर्देशित करें।

मंत्रियों का वेतन

66. यदि संसद दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, तो राष्ट्रमण्डल की संचित राजस्व निधि से, राज्य-मंत्रियों के वेतन के निमित्त एक वार्षिक राशि, जो बारह हजार पाउंड प्रतिवर्ष से अनधिक होगी, महारानी को देय होगी।

सिविल अधिकारियों की नियुक्ति

67. यदि संसद दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, तो राष्ट्रमण्डल की कार्यपालिका सरकार के सभी दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति और निर्मुक्ति परिषद् सहित महाराज्यपाल में निहित होगी, यदि नियुक्ति परिषद् सहित महाराज्यपाल द्वारा या राष्ट्रमंडल के किसी कानून द्वारा किसी दूसरे प्राधिकारी को सौंपी न गई हो।

मिलिटरी और नौसेनाओं का कमान

68. राष्ट्रमण्डल की मिलिटरी और नौसेना का मुख्य कमान महारानी के प्रतिनिधि के रूप में महाराज्यपाल में निहित है।

कुछ विभागों का अंतरण

69. राष्ट्रमण्डल की स्थापना के पश्चात् महाराज्यपाल द्वारा उद्घोष्य किसी तिथि या तिथियों पर प्रत्येक राज्य में लोकसेवा के निम्नलिखित विभाग राष्ट्रमण्डल को अन्तरित हो जाएँगे :

पोस्ट, टेलीग्राफ और टेलीफोन :
मिलिटरी और नौसेना सुरक्षा :
प्रकाशगृह, प्रकाशनौकाएँ, आकाशदीप, और प्लाव;
संगरोध, (quarantine) :

लेकिन प्रत्येक राज्य में सीमान्त शुल्क और आबकारी शुल्क के विभाग राष्ट्रमण्डल को इसकी स्थापना पर अंतरित हो जाएँगे।

राज्यपालों की कुछ शक्तियाँ महाराज्यपाल में निहित होंगी

70. उन विषयों के संबंध में, जो इस संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रमण्डल की कार्यपालिका सरकार को अन्तरित हैं, सभी शक्तियाँ और कृत्य जो राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर किसी उपनिवेश के राज्यपाल में, या किसी उपनिवेश के राज्यपाल की कार्यपालिका परिषद् की सलाह से उस राज्यपाल में, या किसी उपनिवेश के किसी प्राधिकारी में निहित हैं, महाराज्यपाल में, या परिषद् सहित महाराज्यपाल में, या राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत वैसी ही शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकारी में, यथा स्थिति अपेक्षित हो, निहित होंगे।

अध्याय III

न्यायालय

न्यायिक शक्ति और न्यायालय

71. राष्ट्रमण्डल की न्यायिक शक्ति एक संघीय उच्चतम न्यायालय में निहित होगी जिसे आस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय कहा जाएगा, और दूसरे ऐसे संघीय न्यायालयों में जिन्हें संसद संस्थित करती है, तथा अन्य ऐसे न्यायालयों में जिनको वह संघीय क्षेत्राधिकार के साथ संबलित करती है। उच्च न्यायालय एक प्रधान न्यायाधिपति, और उतने अन्य न्यायाधिपतियों से, जितने संसद निर्धारित करती है, परन्तु दो से कम नहीं, बनेगा।

न्यायाधीश नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक

72. उच्च न्यायालय के और संसद द्वारा संस्थित दूसरे न्यायालयों के न्यायाधिपति :

(i) परिषद् सहित महाराज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएँगे।

(ii) सिद्ध अवचार (misbehaviour) या अक्षमता (incapacity) के आधार पर हटाए जाने के लिए प्रार्थना करते हुए एक ही सत्र में संसद के दोनों सदनों के किसी सम्बोधन पर परिषद् सहित महाराज्यपाल द्वारा हटाए जाने को छोड़कर, हटाए नहीं जाएँगे।

(iii) संसद द्वारा निश्चित पारिश्रमिक पाएँगे लेकिन पारिश्रमिक उनके कार्यकाल में घटाया नहीं जाएगा।

उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार

73. ऐसे अपवाद और नियमन के उपबन्ध सहित जो संसद द्वारा निर्धारित हों, उच्च न्यायालय को सभी फैसलों, डिक्रियों, आदेशों और सजाओं की अपीलों की सुनवाई और निश्चयन का क्षेत्राधिकार होगा :

(i) उच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी न्यायाधिपति या न्यायाधिपतियों के :

(ii) किसी दूसरे संघीय न्यायालय, या संघीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय; या किसी राज्य के उच्चतम

न्यायालय के या किसी राज्य के किसी दूसरे न्यायालय के जिसकी राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर कोई अपील परिषद् सहित महारानी के पास पड़ी हो :

(iii) अन्तर राज्य आयोग के, लेकिन केवल कानूनी प्रश्नों पर :

और ऐसे सभी मामलों में उच्च न्यायालय का फैसला अन्तिम और निश्चायक होगा।

लेकिन संसद द्वारा निर्धारित कोई अपवाद या नियमन उच्च न्यायालय को किसी राज्य के उच्चतम न्यायालय से किसी मामले में, जिसमें राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर कोई अपील किसी ऐसे उच्चतम न्यायालय से परिषद् सहित महारानी के पास पड़ी है, किसी अपील की सुनवाई और निर्धारण का निषेध नहीं करेगा।

यदि संसद दूसरा उपबन्ध नहीं करती है, तो विभिन्न राज्यों के उच्चतम न्यायालयों से परिषद् सहित महारानी के पास अपीलों पर वही शर्त और प्रतिबन्ध लागू होंगे जो उनसे उच्च न्यायालय के पास अपीलों पर लागू होते हैं।

परिषद् सहित महारानी को अपील

74. राष्ट्रमण्डल की संवैधानिक शक्तियों और किसी राज्य या राज्यों की पारस्परिक प्रसीमाओं के लिए या किसी दो या दो से अधिक राज्यों की संवैधानिक शक्तियों की पारस्परिक प्रसीमाओं के लिए किसी प्रकार उठे, किसी प्रश्न पर उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध परिषद् सहित महारानी के पास अपील के लिए तब तक अनुज्ञा न होगी जब तक उच्च न्यायालय प्रमाणित न करे कि प्रश्न ऐसा है जिसे अवश्य ही परिषद् सहित महारानी द्वारा परिनिश्चित किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाणित कर सकता है यदि वह समझता है कि किसी विशेष कारणवश प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए, और तब परिषद् सहित महारानी के पास उस प्रश्न पर बिना किसी और अवकाश के अपील होगी।

इस सेक्शन में जैसा उपबंध है उसके अतिरिक्त, यह संविधान किसी ऐसे अधिकार को न्यून नहीं कर सकता जिसे महारानी अपने राजशाही परमाधिकार के आधार पर उच्च न्यायालय से परिषद् सहित महारानी के पास अपील का विशेष अवकाश स्वीकार करने का प्रयोग करने के लिए प्रसन्न हों। संसद उन मामलों को प्रसीमित करते हुए कानून बना सकती है जिसमें इस प्रकार के अवकाश माँगे जा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रसीमन को धारण करने वाले प्रस्तावित कानून महाराज्यपाल द्वारा महारानी की प्रसन्नता के लिए संरक्षित होंगे।

उच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार

75. उन सभी विषयों में जो

(i) किसी संधि (treaty) के अंतर्गत आते हैं :

(ii) दूसरे देशों के प्रतिनिधियों या वाणिज्यदूतों को अनुभावित करते हैं :

(iii) जिसमें राष्ट्रमण्डल, या राष्ट्रमण्डल की ओर से वाद प्रस्तुत करने वाला कोई व्यक्ति या वाद प्रस्तुत किया जाने वाला कोई पक्षी (party) हो :

(iv) राज्यों के बीच, या विभिन्न राज्यों के निवासियों के बीच, या किसी राज्य और दूसरे राज्य के किसी निवासी के बीच :

(v) जिसमें राष्ट्रमण्डल के किसी अधिकारी के विरुद्ध मैंडमस का कोई लेख या प्रतिषेध लेख या किसी व्यादेश की याचना की गई हो :

उच्च न्यायालय को मौलिक क्षेत्राधिकार होगा।

अतिरिक्त मौलिक क्षेत्राधिकार

76. संसद निम्न विषयों में किसी विषय के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय को मौलिक क्षेत्राधिकार देते हुए कानून बना सकती है :

(i) इस संविधान के अंतर्गत, या इसके निर्वचन के संबंध में उठे प्रश्न पर :

(ii) संसद द्वारा बनाए हुए किसी कानून के अन्तर्गत उठे प्रश्न पर :

(iii) नौ-अधिकरण (admiralty) और समुद्री (maritime) क्षेत्राधिकार :

(iv) विभिन्न राज्यों के कानूनों के अन्तर्गत किए गए दावे के उपर्युक्त विषय-वस्तु से संबंधित प्रश्न पर।

क्षेत्राधिकार पारिभाषन की शक्ति

77. अन्तिम दो सेक्शनों में उल्लिखित विषयों में किसी के संबंध में :

(i) उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सीमा पारिभाषित करते हुए :

(ii) उस विस्तार की सीमा पारिभाषित करते हुए जिसमें किसी संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्यों के न्यायालयों को दिए गए या उसमें निहित क्षेत्राधिकार से निरपेक्ष होगा :

(iii) किसी राज्य के किसी न्यायालय में संघीय क्षेत्राधिकार निवेशित करते हुए :

संसद कानून बना सकती है।

राष्ट्रमण्डल या राज्य के विरुद्ध कार्यवाहियाँ

78. न्यायिक शक्ति की सीमा के भीतर के विषयों के संबंध में किसी राज्य या राष्ट्रमण्डल के विरुद्ध अग्रसर होने का अधिकार प्रदान करते हुए संसद कानून बना सकती है।

न्यायाधीशों की संख्या

79. किसी न्यायालय का संघीय क्षेत्राधिकार उतने न्यायाधीशों द्वारा प्रयुक्त हो सकता है जितनी संख्या संसद निर्धारित करती है।

जूरी द्वारा जाँच

80. राष्ट्रमण्डल के किसी कानून के विरुद्ध किसी अपराध के अभ्यारोपण पर जूरी द्वारा विचार होगा, और ऐसा प्रत्येक विचारण उस राज्य में होगा जहाँ अपराध किया गया हो, और यदि अपराध किसी राज्य के भीतर न किया गया हो तो विचारण उस स्थान (स्थानों) पर होगा जिसे संसद निर्धारित करती है।

अध्याय IV

वित्त और व्यापार

संचित राजस्व निधि

81. इस संविधान द्वारा आरोपित दायित्व और व्ययभार के अधीन और विहित तरीकों से राष्ट्रमण्डल के प्रयोजन के लिए विनियोजित होने के लिए, राष्ट्रमण्डल की कार्यपालिका सरकार द्वारा प्राप्त या उगाहे हुए सभी राजस्व या धन एक संचित राजस्व निधि बनाएँगे।

उस पर भारित व्यय

82. संचित राजस्व निधि की वसूली (collection), प्रबन्ध (managemen) और प्राप्ति के प्रासंगिक परिव्यय (costs), भार, और खर्च उस पर प्रथम व्ययभार होंगे; और राष्ट्रमण्डल का राजस्व सबसे पहले राष्ट्रमण्डल के खर्च की अदायगी में लगाया जाएगा।

धन कानून द्वारा विनियोजित होगा

83. कानून द्वारा विहित विनियोजन के अधीन निकासी को छोड़कर राष्ट्रमण्डल के राजकोष से कोई धन नहीं निकाला जाएगा।

लेकिन जब तक संसद के प्रथम उपवेशन के पश्चात् एक माह की समाप्ति नहीं होती परिषद् सहित महाराज्यपाल राजकोष से धन निकाल सकता है और उतना धन जो संसद का प्रथम निर्वाचन करने के लिए और राष्ट्रमण्डल को अंतरित किसी विभाग के पोषण (maintenance) के लिए आवश्यक हो व्यय कर सकता है।

अधिकारियों का अंतरण

84. यदि किसी राज्य की लोक-सेवा का कोई विभाग राष्ट्रमण्डल को अन्तरित हो जाता है तो उस विभाग के सभी अधिकारी राष्ट्रमण्डल की कार्यपालिका सरकार के नियंत्रण के अधीन आ जाएँगे।

कोई ऐसा अधिकारी जो राष्ट्रमण्डल की सेवा में नहीं प्रतिधारित है, यदि वह राज्य की लोक-सेवा में समोपलब्धि के किसी

दूसरे पद पर नियुक्त नहीं हुआ है, तो उसका पद तोड़ने पर वह राज्य के कानून के अन्तर्गत देय कोई निवृतिका (pension), आनुतोषिक (grat ity) या अन्य प्रतिकर (compensation) राज्य से प्राप्त करने का हकदार होगा।

कोई ऐसा अधिकारी, जो राष्ट्रमण्डल की सेवा में प्रतिधारित है, अपने वर्तमान और प्रोद्भूत (accruing) सभी अधिकारों का परिरक्षण करेगा और समय पर अपने पद से सेवा-निवृत्त होने और उस निवृत्तिका या निवृत्ति भत्ते का हकदार होगा जो वह राज्य के कानून द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होता यदि राष्ट्रमण्डल की उसकी सेवा राज्य की उसकी सेवा से एक साथ लगी होती। उसे इस प्रकार की निवृत्तिका या निवृत्ति भत्ता राष्ट्रमण्डल द्वारा चुकाया जाएगा; लेकिन उसका एक हिस्सा राज्य राष्ट्रमण्डल को चुकाएगा जिसे उस अनुपात पर परिकलित किया जाएगा जो राज्य के अधीन उसकी सेवा की अवधि से उसकी सम्पूर्ण सेवावधि के साथ होता है, और परिकलन के प्रयोजन के के लिए उसका वेतन वह लिया जाएगा जो उसे राज्य द्वारा अन्तरण के समय दिया गया था।

कोई अधिकारी, जो राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर, किसी राज्य की लोक-सेवा में है और जो राज्य के राज्यपाल की सम्मति से उसकी कार्यपालिका परिषद् की सलाह के साथ राष्ट्रमण्डल की लोक-सेवा में अंतरित हुआ है, उन अधिकारों को प्राप्त करेगा मानो वह राष्ट्रमण्डल को अन्तरित किसी विभाग का कोई अधिकारी रहा है और राष्ट्रमण्डल की सेवा में प्रतिधारित हुआ है।

राज्य की सम्पत्ति का अंतरण

85. यदि किसी राज्य की लोक-सेवा का कोई विभाग राष्ट्रमण्डल को अन्तरित हुआ हो तो

(i) विभाग के सिलसिले में ऐकान्तिक रूप से प्रयुक्त राज्य की किसी प्रकार की पूरी सम्पत्ति राष्ट्रमण्डल में निहित हो जाएगी; लेकिन सीमाशुल्क, आबकारी शुल्क और अधिदान (bounties) नियंत्रण करने वाले विभागों के मामले में

केवल उतने समय के लिए जितना परिषद् सहित महाराज्यपाल आवश्यक घोषित करें :

(ii) विभाग के सिलसिले में अनैकान्तिक रूप से प्रयुक्त राज्य की किसी प्रकार की कोई सम्पत्ति राष्ट्रमण्डल अर्जित कर सकता है; उसके विषय में यदि कोई करार न हो सके तो उसका मूल्य, राष्ट्रमण्डल की स्थापना के समय राज्य में प्रचलित कानून के अन्तर्गत राज्य द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ली गई भूमि का मूल्य और भूमि का व्याज जिस ढंग से अभिनिश्चित किया जाता था, यथानिकट, उसी ढंग से अभिनिश्चित किया जाएगा :

(iii) इस सेक्शन के अंतर्गत राष्ट्रमण्डल में संक्रमित किसी संपत्ति के मूल्य के लिए राष्ट्रमण्डल राज्य को प्रतिकर देगा; यदि प्रतिकर के तरीके के विषय में कोई करार न हो सके तो उसे संसद द्वारा बनने वाले कानून के अन्तर्गत निश्चित किया जाएगा :

(iv) अंतरण की तिथि को राष्ट्रमण्डल अन्तरित विभागों के संबंध में राज्य के प्रचलित आभारों को हाथ में ले लेगा।

86. राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर सीमाशुल्क और आबकारी शुल्क का नियंत्रण और वसूली, और अधिदान के चुकते का नियंत्रण, राष्ट्रमण्डल की कार्यपालिका सरकार को अन्तरित हो जाएगा।

87. राष्ट्रमण्डल की स्थापना के पश्चात् दस वर्ष की अवधि के भीतर और उसके पश्चात्, यदि संसद दूसरा उपबंध नहीं करती है तो, सीमाशुल्क और आबकारी शुल्क से राष्ट्रमण्डल के शुद्ध राजस्व के पंचमांश से अनधिक राष्ट्रमण्डल द्वारा अपने खर्च के लिए वार्षिकी लगाया जाएगा।

इस संविधान के अनुसार, अवशेष राशि विभिन्न राज्यों को चुकाई जाएगी या राष्ट्रमण्डल से विभिन्न राज्यों द्वारा लिए गए कर्ज के व्याज के चुकते में लगाई जाएगी।

सीमान्त पर एक-समान शुल्क

88. राष्ट्रमण्डल की स्थापना के पश्चात् दो वर्ष के भीतर सीमान्तों पर एकसमान शुल्क आरोपित होंगे।

एकसमान शुल्क आरोपण से पूर्व राज्यों को भुगतान

89. जब तक सीमान्त पर एकसमान शुल्क का आरोपण नहीं होता :

(i) राष्ट्रमण्डल प्रत्येक राज्य के खाते में उस राज्य से राष्ट्रमण्डल द्वारा एकत्रित राजस्व जमा करेगा :

(ii) राष्ट्रमण्डल प्रत्येक राज्य के खाते में

(क) एकमात्र उसके पोषण या स्थिरता (continuance) के लिए किया गया राष्ट्रमण्डल का खर्च लिखेगा जैसा अन्तरण के समय राष्ट्रमण्डल को अन्तरित राज्य के किसी विभाग के लिए व्यवस्थित हो।

(ख) राज्य की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रमण्डल के दूसरे खर्च में राज्य का हिस्सा जमा करेगा।

(iii) राष्ट्रमण्डल प्रत्येक राज्य को मासानुमास (माहवार) राज्य के खाते में बकाया (यदि कोई हो) चुकाएगा।

सीमाशुल्क, आबकारी शुल्क और अधिदान पर ऐकान्तिक शक्ति

90. सीमान्त पर एकसमान शुल्क आरोपण के पश्चात् मालों के निर्यात और उत्पादन पर सीमाशुल्क और आबकारी शुल्क का आरोपण और अधिदान स्वीकार करने की शक्ति संसद को ऐकान्तिक रूप से हो जाएगी।

सीमा पर एकसमान शुल्क आरोपण के पश्चात् विभिन्न राज्यों के मालों के निर्यात या उत्पादन पर सीमान्त शुल्क या आबकारी शुल्क आरोपित करने वाले या अधिदान देने वाले सभी कानूनों का प्रभावकारी होना बन्द हो जाएगा, लेकिन किसी राज्य की सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत या उसके द्वारा कानूनी ढंग से बनाए हुए किसी ऐसे अधिदान के लिए कोई करार या कोई अनुदान यदि सन् एक हजार आठ सौ अठानबे के जून के तीसवें दिन से पहले किया गया हो तो मान्य समझा जाएगा परन्तु किसी अन्य ढंग से नहीं मान्य होगा।

अधिदानों के संबंध में अपवाद

91. इस संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी राज्य को सोना, चाँदी या दूसरी धातुओं की खुदाई पर कोई सहायता देने या अधिदान स्वीकार करने का निषेध करता हो और न तो

राष्ट्रमण्डल की संसद के दोनों सदनों की सम्मति से मालों के निर्यात या उत्पादन पर प्रस्ताव द्वारा अभिव्यक्त कोई सहायता देने या अधिदान स्वीकार करने का निषेध करता है।

राष्ट्रमण्डल के भीतर निःशुल्क व्यापार

92. सीमान्त पर एकसमान शुल्क आरोपण के पश्चात् राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और आदान-प्रदान (inter-course), चाहे आन्तरिक यान या समुद्री नौचालन द्वारा, ऐकान्तिक रूप से निःशुल्क होगा।

लेकिन इस संविधान में किसी बात के होते, एकसमान सीमान्त शुल्क आरोपण से पहले किसी राज्य में या किसी उपनिवेश में, जो, जब तक माल उसमें रहता है, कोई राज्य हो जाता है, निर्यात किए हुए माल पर, तत्पश्चात् एकसमान शुल्क के आरोपण के बाद दो वर्ष के भीतर दूसरे राज्य में पास होने पर राष्ट्रमण्डल में ऐसे माल के निर्यात पर चुकाए जाने वाले किसी शुल्क को उस माल के संबंध में चुकाया गया शुल्क काटकर शेष राशि देय होगी।

एकसमान टैरिफ के पश्चात् पाँच वर्ष के लिए राज्यों को भुगतान

93. सीमान्त पर एकसमान सीमान्त शुल्क आरोपण के पश्चात् पहले पाँच वर्ष तक; और उसके पश्चात् जब तक संसद दूसरी व्यवस्था नहीं करती है:

(i) उपभोग के लिए किसी राज्य में निर्यात किए हुए माल पर और उसके पश्चात् दूसरे राज्य में पास होने पर, और किसी राज्य में उत्पादित या तैयार माल पर चुकाए हुए और उसके पश्चात् उपभोग के लिए दूसरे राज्य में पास होने पर उत्पाद शुल्कों को पहले राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्य में एकत्रित किया हुआ माना जाएगा।

(ii) अन्तिम उप-सेक्शन के अधीन, राष्ट्रमण्डल राज्य खाते में राजस्व आकलित, खर्च विकलित करेगा, और सीमान्त पर एकसमान शुल्क आरोपण से पूर्ववर्ती अवधि के लिए, जैसा निर्धारित हो उस ढंग से, शेष राशि विभिन्न राज्यों को चुकाएगा।

आयाधिक्य का वितरण

94. सीमान्त पर एकसमान शुल्क आरोपण से पाँच वर्ष बाद संसद उस आधार पर जो उसे न्यायसंगत प्रतीत हो राष्ट्रमण्डल का पूरा आयाधिक्य राजस्व विभिन्न राज्यों को मासिक भुगतान के लिए व्यवस्था कर सकती है।

पश्चिमी आस्ट्रेलिया के सीमा-शुल्क

95. इस संविधान में किसी बात के होते, पश्चिमी आस्ट्रेलिया राज्य की संसद, यदि वह राज्य मौलिक राज्य है तो, सीमान्त पर एकसमान शुल्क आरोपण के पश्चात् प्रथम पाँच वर्ष की अवधि में उस राज्य में पास होने वाले और राष्ट्रमण्डल की प्रसीमा के बाहर से मूलरूप से आयात न किए हुए माल पर सीमान्तशुल्क आरोपित कर सकती है; और ऐसा शुल्क राष्ट्र-मण्डल द्वारा एकत्रित किया जाएगा।

लेकिन किसी माल पर इस प्रकार आरोपित कोई शुल्क एक-समान शुल्क आरोपण के समय पश्चिमी आस्ट्रेलिया में प्रभावी कानून के अन्तर्गत मालों पर उक्त वर्षों के प्रथम वर्ष में आदेय शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए, और उक्त वर्षों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ष में क्रमशः ऐसे परवर्ती शुल्क का चार-पंचमांश, तीन-पंचमांश, दो-पंचमांश, और एक-पंचमांश से अधिक नहीं होना चाहिए, और इस सेक्शन के अन्तर्गत आरोपित सभी शुल्क एकसमान शुल्क आरोपण के पश्चात् पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाएँगे।

यदि पाँच वर्ष की अवधि में किसी समय इस सेक्शन के अंतर्गत किसी माल पर शुल्क उसी प्रकार के माल के आयात पर राष्ट्रमण्डल द्वारा आरोपित शुल्क से उच्चतर हो तो उस माल पर उच्चतर शुल्क एकत्रित किया जाएगा यदि राष्ट्रमण्डल की प्रसीमाओं के बाहर से पश्चिमी आस्ट्रेलिया में उसका आयात किया गया हो।

राज्यों को वित्तीय सहायता

96. राष्ट्रमण्डल की स्थापना के पश्चात् दस वर्ष की अवधि में और उसके पश्चात्, जब तक संसद दूसरा उपबंध नहीं करती है, संसद किसी राज्य को ऐसे निबंधन और शर्तों पर जैसा संसद उपयुक्त समझती है, वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकती है।

97. यदि संसद दूसरा उपबंध नहीं करती है, तो किसी उपनिवेश में, जो राज्य हो गया है या हो जाता है, उस उपनिवेश की सरकार के मध्ये राजस्व की प्राप्ति और धन के व्यय के संबंध में, और ऐसी प्राप्ति और व्यय-भार की समीक्षा और लेखा-परीक्षण के संबंध में प्रवृत्त कानून राज्य में राष्ट्रमण्डल के मध्ये राजस्व की प्राप्ति और धन के व्यय के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे; और जैसे उपनिवेश, उपनिवेश की सरकार या किसी अधिकारी को संबोधित किया जाता था वैसे ही राष्ट्रमण्डल या राष्ट्रमण्डल की सरकार या किसी अधिकारी को संबोधित किया जाएगा। **लेखा-परीक्षण**

98. व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संसद की विधान शक्ति नौपरिवहन, जहाजरानी और किसी राज्य की संपत्ति, रेलवे, तक विस्तृत है। **व्यापार और वाणिज्य के अन्तर्गत नौ-परिवहन और राज्य-रेलवे भी हैं**

99. राष्ट्रमण्डल व्यापार, वाणिज्य, या राजस्व के किसी नियम या कानून द्वारा किसी राज्य या उसके किसी हिस्से को दूसरे राज्य या उसके हिस्से पर वरीयता नहीं देगा। **राष्ट्रमण्डल वरीयता न देगा**

100. राष्ट्रमण्डल व्यापार या वाणिज्य के किसी नियम या कानून द्वारा किसी राज्य या उसके निवासियों का सिचाई या संरक्षण के लिए नदियों के जल के उचित उपयोग का अधिकार न्यून नहीं हो सकता है। **न तो जलों के उपयोग का अधिकार न्यून करेगा**

101. न्यायनिर्णय और प्रशासन की ऐसी शक्ति के साथ जिसे संसद राष्ट्रमण्डल के भीतर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित इस संविधान की व्यवस्थाओं और उसके अन्तर्गत निर्मित कानूनों के पोषण (main enance) और निष्पादन के लिए आवश्यक समझती है, एक अन्तर राज्य आयोग होगा। **अन्तर राज्य आयोग**

राज्यों द्वारा वरीयता संसद निषिद्ध कर सकती है

102. किसी राज्य द्वारा अपनी रेलवे के पोषण और निर्माण के संबंध में व्यय किए हुए वित्त के उत्तरदायित्व के प्रति उचित आदर रखते हुए संसद रेलवे से संबंधित व्यापार या वाणिज्य के संबंध में किसी राज्य द्वारा या राज्य के अन्तर्गत संगठित किसी प्राधिकार द्वारा किसी वरीयता या विभेद को कानून द्वारा निषिद्ध कर सकती है यदि किसी राज्य को ऐसी वरीयता या विभेद अनुचित (undue) और अयुक्त (unreasonable) या अन्यायपूर्ण हो। इस सेक्शन के निर्वचन के अन्तर्गत किसी राज्य को कोई वरीयता या विभेद अनुचित और अयुक्त या अन्यायपूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक अन्तर राज्य आयोग द्वारा इस प्रकार का निर्णय न दिया गया हो।

आयुक्त की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक

103. अन्तर राज्य आयोग के सदस्य

(i) परिषद् सहित महाराज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएँगे;

(ii) सात वर्ष के लिए अपना पद ग्रहण करेंगे परन्तु एक ही सत्र में संसद के दोनों सदनों से सिद्ध अवचार या अक्षमता के आधार पर हटाए जाने की प्रार्थना के साथ किसी सम्बोधन पर परिषद् सहित महाराज्यपाल द्वारा उस अवधि के भीतर भी हटाए जा सकते हैं :

(iii) उतना पारिश्रमिक पाएँगे जितना ससद निश्चित करती है परन्तु ऐसा पारिश्रमिक पद पर उनके बने रहने की अवधि में कम नहीं किया जाएगा।

विशेष दरों की व्यावृत्ति savings of certain rates

104. इस संविधान में कुछ ऐसा नहीं है जो किसी राज्य की सम्पत्ति, किसी रेलवे, पर मालों के परिवहन के लिए कोई दर अवैध कर दे, यदि उस दर को अन्तर राज्य आयोग द्वारा उस राज्य के भूक्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक समझा गया है, और यदि वह दर राज्य के भीतर मालों पर और दूसरे राज्य से उस राज्य में निर्यात होने वाले मालों पर समानरूप से लागू होती है।

राज्यों के राज्य-ऋणों को अधिकार में लेना 1910 के के नं०3 से. 2 द्वारा परिवर्तित

105. संसद राज्यों से उनके सार्वजनिक ऋणों में से राष्ट्रमण्डल की अधुनातन सांख्यिकी द्वारा प्रदर्शित उस राज्य की जनसंख्या के समानुपात में एक भाग अधिकार में ले लेगी, और ऐसे ऋण या उसके किसी हिस्से को संपरिवर्तित (convert), नवीकृत या समेकित (consolidate) कर सकती है; और राज्य अधिकृत ऋण के संबंध में राष्ट्रमण्डल को तारण देगा (indemnify), और उसके पश्चात् ऋणों के लिए देय व्याज राष्ट्रमण्डल द्वारा विभिन्न राज्यों को देय राष्ट्रमंडल के आयाधिक्य राजस्व के हिस्से में से काट लिया जाएगा या रोक लिया जाएगा, या यदि उक्त आयाधिक्य अपर्याप्त हो या यदि कुछ भी आयाधिक्य न हो तो घटती या पूरी राशि विभिन्न राज्यों द्वारा चुकाई जाएगी।

राज्य ऋणों के सम्बन्ध में करार। नं० 1, 1929,से०2 द्वारा निवेशित

105. (1) राष्ट्रमण्डल राज्यों के साथ राज्यों के लोकऋणों के सम्बन्ध में निम्नलिखित को सम्मिलित कर करार कर सकता है :-

(क) राष्ट्रमण्डल द्वारा ऐसे ऋण का अधिकार ग्रहण;

(ख) ऐसे ऋण का प्रबन्ध;

(ग) ऐसे ऋण के संबन्ध में व्याज की भुगतान और शोधन-निधि (sinking fund) का उपबन्ध और व्यवस्था;

(घ) ऐसे ऋण का समेकन, नवीयन, संपरिवर्तन और विमोचन (redemption);

(च) राष्ट्रमण्डल द्वारा अधिकार में लिए गए ऋण के सम्बन्ध में राज्य द्वारा राष्ट्रमण्डल को क्षतिपूरण (indemnification); और

(छ) राज्यों द्वारा या राष्ट्रमण्डल द्वारा, या राज्य के लिए राष्ट्रमण्डल द्वारा धन उधारण।

(2) इस सेक्शन के समारम्भ से पहले किए गए किसी ऐसे करार को वैध करने के लिए संसद कानून बना सकती है।

(3) किसी ऐसे करार को उसके पक्षकारों द्वारा वहन करने के लिए संसद कानून बना सकती है।

(4) कोई ऐसा करार उसके पक्षकारों द्वारा परिवर्तित या विखंडित हो सकता है।

(5) ऐसा प्रत्येक करार और उसका ऐसा कोई परिवर्तन राष्ट्रमण्डल और उसके पक्षकारी राज्यों पर इस संविधान में या विभिन्न राज्यों के संविधान में या राष्ट्रमण्डल की संसद या किसी राज्य के किसी कानून में सन्निहित किसी बात के बावजूद बन्धनकारी होगा।

(6) इस सेक्शन द्वारा दी गई शक्ति का यह अर्थ नहीं किया जाएगा कि उसे इस संविधान के सेक्शन एक सौ पाँच की व्यवस्थाओं द्वारा किसी प्रकार सीमित किया गया है।

अध्याय V

राज्य

संविधानों की व्यावृत्ति

106. इस संविधान के अधीन, राष्ट्रमण्डल के प्रत्येक राज्य का संविधान वैसे ही प्रवृत्त रहेगा जैसे राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर, या राज्य के निवेशन या स्थापना पर, यथा स्थिति, प्रवृत्त था, यदि उसे राज्य के संविधान के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जाता।

राज्य संसदों की शक्तियों की व्यावृत्ति

107. किसी ऐसे उपनिवेश की संसद की सभी शक्तियाँ जो कोई राज्य हो गया है या होता है, यदि उन्हें इस संविधान द्वारा ऐकान्तिक रूप से राष्ट्रमण्डल की संसद में निहित न किया गया हो या राज्य की संसद से प्रतिसंहृत न किया गया हो, तो जैसे राष्ट्रमण्डल की स्थापना पर, या राज्य के निवेशन या स्थापना पर प्रवृत्त थीं, यथा स्थिति, वैसे ही प्रवृत्त रहेंगी।

राज्य कानूनों की व्यावृत्ति

108. किसी उपनिवेश में, जो कोई राज्य हो गया है या होता है, प्रवृत्त प्रत्येक कानून, और राष्ट्रमण्डल की संसद की शक्ति के भीतर किसी विषय से संबन्धित कानून, इस संविधान के अधीन, राज्य में प्रवर्तनशील रहेंगे : और, जब तक राष्ट्रमण्डल

की संसद द्वारा उसके स्थान पर व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक किसी ऐसे कानून के सम्बन्ध में, जो उपनिवेश की संसद में निहित है, यदि उपनिवेश कोई राज्य नहीं हो जाता है, निरसन और परिवर्तन की शक्ति राज्य-संसद के पास रहेगी।

कानून की असंगति

109. यदि किसी राज्य का कोई कानून राष्ट्रमण्डल के कानून के साथ असंगत हो तो दूसरा अभिभावी होगा और असंगति के विस्तार तक पहला अवैध होगा।

राज्यपाल की निर्देशित व्यवस्थाएँ

110. किसी राज्य के राज्यपाल से सम्बन्धित इस संविधान की व्यवस्थाएँ राज्य के तत्कालीन राज्यपाल, या राज्य की सरकार के दूसरे प्रधान कार्यपलिका अधिकारी या प्रशासक तक विस्तृत और लागू होंगी।

राज्य भूक्षेत्र समर्पित कर सकते हैं।

111. किसी राज्य की संसद उस राज्य का कोई हिस्सा राष्ट्रमण्डल को समर्पित कर सकती है; और इस प्रकार समर्पण पर, और राष्ट्रमण्डल द्वारा उसके प्रतिग्रहण (acceptance) पर, राज्य का वह हिस्सा राष्ट्रमण्डल के ऐकान्तिक क्षेत्राधिकार के अधीन हो जाएगा।

राज्य निरीक्षण कानून के लिए व्ययभार लगा सकता है।

112. सीमान्त पर एकसमान शुल्क आरोपित हो जाने के पश्चात्, कोई राज्य माल के आयात या निर्यात पर, या राज्य में या राज्य के बाहर माल अन्तरित होने पर, ऐसा व्ययभार लगा सकता है जो राज्य के निरीक्षण कानून के निष्पादन के लिए आवश्यक हो; लेकिन इस प्रकार आरोपित सम्पूर्ण व्ययभार का निबल (net) उत्पादन राष्ट्रमण्डल के उपयोग के लिए होगा; और कोई ऐसा निरीक्षण कानून राष्ट्रमण्डल की संसद द्वारा रद्द किया जा सकेगा।

मादक द्रव

113. किसी राज्य में अन्तरित होने वाले या उपयोग, उपभोग, विक्रय या एकत्रण के लिए उसमें रखे गए सभी किण्वित (fermented), आसुत (distilled) या दूसरे मादक द्रव राज्य के कानून के अधीन समझे जाएँगे मानो उन द्रवों का उत्पादन राज्य में किया गया है।

राज्य सेनाएँ नहीं बढ़ा सकते।

114. राष्ट्रमण्डल की संसद की संमति बिना, कोई राज्य किसी नौ-सेना या मिलिट्री शक्ति में वृद्धि (raise) या उसका पोषण नहीं कर सकता है, या राष्ट्रमण्डल के स्वाम्य के अधीन किसी सम्पत्ति पर करभार आरोपित नहीं कर सकता है, न तो राष्ट्रमण्डल किसी राज्य के स्वाम्य के अधीन किसी सम्पत्ति पर कोई करभार आरोपित कर सकता है।

राज्य या राष्ट्रमण्डल की सम्पत्ति पर करभार

राज्यों द्वारा धन के लिए सिक्के न ढालना

115. कोई राज्य धन के लिए सिक्कों की ढलाई नहीं करेगा; और न तो सुवर्ण और रजत सिक्के के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को ऋण की भुगतान में वैध निविदा बनाएगा।

राष्ट्रमण्डल का धर्म के संबंध में विधिकारी न करना

116. राष्ट्रमण्डल किसी धर्म की स्थापना के लिए, या कोई धार्मिक अनुपालन आरोपित करने के लिए, या किसी धर्म के स्वतंत्र अभ्यास (exercise) का निषेध करने के लिए कोई कानून नहीं वना सकता है, और राष्ट्रमण्डल के अधीन किसी पद वा लोकन्यास के लिए कोई धार्मिक रुचि अर्हता के रूप में अपेक्षित नहीं होगी।

राज्य निवासियों के अधिकार

117. महारानी की कोई प्रजा, जो किसी राज्य की निवासी हो, किसी दूसरे राज्य में किसी ऐसी निर्योग्यता (disability) या विभेद (discrimina ion) का पात्र नहीं होगी जो उस पर उसी प्रकार लागू नहीं होता जिस प्रकार किसी दूसरे राज्य की निवासी, महारानी की प्रजा पर, लागू होता है।

राज्य-कानून, आदि की मान्यता

118. प्रत्येक राज्य के कानून, लोक अधिनियम और अभिलेख (records) और न्यायिक कार्यवाही को, सम्पूर्ण राष्ट्रमण्डल में, पूर्ण विश्वास और प्रत्यय (credit) दिया जाएगा।

आक्रमण और विद्रोह से राज्य की सुरक्षा

119. राष्ट्रमण्डल प्रत्येक राज्य को आक्रमण से, और राज्य की कार्यपालिका सरकार के प्रवर्तन पर गृह हिंसा से सुरक्षा करेगा।

120. प्रत्येक राज्य राष्ट्रमण्डल के कानून के विरुद्ध किसी अपराध में अभिशस्त या अपराधी व्यक्ति को अपने हिरासत में निरोध के लिए और ऐसे अपराध के अपराधी व्यक्ति की सजा के लिए व्यवस्था करेगा, और राष्ट्रमण्डल की संसद उस व्यवस्था को प्रभाव देने के लिए कानून बना सकती है। **राष्ट्रमण्डल के कानून के विरुद्ध अपराधियों की हिरासत**

अध्याय VI

नए राज्य

121. संसद नए राज्यों को राष्ट्रमण्डल में निवेशित कर सकती है या स्थापित कर सकती है, और उनके निवेशन या स्थापना पर ऐसे निबंध और शर्तें निर्मित और आरोपित कर सकती है जो उसे उचित प्रतीत हों, इसके अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का प्रसीमन भी है। **नए राज्य निवेशित या स्थापित किए जा सकते हैं।**

122. किसी राज्य द्वारा राष्ट्रमण्डल को समर्पित और राष्ट्रमण्डल द्वारा स्वीकृत किसी भूक्षेत्र की सरकार, या महारानी द्वारा राष्ट्रमण्डल के प्राधिकार के अन्तर्गत रखे गए और राष्ट्रमण्डल द्वारा स्वीकृत किसी भूक्षेत्र की सरकार, या किसी अन्य प्रकार से राष्ट्रमण्डल द्वारा अर्जित भूक्षेत्र की सरकार के लिए संसद कानून बना सकती है, और ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों पर जो उसे संगत लगें, संसद के किसी सदन में ऐसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर सकती है। **भूक्षेत्रों की सरकार**

123. किसी राज्य-संसद की सहमति से, और प्रश्न पर मत देने वाले राज्य निर्वाचकों के बहुमत के अनुमोदन पर, राष्ट्रमण्डल की संसद ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जो परस्पर सम्मत हों, राज्य-सीमा बढ़ा, घटा या किसी अन्य प्रकार से परिवर्तित कर सकती है, और उसी प्रकार की सहमति से किसी अनुभावित राज्य के संबंध में भूक्षेत्र के किसी बढ़ाव, घटाव या परिवर्तन के प्रवर्तन (operation) और प्रभाव के प्रति आदरपूर्वक उपबंध कर सकती है। **राज्य सीमा परिवर्तन**

नए राज्यों का निर्माण

124. केवल किसी राज्य की संसद की सहमति सहित उसके किसी भूक्षेत्र के अलगाव से कोई नया राज्य निर्मित किया जा सकता है, और केवल अनुभावित राज्यों की संसदों की सहमति सहित दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों के समेकन से कोई नया राज्य बनाया जा सकता है।

अध्याय VII

विविध

सरकार की सीट

125. राष्ट्रमण्डल सरकार का स्थान संसद द्वारा निश्चित किया जाएगा, और उस भूक्षेत्र के अन्दर होगा जो राष्ट्रमण्डल को दिया गया हो या उसके द्वारा अर्जित किया गया हो, तथा वह भूक्षेत्र राष्ट्रमण्डल में निहित होगा तथा उसके स्वाम्य में होगा, और न्यू साउथ वेल्स राज्य में होगा, और सिडनी से कम-से-कम सौ मील से कम दूर न होगा।

इस प्रकार के राज्यक्षेत्र में कम-से-कम सौ वर्गमील क्षेत्र समाविष्ट होगा, और उसका वह भाग जो क्राउन की भूमि है, राष्ट्रमण्डल को उसके स्थान के लिए बिना किसी भुगतान के दिया जाएगा।

संसद तब तक मेलबोर्न में बैठेगी जब तक वह सरकार की सीट पर नहीं बैठती।

प्रतिनियुक्त नियुक्त करने के लिए महाराज्यपाल को अधिकृत करने का महिमामयी महारानी की शक्ति

126. महारानी किसी व्यक्ति, या किन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित रूप से या अलग अलग, राष्ट्रमण्डल के किसी हिस्से के अन्तर्गत अपना प्रतिनियुक्त या अपने प्रतिनियुक्त होने के लिए नियुक्त करने के लिए; और उस क्षमता में महारानी द्वारा दिए गए निर्देशनों या किन्हीं उल्लिखित प्रसीमाओं के अधीन महाराज्यपाल की प्रसन्नता तक उसकी ऐसी शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग के लिए जिन्हें की वह ऐसे प्रतिनियुक्त या प्रतिनियुक्तों को सौंपना उचित समझे, महाराज्यपाल को अधिकृत कर सकती है, लेकिन ऐसे प्रतिनियुक्त या प्रतिनियुक्तों की नियुक्ति स्वयं महाराज्यपाल द्वारा किसी शक्ति या कृत्य के प्रयोग को अनुभावित नहीं करेगी।

127. राष्ट्रमण्डल की, या किसी राज्य की या राष्ट्रमण्डल के दूसरे हिस्से की जनता की संख्या गिनने में आदिवासी निवासी नहीं गिने जाएँगे।

जनगणना में आदिवासी जातियाँ नहीं गिनी जाएँगी

अध्याय VIII

संविधान का परिवर्तन

128. निम्नलिखित तरीके के बिना यह संविधान परिवर्तित नहीं होगा :

संविधान बदलने की रीति

संविधान के परिवर्तन के लिए प्रस्तावित कानून अवश्यमेव संसद के प्रत्येक सदन के ऐकान्तिक बहुमत से पारित होना चाहिए, और दोनों सदनों से गुजरने के पश्चात् कम-से-कम दो माह और अधिक-से-अधिक छः माह के अन्दर प्रस्तावित कानून प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के निर्वाचन पर मत देने के लिए अर्ह निर्वाचकों के सम्मुख रखा जाएगा।

लेकिन यदि कोई सदन किसी ऐसे प्रस्तावित कानून को ऐकान्तिक बहुमत से पारित करता है, और दूसरा सदन उसे अस्वीकार करता है या पारित करने में असफल होता है या किसी ऐसे संशोधन के साथ पारित करता है जिससे पूर्वोक्त सदन सहमत नहीं होगा, और यदि तीन माह की अवधि के पश्चात् पूर्वोक्त (प्रथमतः उल्लिखित) सदन उसी सत्र में या किसी दूसरे सत्र में प्रस्तावित कानून ऐसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करता है जिससे दूसरा सदन सहमत है या बनाया है, और ऐसा दूसरा सदन उसे रद्द करता है या पारित करने में असफल होता है या ऐसे संशोधन के साथ पारित है जिससे पूर्वोक्त सदन सहमत नहीं होगा तो महाराज्यपाल पूर्वोक्त सदन द्वारा अन्तिम रूप से प्रस्तावित कानून को, और तत्पश्चात् दोनों सदनों द्वारा सहमत किसी संशोधन सहित या बिना संशोधन के, प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधिसदन के निर्वाचन पर मत देने से लिए अर्ह निर्वाचकों के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।

344-A
34

यदि कोई प्रस्तावित कानून निर्वाचकों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया हो तो मतदान ऐसे ढंग से किया जाएगा जैसा संसद निर्धारित करती है। लेकिन जब तक सम्पूर्ण राष्ट्रमण्डल में प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के निर्वाचकों की अर्हता एकसमान नहीं हो जाती, किसी राज्य में, जहाँ वयस्क मताधिकार प्रचलित है या अभिभावी है, प्रस्तावित कानून के विपक्ष और पक्ष में मत देने वाले निर्वाचकों का केवल आधा ही गिना जाएगा।

और यदि राज्यों में से अधिकांश में मत देने वाले निर्वाचकों का बहुमत प्रस्तावित कानून का अनुमोदन करता है, और यदि मत देने वाले सभी निर्वाचकों का बहुमत भी प्रस्तावित कानून का अनुमोदन करता है तो उसे महारानी की संमति के लिए महा-राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा।

संसद के किसी सदन में किसी राज्य के प्रतिनिधित्व का समानुपात न्यून करने वाला, या प्रतिनिधि-सदन में किसी राज्य के प्रतिनिधियों की अल्पतम संख्या न्यून करने वाला, या राज्य-सीमा बढ़ाने, घटाने या दूसरे प्रकार से बदलने वाला, या उसके संबंध में संविधान के उपबन्धों को किसी तरीके से अनुभावित करने वाला कोई परिवर्तन कानून नहीं होगा, यदि उस राज्य में मत देने वाले निर्वाचकों का बहुमत प्रस्तावित कानून का अनुमोदन नहीं करता है।

अनुसूची

शपथ

सेक्शन 42

मैं·····अमुक·····शपथ लेता हूँ कि मैं महिमामयी महारानी विक्टोरिया, कानून के अनुसार उनके दायादों और उत्तराधिकारियों के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। इसलिए, परमात्मा ! मेरी सहायता करो।

प्रतिज्ञान

मैं····· अमुक·····सत्यनिष्ठा और सद्भावनापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि मैं महिमामयी महारानी विक्टोरिया, कानून के अनुसार उनके दायादों और उत्तराधिकारियों के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा।

(टिप्पणी—आयरलैण्ड और ग्रेट ब्रिटेन के संयुक्तराज की तत्कालीन महारानी या महाराजा का नाम यथा-समय रखा जाएगा।)

वेस्टमिंस्टर अभिग्रहण अधिनियम 1942 की संविधि

1942 का 56वाँ

जर्मनी और महामहिम महाराजा के बीच युद्ध छिड़ जाने के कारण राष्ट्रमण्डल (कामनवेल्थ) के कुछ विधानों के मार्ग (passage) में आनेवाले विलम्बों के परिहार के लिए, और तत्सम्बन्धी कुछ प्रयोजनों के प्रभाव के लिए सन् 1931 ई० की वेस्टमिंस्टर संविधि की कुछ धाराओं के ग्रहण द्वारा राष्ट्रमंडल के कुछ विधानों की मान्यता विषयक संदेहों को दूर करने के लिए अधिनियम। **(9 अक्टूबर, 1942 को अनुमति प्राप्त)**

आमुख

जब कि कुछ ऐसी कानूनी कठिनाइयाँ वर्तमान हैं जिनके कारण राष्ट्रमंडल के कुछ विधानों के प्रति, और उसके अधीन निर्मित कुछ विनिमयों के प्रति, विशेषतः आस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल की प्रतिरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, और अधिकाधिक प्रभावी युद्ध-चालन के लिए, जिसमें महामहिम महाराजा व्यस्त हैं, अधिनियमित विधान के प्रति और निर्मित विनिमयों के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ है और विलम्ब हुआ है :

और जब कि ऐसी कानूनी कठिनाइयाँ आस्ट्रेलिया की राष्ट्रमंडलीय संसद द्वारा 1931 की वेस्टमिंस्टर संविधि की दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी धाराओं के ग्रहण से और ऐसा अभिग्रहण परमश्रेष्ठ महामहिम महाराजा और जर्मनी के बीच युद्ध प्रारम्भ होने के समय से प्रभावपूर्ण बनाने से दूर हो जाएँगी :

इसलिए यह परमश्रेष्ठ महामहिम महाराजा, सीनेट, और आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल के प्रतिनिधि-सदन द्वारा अधोलिखित रूप में अधिनियमित हो :

संक्षिप्त शीर्षक

1. यह अधिनियम 'वेस्टमिंस्टर अभिग्रहण अधिनियम 1942 की संविधि', शीर्षक से उद्धृत किया जाएगा।

समारम्भ

2. यह अधिनियम उस दिन प्रवर्तनशील होगा जिस दिन इस पर सम्राट की अनुमति प्राप्त हो जाएगी।

3. सन् 1931 ई० की वेस्टमिंस्टर संविधि शीर्षक से निर्दिष्ट साम्राज्य अधिनियम की दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी धाराएँ (जो इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित हैं) ग्रहण की गई हैं, और यह अभिग्रहण सन् एक हजार नौ सौ उनतालिस ई० के सितम्बर माह के तीसरे दिन से प्रभावकारी होगा। **1931 की वेस्टमिंस्टर संविधि का अभिग्रहण.**

अनुसूची

सेक्सन 3

वेस्टमिंस्टर संविधि (statute), 1931.

सन् 1926 ई० और 1930 ई० के साम्राज्य सम्मेलनों में पारित कुछ प्रस्तावों को प्रभावकारी बनाने के लिए अधिनियम।

(11 दिसम्बर, 1931)

जब कि संयुक्त राज (United Kingdom), कनाडा की डोमिनियन, आस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल, न्यूजीलैंड की डोमिनियम, दक्षिणी अफ्रिका का संघ, आयरिस फ्रीस्टेट और न्यूफाउंडलैंड में महामहिम की सरकारों के प्रतिनिधियों ने इसवीय सन् एक हजार नौ सौ छब्बीस और एक हजार नौ सौ तीस में वेस्टमिंस्टर में हुए साम्राज्य सम्मेलनों में उक्त सम्मेलनों के प्रतिवेदनों में उल्लिखित घोषणाओं और प्रस्ताओं के निर्माण में सहमति दी है :

और जब कि इस अधिनियम के आमुख के रूप में यह उल्लिखित करना संगत और समुचित है कि चूँकि 'क्राउन' ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के राष्ट्रों के सदस्यों की स्वाधीन संस्था का प्रतीक है, और चूँकि वे क्राउन के प्रति सामान्य निष्ठा से संघटित हैं इसलिए यह राष्ट्रमंडल के सभी सदस्यों की एक दूसरे के संबंध में स्थापित संविधानी स्थिति के अनुकूल होगा कि राज्यसिंहासन के उत्तराधिकार या साम्राज्य की रीति और उपाधि संबंधी कानूनों में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए जैसे संयुक्तराज-संसद की संमति अपेक्षित थी वैसे ही, इसके पश्चात्, सभी डोमिनियम-संसदों की संमति अपेक्षित होगी :

और जब कि यह संस्थापित संविधानी स्थिति के अनुकूल है कि इसके पश्चात् संयुक्तराज-संसद द्वारा निर्मित कोई कानून किसी डोमिनियन की प्रार्थना और सहमति के अतिरिक्त उपर्युक्त डोमिनियनों में से किसी डोमिनियन के कानून के अंग के रूप के उस (डोमिनियन) में नहीं विस्तृत होगा :

और जब कि उपर्युक्त सम्मेलन में कथित कुछ घोषणाओं और प्रस्तावों के अनुसमर्थन, पुष्टिकरण और संस्थापन के लिए यह आवश्यक है कि संयुक्तराज की संसद के प्राधिकार द्वारा सम्यक् रूप से एक कानून निर्मित और अधिनियमित हो :

और जब कि कनाडा की डोमिनियन, आस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल, न्यूजीलैंड की डोमिनियन, दक्षिणी अफ्रिका का संघ, आयरिश फ्रीस्टेट और न्यूफाउंडलैंड ने पूर्वोक्त विषयों के संबंध में ऐसा उपबन्ध निर्मित करने के लिए, जैसा इसके पश्चात् इस अधिनियम में समाविष्ट है, संयुक्तराज की संसद से एक संसदीय अधिनियम पेश करने के लिए अनेक बार प्रार्थना की है और संमति दी है :

इसलिए अब यह परमश्रेष्ठ महामहिम महाराजा द्वारा और आज की वर्तमान संसद में समवेत और उसके प्राधिकार से धर्म और लौक लॉर्ड की सलाह से और संमति सहित लोक सभासदों द्वारा, निम्नलिखित भाँति अधिनियमित हो :

इस अधिनियम में 'डोमिनियन' का अर्थ

1. इस अधिनियम में "डोमिनियन" पद से निम्नलिखित डोमिनियनों में से कोई डोमिनियन अभिप्रेत है :

कनाडा की डोमिनियन, आस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल, न्यूजीलैंड की डोमिनियन, दक्षिणी अफ्रिका का संघ, आयरिश फ्रीस्टेट और न्यूफाउंडलैंड।

किसी डोमिनियन की संसद द्वारा निर्मित कानूनों की मान्यता

2. (1) इस अधिनियम के समारम्भ के पश्चात् किसी डोमिनियन की संसद द्वारा निर्मित किसी कानून पर उपनिवेशी कानून मान्यता अधिनियम, 1865, नहीं लागू होगा।

(2) इस अधिनियम के समारम्भ के पश्चात् किसी डोमिनियन की संसद द्वारा निर्मित कोई कानून या कानून का कोई उपबन्ध इस आधार पर प्रभावहीन या प्रवर्तनहीन नहीं होगा कि वह इंगलैंड के कानून के विरुद्ध या संयुक्तराज की संसद के किसी भावी

अधिनियम के उपबन्ध या वर्तमान अधिनियम के उपबंध के विरुद्ध, या किसी ऐसे अधिनियम के अधीन निर्मित किसी आदेश, नियम या विनियम के विरुद्ध है, और किसी डोमिनियन की संसद की शक्ति के अन्तर्गत किसी ऐसे अधिनियम, आदेश, नियम या विनिमय को, जहाँ तक वे डोमिनियन के कानून के अंग हों, निरसित करने या संशोधित करने की भी शक्ति होगी ।

भूक्षेत्रातीत कानून बनाने की डोमिनियन संसद की शक्ति

3. एतद्वारा यह घोषित और अधिनियमित किया जाता है कि किसी डोमिनियन की संसद को राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तनशील कानून बनाने की पूरी शक्ति है ।

डोमिनियन की संसद की संमति बिना संयुक्तराज की संसद डोमिनियन के लिए कानून नहीं बनाएगी

4. इस अधिनियम के समारम्भ के पश्चात् संयुक्तराज की संसद द्वारा पारित कोई नियम किसी डोमिनियन में उस (डोमिनियन) के कानून के अंग के रूप में नहीं प्रवर्तित होगा, और न प्रवर्तनशील होने के लिए समझा जाएगा, यदि उस अधिनियम में स्पष्टतापूर्वक यह घोषित न हो कि उसके अधिनियमन के लिए उक्त डोमिनियन द्वारा प्रार्थना की गई है या संमति दी गई[1] है ।

---

[1] राष्ट्रमंडल की संसद ने दो अवसरों पर संयुक्तराज की संसद द्वारा आस्ट्रेलिया में प्रवर्तनशील अधिनियमों को अधिनियमित करने के लिए प्रार्थना करते हुए और संमति देते हुए निम्न अधिनियम पारित किया है ।

राष्ट्रमंडल और संयुक्तराज की संसदों के अधिनियम क्रमात् अधोलिखित हैं :

आस्ट्रेलिया	संयुक्तराज
कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह (प्रार्थना और संमति) अधिनियम, 1954	कोकोस द्वीपसमूह अधिनियम, 1955
क्रिस्मस द्वीप (प्रार्थना और संमति) अधिनियम, 1957	क्रिस्मस द्वीप अधिनियम, 1958

व्यापारिक नौपरिवहन के संबंध में डोमिनियम संसदों की शक्ति

5. इस अधिनियम के पूर्वकथित उपबंधों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, 1894 के व्यापार पोत अधिनियम की सात सौ पैंतीसवीं और सात सौ छत्तीसवीं धाराओं से अर्थ लिया जाएगा मानो उसमें किसी ब्रिटिश आस्ति के विधानमंडल के निर्देश के अन्तर्गत किसी डोमिनियन संसद का निर्देश सम्मिलित नहीं है।

नौ-अधिकरण न्यायालयों के संबंध में डोमिनियम संसदों की शक्तियाँ 53 और 54 विक्टो० स० 27

6. इस अधिनियम के पूर्वकशित उपबंधों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, औपनिवेषिक न्यायालयों का नौ-अधिकरण अधिनियम, 1890 की धारा चार का (जिसमें कुछ कानूनों को महामहिम की प्रसन्नता की सार्थकता के लिए आरक्षित करना अपेक्षित हो या कोई निलम्बन उपखण्ड अंतर्विष्ट करना हो), और उस अधिनियम की धारा सात के उतने अंश का, जो किसी औपनिवेशिक न्यायालय के नौ-अधिकरण की कार्यवाही और व्यवहार विनियमन के लिए न्यायालय के किसी नियम पर परिषद् सहित महामहिम के अनुमोदन की अपेक्षा रखता हो, इस अधिनियम के समारम्भ से किसी डोमिनिमन में प्रभावकारी होना समाप्त हो जाएगा।

कनाडा में ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियमों की व्यावृत्ति और इस अधिनियम की प्रयुक्ति

7. (1) इस अधिनियम की कोई बात ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम, 1867-1930, के परिवर्तन, संशोधन या निरसन पर या उसके अधीन निर्मित किसी आदेश, नियम या विनियम पर प्रयोगशील नहीं समझी जाएगी।

(2) इस अधिनियम की दूसरी धारा के उपबंध कनाडा प्रान्तों (या राज्यों) के किसी प्रान्त द्वारा निर्मित कानूनों और ऐसे राज्यों के विधानमंडलों की शक्तियों तक विस्तृत होंगे।

(3) कनाडा की संसद को या प्रान्तों के विधानमंडलों को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ क्रमात् कनाडा की संसद की सक्षमता के अधीनस्थ, या राज्यों के विधानमंडलों में किसी की सक्षमता के अधीनस्थ विषयों के संबंध में कानूनों के अधिनियमन तक सीमित होंगी।

8. इस अधिनियम के समारम्भ से पहले वर्तमान कानूनों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर इस अधिनियम में कोई बात आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल के संविधान अधिनियम या संविधान को या न्यूजीलैंड डोमिनियन के संविधान अधिनियम को परिवर्तित या निरसित करने की कोई शक्ति प्रदान करने वाली नहीं समझी जाएगी। **आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संविधान अधिनियमों की व्यावृत्ति**

9. (1) इस अधिनियम में कोई बात आस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल की संसद को, आस्ट्रेलिया के राज्यों के प्राधिकार के अंतर्गत किसी विषय पर, यदि वह आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल की सरकार या संसद के प्राधिकार के अंतर्गत कोई विषय न हो, कानून निर्मित करने के लिए प्राधिकार देने वाली नहीं समझी जाएगी। **आस्ट्रेलिया के राज्यों के सम्बन्ध में व्यावृत्ति**

(2) किसी स्थिति में यदि इस अधिनियम के समारम्भ से पूर्व यह वर्तमान संवैधानिक व्यवहार के अनुसार रहा हो कि संयुक्तराज की संसद किसी कानून को, आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल की सरकार या संसद की सहमति बिना निर्मित कर सकेगी तो इस अधिनियम में कोई बात आस्ट्रेलिया के राज्यों के प्राधिकार के अन्तर्गत किसी विषय के संबंध में, यदि वह विषय आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल की सरकार या संसद के प्राधिकार के अंतर्गत कोई विषय न हो, संयुक्तराज (U. K.) की संसद द्वारा निर्मित किसी कानून पर आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल की सरकार या संसद की सहमति की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(3) आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल में इस अधिनियम की प्रयुक्ति में धारा (4) में निर्दिष्ट प्रार्थना और संमति से राष्ट्रमंडल की सरकार और संसद की प्रार्थना और संमति अभिप्रेत होगी।

अधिनियम की कुछ धाराएँ यदि ग्रहीत न हों तो वे आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या न्यूफाउंडलैंड में प्रयुक्त नहीं होंगी

10. (1) इस अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कोई भी, अर्थात् धारा दो, तीन, चार, पाँच और छः, किसी डोमिनियन तक विस्तृत नहीं होगी जिस पर यह धारा उस डोमिनियन कानून के अंग के रूप में लागू होती है, यदि वह धारा डोमिनियन की संसद द्वारा अंगीकार नहीं की गई है, और इस अधिनियम की किसी धारा को अंगीकार करने वाली संसद का कोई अधिनियम उपबंधित करेगा कि अभिग्रहण या तो इस अधिनियम के समारम्भ से, या अभिग्रहण अधिनियम में उल्लिखित तत्पश्चात् किसी तारीख से प्रभावकारी होगा।

(2) उपर्युक्त किसी ऐसी डोमिनियन की संसद किसी समय इस धारा की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी धारा का अभिग्रहण प्रतिसंहृत कर सकती है।

(3) जिन डोमिनियनों पर यह धारा लागू होती हैं वे आस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल, न्यूजीलैंड और न्यूफाउंडलैंड की डोमिनियनें हैं।

भावी अधिनियमों में 'उपनिवेश' का का अर्थ

11. निर्वचन अधिनियम, 1889 में किसी बात के होते, इस अधिनियम के समारम्भ के पश्चात् संयुक्तराज की संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम में "उपनिवेश" पद के अंतर्गत कोई "डोमिनियन" या किसी डोमिनियन का अंगीभूत कोई प्रान्त या राज्य नहीं होगा।

संक्षिप्त शीर्षक

12. यह अधिनियम "वेस्टमिंस्टर संविधि, 1931" शीर्षक से उद्धृत होगा।

आस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल के संविधान अधिनियम की अनुक्रमणी

टिप्पणी—परिच्छेद निर्देशन में जिस संख्या से पहले 'व्या' लिखा है उसका निर्देश संविधान अधिनियम के 'व्याख्यात्मक खण्डवाक्यों' से है; अन्य संख्याओं से संविधान की धाराओं का निर्देश है।

विषय	धारा	पृष्ठ
अंतरिक्ष शास्त्रीय प्रेक्षण		
°के संबंध में विधान-शक्ति ...	51 (viii)	21
अक्षमता		
अन्तर राज्य आयोग के सदस्य की° ...	103	44
किसी सदन के सदस्य की दूसरे सदन में उपवेशन की° ...	43	18
संघीय न्यायालय के न्यायाधीश की° ...	72	33
संसद सदस्य की° । देखिए अनर्हता		
अधिकार :		
अन्तरित विभागों के अप्रतिधारित अधिकारियों के° ...	84	37
राज्यों के°, नदी जल के युक्तियुक्त उपयोग के लिए ...	100	43
राष्ट्रमंडल या राज्य के विरुद्ध कार्यवाही के लिए, संसद° प्रदान कर सकती है ...	78	36
वर्तमान और प्रोदभूत,° अन्तरित अधिकारियों के	84	37
अधिकार :		
उपनिवेशों को कुछ शक्तियों के अन्तरण का°...	70	32
°द्वारा राज्यों की वरीयता या विभेद ...	102	44
अधिकारियों :		
°की नियुक्ति, विभागों का प्रशासन करने के लिए देखिए मंत्री, राज्य—राष्ट्रमंडल के लिए		
दूसरे° की नियुक्ति और निष्कासन ...	67	32
°की शक्ति की प्रासंगिक विधान-शक्ति ...	51 (xxxix)	27

विषय	धारा	पृष्ठ
°के विरुद्ध परमादेश, निषेध या व्यादेश की स्थिति में क्षेत्राधिकार ...	75(v)	35
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए		
राज्य के अधिकारियों के अधिकार जो सहमति से अन्तरित हों ...	84	38
अन्तरित विभागों के अप्रतिधारित° ...	84	38
अन्तरित विभागों के प्रतिधारित° ...	84	38
अधिकारियों का नियंत्रण ...	84	38
अधिदान :		
अधिदानों की भुगतान का नियंत्रण ...	86	39
मालों के उत्पादन या निर्यात पर अधिदानों के सम्बन्ध में विधान-शक्ति ...	51 (iii)	21
अवश्यमेव एकसमान° ...	51 (iii)	21
अनुदान की निरपेक्ष शक्ति ...	90	40
संघीय संसद के दोनों सदनों की संमति से राज्य° स्वीकार कर सकते हैं। ...	91	40
°देने वाले राज्य कानूनों की समाप्ति ...	90	40
°का अनुदान और उसके लिए करारनामे ...	90	40
धातुओं के उत्खनन के लिए राज्य द्वारा सहायता या अधिदान ...	91	40
अधिदान विभाग के सम्बन्ध में निरपेक्षरूप से प्रयुक्त राज्य-सम्पत्ति ...	85 (i)	38
अधिवासी :		
राष्ट्रमंडलके° संसद सदस्य हो सकते हैं ...	16,34	12,16
विभिन्न राज्यों के बीच° विषयक क्षेत्राधिकार	75 (iv)	35
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए।		
एक राज्य के° के विरुद्ध दूसरे राज्य द्वारा विभेद ...	117	48
राज्यके° का युक्तियुक्त नदी जलके उपयोग का अधिकार ...	100	43

विषय	धारा	पृष्ठ
अध्यक्ष, प्रतिनिधिसदन		
°की अनुपस्थिति के समम कृत्य का संपादन	36	17
°का केवल निर्णायक मत ...	40	17
°होने के लिए सदस्य का चयन ...	35	16
°द्वारा समादेश निकासी, आकस्मिक रिक्तता के लिए	33	16
°यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो या उसका पद रिक्त हो	33	16
°सदन के मत से निष्कासन ...	35	16
°पद या स्थान से त्यागपत्र	35	16
°सदस्यता समाप्ति पर पद रिक्त करता है	35	16
अध्यक्ष, सीनेट		
°की अनुपस्थिति के समय कृत्यों का सम्पादन	18	12
,, के समय रिक्तता की अधिसूचना	21	12
°होने के लिए सीनेटर का चुनाव ...	17	12
°एक वोट का हकदार ...	23	13
°द्वारा अधिसूचना, सीनेट में रिक्तता की ...	21	12
°सीनेट के मत द्वारा निष्कासन ...	17	12
°पद या स्थान से स्तीफ़ा ...	17	12
सीनेटर होना छोड़ देने पर पद रिक्त करेगा	17	12
अनर्हता		
राज्य द्वारा किसी जाति के व्यक्तियों की° प्रभाव	25	14
निर्वाचित होने के लिए या संसद में उपवेशन के लिए°	44	18
अन्य सदन में बैठने के लिए किसी सदन के सदस्य की°	43	18
°पर संसद सदस्य के स्थान की रिक्तता	45	19
°के समय उपवेशन के लिए दंड । अर्हता भी देखिए	46	19
अनुदान		
अधिदान का° । देखिए अधिदान		
सरकार के स्थान के लिए भूक्षेत्र का अनुदान	125	50
अनुपस्थिति		
सीनेट के अध्यक्ष की°	18, 19, 21	12
प्रतिनिधि-सदन के अध्यक्ष की° ...	33, 36, 37	16, 17

विषय		धारा	पृष्ठ
सीनेटर की°	...	20	12
प्रतिनिधि-सदन के सदस्य की°	...	38	17
अनुभाजन			
प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों की संख्या का°		24	13
पहली सदन में°	...	28	14
राजस्व और व्यय का°	...	89, 93	40, 41
अनुवर्तन			
पद पर° के समय महाराज्पाल का वेतन	...	3	6
°के समय संघीय न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन		72	33
अन्तर राज्य आयोग के सदस्य का वेतन	....	103	44
राज्य संविधानों का°	....	106	46
राज्य कानूनों का°	...	108	48
विधान शक्तियों का°	...	107	46
अन्तरित विभागों का° । देखिए व्यय	...		
अन्तरण, मालों का । देखिए अन्तर राज्य			
अन्तर राज्य			
औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में विधान-शक्ति		51 (xxxv)	24
मामलों में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार		75 (iv)	35
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए			
°कानूनों, अभिलेखों की मान्यता आदि । देखिए मान्यता			
°निवासियों के अधिकार	...	117	48
°व्यापार और वाणिज्य । देखिए व्यापार और वाणिज्य			
अन्तरण, पर सीमाशुल्क और उत्पादनशुल्क का आकलन	...	93	41
°के बाद दो वर्ष के लिए सीमाशुल्क	....	92	41
°के बाद निरीक्षण प्रभार	...	112	47
,, रेलवे का किराया	...	104	45

विषय	धारा	पृष्ठ
अन्तर राज्य आयोग		
°का संगठन, न्यायनिर्णय और प्रशासन की शक्ति	101	43
°के सदस्य, नियुक्ति, कार्यकाल, और वेतन ···	103	44
°वरीयता आदि के औचित्य का निर्णय करेगा	102	44
°विकास के लिए आवश्यक रेलवे किराए का निर्णय करेगा ···	104	44
विधि विषयक प्रश्नों पर° से उच्च न्यायालय में अपील ···	73 (iii)	34
अन्तर राज्य आयोग की शक्तियाँ ····	101 (iii)	43
°के सदस्यों के वेतन ···	103 (iii)	44
अन्तरित विभाग		
°के सम्बन्ध में वर्तमान आभार ····	85 (iv)	39
°के सम्बन्ध में निरपेक्ष विधान-शक्ति ···	52 (ii)	27
°के अधिकारियों का नियंत्रण ····	84	37
,, °के अधिकार ···	84	37
°द्वारा ऐकान्तिक रूप से प्रयुक्त राज्यसम्पत्ति राष्ट्रमण्डल में निहित होगी ····	85 (i)	38
°द्वारा अर्जित की जा सकती है	85 (ii)	39
°की राष्ट्रमण्डल को दी गई राज्यसम्पत्ति के लिए प्रतिकर ···	85 (iii)	39
°के अन्तरण का समय ···	69	32
°की शक्ति और कृत्यों का अन्तरण ···	70	32
'अन्तरित' व्यय। देखिए व्यय		
अन्तः प्रवेश, अपराधियों के		
°के सम्बन्ध में विधान-शक्ति ···	51 (xxviii)	23
अन्यदेशीय		
°के सम्बन्ध में विधान-शक्ति ···	51 (xix)	22
देशीकरण भी देखिए		

विषय		धारा	पृष्ठ
अन्य व्यय—देखिए व्यय			
अपराध			
राष्ट्रमंडल कानून के विरुद्ध° अभ्यारोपण की जाँच	...	80	36
°के लिए राज्य कारावासों में कैद	...	120	49
°द्वारा संसद के लिए अनर्हता	...	44 (ii), 45	20
अपराधियों			
°के अन्तः प्रवेश के सम्बन्ध में विधानशक्ति सुरक्षा भी देखिए		51 (xxviii)	23
°का निरोध, राज्य कारावासों में	...	120	49
अपील			
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से उच्चतम न्यायालय को°	...	73 (i)	33
संघीय न्यायालयों, या संघीय क्षेत्राधिकार के न्यायालयों को°	...	73 (ii)	33
राज्य न्यायालयों को°	...	73	33
अन्तरराज्य आयोग को°	...	73 (iii)	34
°पर प्रतिबन्ध एवं रोक	...	73	33
उच्च न्यायालय से प्रीवी परिषद् को कोई भी° अधिकार के रूप में नहीं	...	73	33
°विशेष अवकाश द्वारा	...	74	34
संवैधानिक प्रश्नों पर°	...	74	34
°के अधिकारों के परिसीमन की शक्ति	...	74	34
अभिद्रोह (treason)			
°करनेवाला संसद के लिए अनर्हित	...	44 (ii)	20
अभिलेख			
राज्य के° । देखिए मान्यता			
अभिशस्ति			
कुछ अपराधों में अभिशस्ति संसद के लिए अनर्ह करती है	....	44 (ii), 45	20

विषय		धारा	पृष्ठ
अभ्यारोपण			
°पर जाँच, जरी द्वारा	...	80	36
अमान्यता			
दूसरे विषयों के संबंध में व्यवहार करने वाले करारोपक कानून के उपबंध की°	....	55	28
राज्य कानून की°, यदि राष्ट्रमंडल कानून के साथ असंगत हो		109	47
अर्जन, राष्ट्रमण्डल द्वारा			
सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए स्थानों के°, पर ऐकान्तिक विधान-शक्ति	...	52 (i)	27
सम्पत्ति° के सम्बन्ध में विधान-शक्ति अन्तरित विभागों के सम्बन्ध में प्रयुक्त राज्य-सम्पत्ति का°, परन्तु ऐकान्तिक रूप से नहीं	...	85 (ii)	39
राज्य रेलवे का°, उसके सम्बन्ध में विधानशक्ति		51 (xxxiii)	22
राज्य क्षेत्र°	...	122	49
सरकार को सीट के लिए राज्यक्षेत्र का°	...	125	50
अर्हता			
पद या ट्रस्ट के लिए कोई धार्मिक अभिरुचि° नहीं	...	116	48
प्रतिनिधि-सदन के निर्वाचकों की°	...	30	15
सीनेट ,,	...	8, 30	15
संघीय निर्वाचनों में मतदाता राज्य-निर्वाचकों की°	...	41	17
प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों की°	...	34	16
सीनेटरों की°	...	16	12
संसद सदस्यों की° के सम्बन्ध में प्रश्न	...	47	20
अविलेय			
राष्ट्रमंडल होगा	...	प्रस्तावना	

विषय		धारा	पृष्ठ
अवचार, सिद्ध			
संघीय न्यायालय के न्यायाधिपति का°	...	72	33
अन्तर राज्य आयोग के सदस्य का°	...	103	4
असंगति			
राष्ट्रमण्डल कानून से° राज्य कानून को अमान्य करती है	...	व्या 5, 109	47
आकाशदीप—देखिए प्रकाशगृह			
आदिवासी			
°जन्मजात की जनसंख्या में गणना नहीं	...	127	51
°जाति, किसी राज्य में विशिष्ट कानून बनाने की शक्ति से वर्जित	...	51 (xxvi)	23
आप्रवास			
°के सम्बन्ध में विधान-शक्ति अन्तः प्रवेश भी देखिए	...	51 (xxvii)	23
आभार, वर्तमान			
राज्यों के°; अन्तरित विभागों के संबंध में	...	85 (iv)	31
आबंधन			
वार्षिक विनियोजन विधेयक का° निषिद्ध है	...	54	58
कारारोपण विधेयक का° निषिद्ध है	...	55	28
आयात			
शुल्क योग्य, दो वर्ष के लिए अन्तर राज्य अन्तरण पर	...	92	41
शुल्क पश्चिमी आस्ट्रेलिया में माल आयात के लिए पाँच वर्ष तक	...	95	42
°पर निरीक्षण प्रभार	...	112	47
सीमाशुल्क : माल भी देखिए	...		
आरक्षित			
महाराज्यपाल द्वारा विधेयक° हो सकते हैं	...	58	30
प्रिवी कौंसिल में अपील प्रसीमन के			

विषय		धारा	पृष्ठ
विधेयक° होंगे	...	74	34
विधेयक पर महारानी की सम्मति	...	60	30
आरोपण			
करारोपण। देखिए करारोपण			
एकसमान सीमाशुल्क°			
,, राष्ट्रमंडल की स्थापना के पश्चात् दो वर्ष के भीतर°	...	88	31
,, शुल्क आरोपण से पहले आयात हुए माल का अन्तर राज्य अन्तरण पर°	...	92	41
,, ,, आरोपण तक राज्यों को भुगतान	...	89	40
,, ,, के लिए निरपेक्ष शक्ति	...	90	40
,, ,, आरोपण पर कुछ राज्य-कानूनों की समाप्ति	...	90	40
,, ,, ,, ,, अन्तरराज्य व्यापार की स्वतन्त्रता	...	92	141
,, ,, ,, ,, के पश्चात् निरीक्षण कानून निष्पादन के लिए राज्य प्रभार	...	112	47
के पश्चात् पाँच वर्ष के भीतर राज्यों को भुगतान	...	93	41
,, पश्चिमी आस्ट्रेलियाई शुल्क	...	95	42
के पश्चात् दस वर्ष के भीतर व्यय का प्रसीमन	...	87	39
राज्यों को वित्तीय सहायता	...	97	42
से पाँच वर्ष बाद राज्यों को भुगतान	...	94	42
अविष्कार—देखिए पेटेंट			
आस्ट्रेलिया			
का राष्ट्रमंडल	...	3	2

विषय	धारा	पृष्ठ
राष्ट्रमंडल भी देखिए		
°का उच्च न्यायालय। देखिए उच्च न्यायालय		
आस्ट्रेलियाई		
मालों, पर पश्चिमी आस्ट्रेलियाई शुल्कों के संबंध में अस्थायी उपबंध	95	42
°भूक्षेत्रातीत जल में मछली पकड़ना	51 (x)	21
आस्ट्रेलियाई		
राजधानी भूक्षेत्र। देखिए सरकार की सीट		
आस्तियों		
का राष्ट्रमंडल में प्रवेश		प्रस्तावना
दूसरी° का दाखिला		प्रस्तावना
उपनिवेश : भूक्षेत्र भी देखिए		
आस्ट्रेलेशिया—की संघीय परिषद् देखिए संघीय परिषद्		
ईश्वर		
के वरदान पर विश्वास		प्रस्तावना
उच्च न्यायालय		
°का संगठन	71	33
°के न्यायाधीशों की संख्या	71	33
° „ „ नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन	72	33
°मौलिक क्षेत्राधिकार	75	35
°का प्रयोग करने न्यायाधीशों से अपील	73	33
°अधिक दिया जा सकता है	76	35
°का अपीलीय क्षेत्राधिकार	73	33
°का क्षेत्राधिकार निरपेक्ष बनाया जा सकता है	77(ii)	36
°का निर्णय, अपील पर, अन्तिम और निश्चयात्मक	78	33
°से प्रिवी कौंसिल में अपील। देखिए अपील		
संघीय न्यायालय : संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए।		
°उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों की संख्या	71	33

विषय		धारा	पृष्ठ
°का पारिश्रमिक		72	33
°का अपीलीय क्षेत्राधिकार		73	33
°का मौलिक क्षेत्राधिकार		76	35
उत्तरी भूक्षेत्र			
दक्षिणा आस्ट्रेलिया राज्य के अंतर्गत°		व्या 6	3
उत्पादन			
°पर अधिदान। देखिए अधिदान			
उत्पादन (आबकारी) विभागों का राष्ट्रमंडल को अन्तरण	...	69	32
उत्पादन (आबकारी) शुल्क का एकत्रण और नियंत्रण	...	86	39
अन्तर राज्य अंतरण पर° का प्रत्यय	...	93	41
°आरोपण की ऐकान्तिक शक्ति	...	90	40
°आरोपण वाले कानून केवल उत्पादन शुल्कों के साथ व्यवहार करेंगे	...	56	28
°का निवल राजस्व की प्रयुक्ति	...	87	39
°आरोपण करने वाले राज्य कानूनों की समाप्ति	...	90	40
उत्प्रवास			
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	...	51 (xxvii)	23
उद्घोषणा			
संविधान के समारम्भ की°	...	व्या 3	2
आरक्षित विधेयकों पर सम्मति की°	...	60	30
कानून की असहमति की°	...	59	30
सत्रावसान या विघटन की°	...	5	7
विभा गोंकी अन्तरण की°	...	69	32
उधार (loan)			
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	...	51 (iv)	21
ऋण भी देखिए			

विषय	धारा	पृष्ठ
उपदान		
अंतरित विभागों के अप्रतिधारित अधिकारियों को° ...	84	37
उपनिवेश		
राष्ट्रमंडल स्वशासित उपनिवेश है ...	व्या 8	4
उपनिवेशों		
°की रजामंदी, संगठित होने के लिए	प्रस्तावना	
°की जनता का संघ	व्या 3	2
°की विधान-शक्ति, संविधान के समारम्भ के लम्बन तक	व्या 4	3
°का राष्ट्रमंडल में प्रवेश। देखिए प्रवेश		
°का राज्य के रूप में प्रविष्टि या संस्थिति	व्या 6	3
°के संविधानों का अनुवर्तन	106	46
°के कानूनों का ,,	108	46
°की संसदों की शक्तियाँ	107	46
°के कानूनों के अधीन देशीकृत व्यक्तियों (प्रतिनिधि-सदन के लिए) की पात्रता	35 (ii)	16
ऋण, राज्य		
°के संबन्ध में राष्ट्रमंडल राज्यों के साथ करार कर सकता है	105 a	45
°अधिकार में ले सकता है, परिवर्तन कर सकता है, आदि	105	45
अधिकृत राज्य ऋण, उस पर व्याज, राज्य-ऋणों की भुगतान पर सीमाशुल्कों और सीमाकरों की प्रयुक्ति	87	39
°का राज्यों को विकलन	105	45
एकसमान		
राष्ट्रमंडल द्वारा मंजूर अधिदान° अवश्य होगा	51 (iii)	21

विषय	धारा	पृष्ठ
°सीमाशुल्क का आरोपण	88	39
°मताधिकार होने तक मतगणना	128	51
सीनेटर चुनने का° तरीका	9	8
राष्ट्रमंडल द्वारा करारोपण अवश्य ही° होगा	51(ii)	127
औद्योगिक विवाद		
के संबंध में विधान-शक्ति	51 (xxxv)	23
औपनिवेशिक प्रसीमा अधिनियम 1895		
की प्रयुक्ति	व्या 8	4
कमान, सेनाओं का प्रमुख		
महाराज्यपाल में निहित है	68	32
करभार		
जनता पर°, देखिए प्रस्तावित कानून		
करारनामा		
राज्यों की सार्वजनिक ऋण के सम्बन्ध में राष्ट्रमंडल और राज्यों के बीच°	105 a	45
अधिदान के लिए°, देखिए अधिदान		
अंतरित संपत्ति के लिए प्रतिकर	85 (iii)	39
संगठन के लिए उपनिवेशों की जनता का°	आमुख	
राष्ट्रमंडल में पश्चिमी आस्ट्रेलिया के संगठन के लिए	व्या 3	2
°द्वारा लोक-सेवा से संसद के लिए अनर्हता	44 (v), 45	18 19
करारोपण		
°विधेयकों के संबंध में सीनेट की शक्ति	53	27
शुल्क या दण्ड° नहीं है	53	27
°सम्बन्धी कानून केवल करारोपण के संबंध व्यवहार करेंगे	55	28
करारोपक कानून के दूसरे उपबंध प्रभावी होंगे	55	28
राज्यों या उनके हिस्सों के बीच विभेद नहीं		

विषय	धारा	पृष्ठ
करेंगे	51 (ii)	21
°के संबंध में विधान-शक्ति	51 (ii)	21
राष्ट्रमंडल-सम्पत्ति पर उसकी समति बिना° नहीं होगा	114	48
राज्य-संपत्ति पर उसकी संमत्ति विना° नहीं होगा	114	48
कागजी मुद्रा		
°जारी करने के लिए विधान-शक्ति	51 (xiii)	22
सिक्का ढलाई : वैद्य (मान्य) निविदा भी देखिए		
कानून		
औपनिवेशिक संसद°, राष्ट्रमण्डल की स्थापना से पूर्व ...	व्या 4	3
राष्ट्रमण्डल°, न्यायालयों, न्यायाधीशों और जनता पर बंधनकारी	व्या 5	3
°के निष्पादन और पोषण करने के लिए बलों का नियन्त्रण ...	51 (vi)	21
°की महारानी द्वारा अस्वीकृति ...	69	30
°का भूक्षेत्रातीत प्रवर्तन ...	व्या 5	3
क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में °के अधीन उठे विवाद ...	76 (ii)	35
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए ।		
व्यापार या वाणिज्य कानून जल के युक्तियुक्त उपयोग का अधिकार न्यून नहीं कर सकते ..	100	43
व्यापार, वाणिज्य, या राजस्व कानून राज्य को वरीयता नहीं दे सकते ...	99	43
°के विरुद्ध अपराध । देखिए अपराध		
°राज्य कानून से ऊपर होगा	व्या 5, 109	3, 47
करारोपक° । देखिए करारोपण		
संघीय परिषद् का°	व्या 7	5

विषय	धारा	पृष्ठ
राज्य° । देखिए राज्य,°		
प्रस्तावित कानून भी देखिए		
कारावास		
राज्य° में राष्ट्रमण्डल के विरुद्ध अपराधियों के लिए जगह	120	49
कार्यपालिका परिषद् । देखिए संघीय कार्यपालिका परिषद्		
कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रमंडल की		
°महारानी में निहित है	61	31
°महाराज्यपाल द्वारा प्रयोज्य	61	31
°राष्ट्रमंडल के संविधान और कानून के निष्पादन और पोषण तक विस्तृत है	61	31
कार्यपालिका सरकार, राष्ट्रमंडल की		
°द्वारा सीमाशुल्क और उत्पादनशुल्क का एकत्रण और नियन्त्रण	86	39
°द्वारा अविदान की भुगतान का नियन्त्रण	86	39
°द्वारा अन्तरित विभागों ,, ,,	53 (ii)	27
°द्वारा अन्तरित विभागों के अधिकारियों के ,,	84	38
°की शक्तियों के प्रसंग में विधान-शक्ति	51 (xxxix)	27
°के अधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन	67	32
°को भेजे गए विषयों के सम्बन्ध में अधिकार और कर्तव्य	70	32
°द्वारा प्राप्त या उगाहा हुआ राजस्व	81	37
संघीय कार्यपालिका परिषद् भी देखिए		
कृति स्वाम्य		
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xviii)	22
कोटा		
प्रतिनिधित्व का°	24, 25	13, 14
कोष		
से धन नहीं निकाला जाएगा, विनियोजन बिना, संसद की पहली बैठक तक के लिए अपवाद	83	37

विषय	धारा	पृष्ठ
क्राउन		
राष्ट्रमण्डल क्राउन के अधीन है		प्रस्तावना
सरकार के स्थान के लिए क्राउन की भूमि और अनुदान	125	50
°के अधीन लाभ का पद। देखिए पद		
°की प्रसन्नता तक देय निवृत्तिका। देखिए निवृत्तिका		
महारानी भी देखिए।		
क्वींसलैंड		
के लिए सीनेट निर्वाचकमंडल	7	7
क्षेत्राधिकार		
नौकाधिकार और समुद्री° उच्च न्यायालय को दिया जा सकता है	76 (iii)	36
संघीय°। देखिए संघीय क्षेत्राधिकार		
संघीय न्यायालयों का°। देखिए संघीय न्यायालय		
उच्च न्यायालयों का°। देखिए उच्च न्यायालय		
राज्य-न्यायालयों का° बहिर्गत हो सकता है	77 (ii)	36
खगोलीय प्रेक्षण		
के सम्बन्ध में विधानशक्ति	51 (viii)	21
खनिकर्म (खान खोदाई)		
के लिए सहायता या अधिदान। देखिए अधिदान		
गणपूर्ति		
प्रतिनिधि-सदन की°	39	17
सीनेट की°	22	13
गतिरोध—देखिए असहमति	30	58
गृह-हिंसा		
के विरुद्ध राज्यों का परिरक्षण	119	48
चढ़ाई (आक्रमण)		
के विरुद्ध राज्य की परिरक्षा	119	48

विषय	धारा	पृष्ठ
चल अर्थ (चलावणी)		
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xii)	22
कागजी मुद्रा का प्रचालन	51 (xiii)	22
सिक्का ढलाई : वैध (मान्य) निविदा भी देखिए।		
चिकित्सा लाभ		
विषयक विधान-शक्ति	51 (xxiiia)	22
चिकित्सा सेवा		
के सम्बन्ध में विधानशक्ति	51 (xxiiia)	22
जनता		
उपनिवेशों की° का संगठित होने के लिए करारनामा		प्रस्तावना
राष्ट्रमण्डल की° द्वारा प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों का निर्वाचन	24	13
°का विभाजन, कोटा में	24	13
राष्ट्रमण्डल या राज्य की° की गणना	25	14
में आदिवासी नहीं गिने जाएँगे	127	51
किसी जाति की° (किसी राज्य में जनजाति को छोड़कर कोई दूसरी जाति) के संबंध में विधान-शक्ति	51 (xxvi)	23
राज्य की°, प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का अनुपात	24	13
राज्य की° प्रत्येक राज्य के लिए निर्वाचित सीनेटर	7	7
°पर प्रस्थापित प्रभार या भार, सीनेट द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता	53	27
जनगणना		
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xi)	22
जन संख्या—देखिए जनता		
जल		
भूक्षेत्रातीत° में मछली पकड़ना	51 (x)	21

विषय	धारा	पृष्ठ
नदी°, का युक्तियुक्त उपयोग का अधिकार संरक्षण या सिंचाई के लिए न्यून नहीं किया जाएगा	100	43
जहाजरानी—देखिए नौ-परिवहन		
जहाज, ब्रिटिश		
पर राष्ट्रमण्डल कानून कहाँ तक प्रवृत्त	व्या 5	3
जाँच, अभ्यारोपण पर		
जूरी करेंगे	80	36
°का स्थान	80	36
जाति		
आदिवासी जाति, किसी राज्य में। देखिए आदिवासी जाति		
मतदान से अनर्हित°, प्रतिनिधित्व के लिए अन-गणित	25	15
किसी° की जनता के संबंध में विशेष कानून	51 (xxvi)	23
जुर्माना (दण्ड)		
अनर्हित होने पर संसद में उपवेशन के लिए°	46	19
°का आरोपण और विनियोजन	53	27
जूरी		
द्वारा जाँच, राष्ट्रमण्डल कानून के विरुद्ध अपराधों में	80	36
ठेकेदार, संविदाकार		
सरकारी°, संसद के लिए अनर्हित	44 (v), 45	19
डिजाइनें देखिए पेटेंट		
तलाक (विवाह विच्छेद)		
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxii)	22
तार और टेलीफोन—देखिए पोस्ट	64	
तौल और माप		
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xv)	22
त्यागपत्र (स्तीफा)		
प्रतिनिधि-सदन के सदस्य का°	37	23

विषय	धारा	पृष्ठ
सीनेटर का°	19	12
प्रतिनिधि-सदन के अध्यक्ष का°	35	24
सीनेट अध्यक्ष का°	17	12
दंत-सेवा		
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxiiiA)	22
दंड—देखिए अपराध		
दक्षिणी आस्ट्रेलिया		
के अन्तर्गत उत्तरी भू-क्षेत्र है	व्या 6	3
दरें देखिए रेलवे		
दिवालियापन		
°द्वारा संसद के लिए अनर्हता	44 (iii) 45	19
°के सम्बन्ध में विधानशक्ति	51 (xvii)	22
दिवाले सम्बंधी कानूनों का लाभ उठाने वाले संसद सदस्य सीट रिक्त करते हैं	45 (ii)	19
देश—अन्य, देखिए विदेशी देश		
देशीयकरण		
°के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xix)	22
°द्वारा ससद के लिए अर्हता	16, 34	12 16
द्रव—देखिए मादक द्रव		
धन		
°का विनियोजन। देखिए विनियोजन		
°उधारण। देखिए धन-उधारण		
कागजों° जारी करने के संबंध में विधानशक्ति	51 (xiii)	22
°के लिए राज्य का सिक्के न ढालना	115	48
सिक्का ढलाई : राजस्व भी देखिए		
धन, उधारण		
राष्ट्रमंडल या राज्यों से°, उसके सम्बन्ध में करारनामें	105 A(i)	45
°के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (iv)	21
ऋण भी देखिए		

विषय	धारा	पृष्ठ
धनविधेयक		
सीनेट में प्रारम्भ होगा	53	27
जुर्मानेया शुल्क का उपबंध करने वाले विधेयक° नहीं माने जाएँगे	53	27
सीनेट° का संशोधन नहीं करेगा परन्तु संशोधन की प्रार्थना करेगा	53	27
प्रतिनिधि-सदन विना परिवर्तन या परिवर्तन सहित संशोधन की प्रार्थना कर सकता है	53	27
°विनियोजन के प्रयोजन की सिपारिश महाराज्यपाल करेगा	56	28
विनियोजन विधेयक, करारोपण भी देखिए		
धर्म		
राष्ट्रमंडल स्थापित या निषिद्ध नहीं करेगा	116	48
धर्मस्व		
बाल, के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxiiia)	22
धार्मिक		
अनुपालन राष्ट्रमंडल आरोपित नहीं कर सकता	116	48
°अभिरुचि राष्ट्रमंडल अपेक्षित नहीं कर सकता	116	48
नए राज्य		अध्याय vi
संसद स्थापित या दाखिल कर सकती है	121	49
°के दाखिले की शर्तें	121	49
°का संसद में प्रतिनिधित्व	121	49
राज्य से भूक्षेत्र अलग करके° बनाना	124	50
राज्यों को मिलाकर या उनके हिस्सों को मिला कर° बनाना	124	50
नए व्यय । देखिए व्यय		
नदी		
जल का युक्तियुक्त उपयोग	100	43

विषय	धारा	पृष्ठ
नागरिक		
विदेशी सत्ता के° । संसद के लिए अनर्हित	44 (i),45	18,19
राज्य° । देखिए अधिवासी : प्रजा		
निक्षेप निधि		
राज्य के सार्वजनिक ऋण के सम्बन्ध में °का उपबंध	105 a	45
निगम		
राष्ट्रमंडल के भीतर विदेशी, व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से संगठित निगमों के संबंध में विधान-शक्ति	51 (xx)	22
निगमन, बैंकों के		
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xiii)	22
निपटारा, औद्योगिक		
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxxv)	24
नियंत्रण		
आबकारी और सीमाशुल्कों का°	86	39
कानून का निष्पादन करने और पोषण करने वाले बल° का	51 (vi)	21
अन्तरित विभागों के अधिकारियों का°	84	37
अधिदानों की भुगतान का°	86	39
नौसेना और थल-सेना (मिलिटरी) परिवहन के लिए रेलों का°	51 (xxxii)	52
अन्तरित विभागों का°	52 (ii)	27
राष्ट्रमंडल के नियंत्रण के अधीन रखे गए भूक्षेत्र का°	122	49
नियुक्ति		
संघ की तिथि की°	व्या 3	2
महाराज्यपाल की°	2	6
सरकारी प्रशासक की°	4	6

विषय	धारा	पृष्ठ
महाराज्यपाल के प्रतिनियुक्तों की°	126	50
राज्य-मंत्रियों की°	64	31
अन्य कार्यपालक अधिकारियों की°	67	32
संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की°	72	33
अन्तरराज्य आयोग के सदस्यों की°	103	44
निरपेक्ष (ऐकान्तिक)		
संघीय न्यायालयों का° क्षेत्राधिकार	77 (ii)	36
राज्यों द्वारा समर्पित भूक्षेत्र के सम्बन्ध में राष्ट्रमंडल की °विधान-शक्ति	52, (iii) 107,	46,72
सीमाशुल्क, उत्पादनशुल्क, और अधिदान के सम्बन्ध में °विधान शक्ति	90	40
निरपेक्ष बहुमत अपेक्षित		
संयुक्त उपवेशन में प्रश्नों के विनिश्चय के लिए°	57	29
संविधान के परिवर्तन के लिए°	128	51
निरसन		
संघीय परिषद् का आस्ट्रेलेशिया अधिनियम 1885 का°	व्या 7	4
संघीय परिषद् के कानून पर निरसन का प्रभाव	व्या 7	4
संघीय परिषद् के कानून के निरसन की शक्ति	व्या 7	4
समवर्ती शक्ति के भीतर राज्य-कानून का°	108	46
निरीक्षण कानून, राज्य के	112	47
निर्देश, राज्यों द्वारा के सम्बन्ध म विधान-शक्ति	51 (xxxvii)	24
निर्बलता-निवृतिका के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxiii)	22
निर्माण (व्यापारिक)। देखिए उत्पादन		

विषय	धारा	पृष्ठ
निर्यात		
°पर अधिदान । देखिए अधिदान		
°पर निरीक्षण प्रभार	112	47
निर्योग्यता		
संसद सदस्यों की° । देखिए अनर्हता		
दूसरे राज्य के निवासियों पर राज्य कोई निर्योग्यता नहीं आरोपित कर सकते	117	48
निर्वचन		
संविधान के° को अन्तर्ग्रस्त करने वाले मामले में क्षेत्राधिकार	76 (i)	35
संवैधानिक शक्तियों के° के सम्बन्ध में प्रिवी कौंसिल में अपील	74	34
संघीय कानून के निर्वचन के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार	76 (ii)	36
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए		
निर्वाचक		
राष्ट्रमंडल के°, संसद सदस्य के निर्वाचक की अर्हताएँ	8, 30	8, 15
°अवश्य ही अर्हता प्राप्त होने चाहिए	16, 34	12, 16
एकसमान वयस्क मताधिकार होने तक संविधान का परिवर्तन करने के लिए		
°मतगणना	128	52
°केवल एक बार मत देगा	8, 30	8, 15
राज्यों के निर्वाचकों का अनुमोदन, राज्य सीमाओं के परिवर्तन के लिए	123	49
°अधिकार, संघीय निर्वाचनों में मत देने का	41	17
निर्वाचन		
किसी सदन के लिए विवादपूर्ण प्रश्न पर°	47	20
राज्य-निर्वाचकों के अधिकार, °पर मतदान	41	17

विषय	धारा	पृष्ठ
प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों का°		
सामयिक° के लिए समादेश (लेख)	33	16
निर्वाचक केवल एक बार मतदान करेंगे	30	15
सामान्य° के लिए समादेश	32	16
°के पश्चात् संसद का आह्वान	5	7
°पर सीनेटरों का°	15	11
राज्य-कानून° की प्रयुक्ति	30, 31	15
प्रतिनिधि-सदन भी देखिए		
सीनेटरों का		
सामयिक°	15	11
°पर निर्वाचक केवल एक बार मत देंगे	8	8
सीनेटरों के° का तरीका, निर्धारक कानून एकसमान होंगे	9	8
°आवर्तन	13	10
°के लिए समय	13	10
°राज्य कानून की प्रयुक्ति	10	10
°समय और स्थान	9	8
सीनेट और सीनेटर भी देखिए		
निवृत्ति भत्ता		
अन्तरित विभागों के अधिकारियों को°	84	38
सहमति से अन्तरित राज्य अधिकारियों को°	84	38
निवेशन		
राष्ट्रमण्डल की विधान-शक्ति का°	1	6
कार्यपालिका शक्ति का°	61	31
नियुक्ति और निष्कासन की शक्ति का°	67	32
बलों के मुख्य कमान का°	68	32
उपनिवेशों की कुछ शक्तियों और कृत्यों का°	70	32
राष्ट्रमण्डल की न्यायिक शक्ति का°	71	33
संघीय क्षेत्राधिकार। देखिए संघीय क्षेत्राधिकार		
अन्तरित विभागों की सम्पत्ति का°	85 (i)	38
सरकार के स्थान के भूक्षेत्र का°	125	50

विषय	धारा	पृष्ठ
निषेध		
राष्ट्रमण्डल के अधिकारियों के विरुद्ध समादेश निषेध की स्थिति में क्षेत्राधिकार	75 (v)	35
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए		
निष्कासन		
संघीय न्यायालय के न्यायाधिपतियों का°	72	33
अन्तर राज्य आयोग के सदस्यों का°	103	44
कार्यपालिका सरकार के अधिकारियों का°	67	32
सीनेट अध्यक्ष का°	17	12
प्रतिनिधि-सदन के अध्यक्ष का°	35	16
निष्ठा		
संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की°	42	18
°का रूप		अनुसूची
संसद के लिए अनर्हित करती है, विदेशी शक्ति की°	44 (i),45	19
निष्पादन और पोषण		
राष्ट्रमण्डल कानून के° के लिए बलों के नियंत्रण के संबंध में विधान-शक्ति	51 (vi)	21
संविधान और कानून के° तक कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है	61	31
व्यापार और वाणिज्य के उपबंध और कानून का°	103	43
नौकाधिकरण क्षेत्राधिकार		
उच्च न्यायालय को दिया जा सकेगा	76 (iii)	35
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए		
नौ-परिवहन		
नौ-परिवहन और जहाजरानी के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	98	43
°द्वारा अन्तर राज्य व्यापार निःशुल्क होगा	92	41
नौ-सेना और मिलिटरी : देखिए सुरक्षा		
न्याय-निर्णय		
राज्य न्यायालय के° के निष्पादन के सम्बन्ध में विधान-शक्ति । देखिए अपील ।	51 (xxiv)	22

विषय	धारा	पृष्ठ
न्याय निर्णय, अन्तर राज्य आयोग द्वारा		
देखिए अन्तर राज्य आयोग		
न्यायाधिपति		
संघीय न्यायालयों के; देखिए संघीय न्यायालय		
उच्च न्यायालयों के° ।		
देखिए उच्च न्यायालयः न्यायाधीश		
न्यायाधीश		
संख्या जो संघीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं	79	36
राज्य के° राष्ट्रमंडल कानून द्वारा बद्ध	व्या 5	3
दे० संघीय न्यायालय : उच्च न्यायालय : न्यायाधिपति ।		
न्यायालय (अदालत)		
संसद द्वारा स्थापित° । देखिए संघीय न्यायालय		
संघीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले° । देखिए संघीय क्षेत्राधिकार		
संघीय° । देखिए संघीय न्यायालय : उच्च न्यायालय		
राज्य न्यायालय । देखिए राज्य		
न्यायालय	अध्याय iii	
में निहित शक्ति के प्रसंग में विधान-शक्ति	51 (xxxix)	24
दे० संघीय न्यायालय : उच्च न्यायालय ।		
न्यायिक कार्यवाही		
राष्ट्रमंडल या राज्य के विरुद्ध°	78	36
राज्य की° की मान्यता पूरे राष्ट्रमंडल में होगी	118	48
°के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxv)	23

विषय	धारा	पृष्ठ
न्यायिक शक्ति		
राष्ट्रमंडल की°	71	33
°की सीमा के भीतर राष्ट्रमंडल या राज्य के विरुद्ध कार्यवाही	78	36
दे० क्षेत्राधिकार		
न्यूजीलैंड		
'राज्य' की परिभाषा में निर्दिष्ट	व्या 6	3
न्यू साउथ वेल्स		
के भीतर सरकार का स्थान होना	125	50
पद		
कार्यपालिका सलाहकार का°	62	31
राष्ट्रमण्डल के लिए राज्य-मंत्री°	64, 65	31
सीनेट के अध्यक्ष का°	17	12
क्राउन के अधीन लाभ का पद, संसद के लिए अनर्हता	44 (iv), 45	18, 19
प्रतिनिधि-सदन के अध्यक्ष का°	35	16
°के लिए धार्मिक अभिरुचि अपेक्षित नहीं है	116	48
परमादेश		
राष्ट्रमण्डल के अधिकारी के विरुद्ध° की स्थिति में क्षेत्राधिकार	75 (v)	35
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए।		
परमाधिकार		
परिषद् सहित महारानी के पास अपील के लिए विशेष अवकाश का°	74	34
परिवर्तन		
संविधान का°	128	51
राज्य-संविधानों का°	106	46
समवर्ती शक्ति के अधीन राज्य-कानूनों का°	108	48
राज्य-सीमाओं का°	123, 128	49, 51
संशोधन भी देखिए		

विषय	धारा	पृष्ठ
परिवहन		
नौ तथा मिलिटरी° के लिए रेलवे का नियन्त्रण	51 (xxxii)	23
परिवहन		
अन्तर°, द्वारा अन्तर राज्य व्यापार निःशुल्क होगा	92	41
राज्य रेलवे पर मालों के परिवहन के लिए दरें	102, 104	44
परिवार भत्ते		
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxiiia)	22
परिषद् सहित महारानी		
को अपील, उच्च न्यायालय से। देखिए अपील		
राज्य-न्यायालय से जिससे परिषद् सहित महारानी के पास अपील पड़ी हो, उच्च न्यायालय के अपील से°	73	33
पश्चिमी आस्ट्रेलिया		
संघीय राष्ट्रमण्डल में अन्तर्ग्रहण, यदि जनता सहमत हो	व्या 3	2
प्रथम निर्वाचन में प्रतिनिधि-सदन के लिए सदस्य-संख्या, यदि पश्चिमी आस्ट्रेलिया मौलिक राज्य हो	26	14
°की शक्ति, पाँच वर्ष के लिए उतार क्रम से सीमाशुल्क आरोपण की	95	42
पारिश्रमिक देखिए भत्ता : वेतन		
पेंशन (निवृत्तिका)		
राष्ट्रमण्डल से, क्राउन की प्रसन्नता तक देय° संसद के लिए अनर्हित करती है	44 (iv), 45	18, 19
निर्बलता और बुढ़ापा° के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxiii)	22
अन्तरित विभागों के अधिकारियों को°	84	38
विधवा° के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxiiia)	22

विषय	धारा	पृष्ठ
पेटेन्ट		
आविष्कारों और डिजाइनों के° के सम्बन्ध में विधानशक्ति	51 (xviii)	22
पैत्रिक अधिकार		
वैवाहिक कारणों के संबंध में° सम्बन्धी विधानशक्ति	51 (xxii)	22
पैसिफिक द्वीपों के साथ राष्ट्रमंडल के सम्बन्ध के विषय में विधानशक्ति	51 (xxii)	22
पोषण		
संविधान और कानून का° । देखिए निष्पादन और पोषण		
अंतरित विभागों का° । दे० व्यय		
पोस्ट, तार और टेलीफोन		
तत्सदृश सेवाओं के संबन्ध में विधानशक्ति	51 (iv)	21
°विभागों का अन्तरण	69	32
प्रकाश-गृह, प्रकाशनौका, आकाशदीप और बोया		
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (vii)	21
°विभागों का अन्तरण	69	32
प्रक्रिया, राज्यन्यायालय की		
°की तामील (वितरण) और निष्पादन के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxiv)	23
प्रजा		
संसद सदस्य महारानी की°, अवश्यमेव होगी	16 12 34	16
एक राज्य की अधिवासी° के विरुद्ध विभेद निषिद्ध	117	48
अधिवासी भी देखिए		
विदेशी सत्ता की° संसद के लिए अनर्हित	44 (i), 45	18 19
प्रतिकर		
राष्ट्रमंडल के कानून के अधीन अर्जित सम्पत्ति के लिए°	51 (xxxi)	23
सरकार के स्थान के भूक्षेत्र के लिए°	125	50
अन्तरित विभागों के अप्रतिधारित अधिकारियों को°	84	38
अन्तरित विभागों की सम्पत्ति के लिए राज्य को°	85 (iii)	39

विषय	धारा	पृष्ठ
प्रतिज्ञान देखिए शपथ		
प्रतिनिधि		
सदन के° । देखिए प्रतिनिधि-सदन		
अन्य देशों के° । देखिए विदेशी देश		
प्रतिनिधित्व		
°पर प्रभावकारी, संविधान का परिवर्तन	128	52
प्रतिनिधि-सदन में° । देखिए प्रतिनिधि-सदन		
सीनेट में° । देखिए सीनेट		
नए राज्यों का°	121	49
भूक्षेत्रों का°	122	49
प्रतिनिधि-सदन		
°का संगठन	24	13
°का विघटन	5, 28, 57	7 14 29
°की अवधि	28	14
°के लिए निर्वाचन । देखिए निर्वाचन		
°के लिए निर्वाचक-मंडल	29	14
°के निर्वाचक । देखिए निर्वाचक		
°के सदस्यों की अनर्हताएँ	44, 45	18 19
° ,, सीनेटर होने के लिए अपात्रता	43	18
° ,, की संख्या	24	13
° ,, ,, ,, प्रथम निर्वाचन पर	26	14
° ,, ,, ,, में बढ़ाव या घटाव	27	14
° ,, ,, ,, अल्पतम संख्या, मौलिक राज्यों के लिए	24	13
° ,, द्वारा निष्ठा की शपथ या प्रतिज्ञान	42	18
° ,, की अर्हता	34	16
° ,, का त्यागपत्र द्वारा स्थान रिक्त करना	37	17
° ,, ,, अनुपस्थिति ,, ,,	38	17
° ,, अनर्हता ,, ,,	45	19
°में राज्यों का अनुपात में प्रतिनिधित्व	24,25,128	13 14 52

विषय	धारा	पृष्ठ
°में प्रश्न कैसे निर्णीत होंगे	40	17
°की गणपूर्ति	39	17
°का अध्यक्ष (Speaker)। देखिए अध्यक्ष		
°म रिक्तताएँ	33	16
°में मतदान	40	17
प्रतिनिधि-सदन के निर्वाचनों के लिए राज्यों का विभाजन	29	14
°के लिए निर्वाचन	31	15
°के निर्वाचकों की अर्हताएँ	30	15
प्रतिनियुक्त, महाराज्यपाल के	126	50
प्रतिरक्षा		
संसद, उसके सदस्यों और समितियों की°	49	20
°के सम्बन्ध में नियम और आदेश	50	20
नागरिकों की°। देखिए प्रजा, महारानी की		
प्रभार		
निरीक्षण कानूनों के निष्पादन के लिए°। देखिए निरीक्षण कानून, जनता पर। देखिए प्रस्तावित प्रभार		
प्रभुताधिकार, देखिए अर्जन		
प्रवेश, राष्ट्रमंडल में		प्रस्तावना
दूसरे आस्ट्रेलेशियन उपनिवेशों और आस्तियों का°	व्या 6	3
राज्यों के रूप में उपनिवेशों और राज्य-क्षेत्रों का°	121	41
नए राज्यों का°	106	46
°पर राज्यों, राज्य-संविधानों का अनुवर्तन रहना	107	46
°पर राज्य-संसदों की शक्तियाँ		
प्रशासक, सरकारी	4	6
°की नियुक्ति	4	6
"महाराज्यपाल" पद के अन्तर्गत°	4	6
किसी दूसरे पद के लिए वेतन न पाना		
प्रशासन	64	31
मंत्रियों द्वारा राज्यमंडल के विभागों का°	101	43
उसके सम्बन्ध में अन्तर राज्य आयोग की शक्ति		

विषय	धारा	पृष्ठ
प्रस्तावित कानून		
वार्षिक सेवाओं के लिए धन विनियोजन के लिए°	54	28
°पर सम्मति । देखिए सम्मति		
°के सम्बन्ध में सदनों के बीच असहमति	57	29
संविधान परिवर्तन के लिए°	128	51
°पर महाराज्यपाल संशोधन की सिपारिश कर सकता है	58	30
°का आरक्षण, प्रिवी कौंसिल में अपील का प्रसीमन	74	34
धन विधेयक के° । देखिए धनविधेयक		
धन विधेयकों के सम्बन्ध में सीनेट की शक्ति	53	27
सीनेट भी देखिए		
°का आरक्षण । देखिए आरक्षित		
प्रस्तावित प्रभार या व्ययभार		
सीनेट बढा नहीं सकता	53	27
प्राधिकार		
उपनिवेशों को कुछ शक्तियों के अन्तरण का°	70	32
°द्वारा राज्यों को वरीयता या विभेद	102	44
प्राप्ति		
राजस्व°	81	37
°के सम्बन्ध में राज्य-कानून की अस्थायी प्रयुक्ति	97	43
प्रामिसरी नोट		
के सम्बन्ध में विधानशक्ति	51 (xvi)	22
प्रारम्भ, विनियोजन या करारोपक विधेयकों का°	53	27
प्रार्थना		
महाराज्यपाल द्वारा° विधेयक के संशोधन के लिए	58	30
सीनेट द्वारा° धन विधेयक के संशोधन के लिए	53	27
कुछ विधान-शक्तियों के प्रयोग के लिए राज्य संसद की°	51 (xxxviii)	24
प्रासंगिक विधान-शक्ति	51 (xxxix)	24
प्रिवी कौंसिल		
में उच्च न्यायालय से अपील । देखिए अपील		

विषय	धारा	पृष्ठ
बच्चों		
के अभिरक्षण और संरक्षण के संबंध में विधान-शक्ति	51 (xxii)	22
बल देखिए सुरक्षा		
बही खाता अवधि		
जब तक एकसमान शुल्क नहीं होते°	89	40
उसके पश्चात् पाँच वर्ष के लिए°	93	41
राजस्व व्यय भी देखिए		
बाल धर्मस्व		
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxiiiA)	22
बाहरी मामलों		
के सम्बन्ध में विधानशक्ति	51 (xxix)	23
बाहरी व्यापार		
देखिए व्यापार और वाणिज्य		
बीमा		
राज्य के अधीन राज्य-बीमा छोड़कर° के संबंध में विधानशक्ति	51 (xiv)	22
राज्यसीमा के बाहर राज्यबीमा के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xiv)	22
बीमारी लाभ		
के संबंध में विधान-शक्ति	51 (xxiiiA)	22
बुढ़ापा पेंशन		
के सम्बन्ध में विधानशक्ति	51 (xxii)	22
बुलाना		
संसद	5	7
बेरोजगारी लाभ		
के संबंध में विधानशक्ति	51 (xxiiiA)	22
बैंक-पद्धति		
(राज्य के भीतर राज्य बैंक-पद्धति को छोड़कर) °के सम्बन्ध में विधानशक्ति	51 (xiii)	22

विषय	धारा	पृष्ठ
बैंक-पद्धति		
राज्य (राज्यातीत)		
°के सम्बन्ध में विधानशक्ति	51 (xiii)	22
बकों के निगमन		
के सम्बन्ध में विधानशक्ति	51 (xiii)	22
बोया देखिए प्रकाशगृह		
ब्राडो उपवाक्य		
ब्रिटिश नौयानों पर राष्ट्रमंडल के प्रवृत्त कानून	व्या 5	3
भत्ता		
सेवा-निवृत्ति°, देखिए सेवा-निवृत्ति भत्ता		
संसद के सदस्यों को°	48	20
भत्ते		
मातृत्वकालीन एवं परिवार°, उनके सम्बन्ध में विधानशक्ति	51 (xxiiia)	22
भाग, राज्यों के		
°को राष्ट्रमण्डल वरीयता नहीं देगा	99	43
°का समर्पण। देखिए भूक्षेत्र		
°के बीच करारोपक कानून विभेद नहीं करेंगे	51 (ii)	21
°को मिलाकर नए राज्य में परिवर्तन	124	50
भाग, राष्ट्रमण्डल के		
°न्यायालयों, न्यायाधीशों और जनता पर संविधान और कानून का बंधनकारी होना	व्या 5	3
राज्य° हैं	व्या 6	3
°के लिए प्रतिनियुक्त महाराज्यपाल की नियुक्ति	126	50
भुगतान		
अतिरिक्त राजस्व की राज्यों को मासिक°	87, 89, 93, 94	31, 40, 41, 42
अधिदानों की° का नियंत्रण। देखिए अधिदान		
राष्ट्रमण्डल के व्यय की°	82	37

विषय	धारा	पृष्ठ
°की गई राज्य-ऋणों पर व्याज	87, 105, 105a(i)	39, 45, 45
भूक्षेत्र		
°का राज्य के रूप में प्रवेश या संस्थापन	व्या 6	3
°की सरकार के सम्बन्ध में विधानशक्ति	122	49
°का संसद में प्रतिनिधित्व	122	49
भक्षेत्र के विकास		
के लिए रेलवे भाड़ा	104	49
भक्षेत्रातीत		
°आस्ट्रेलिआई जल में मछली पकड़ना	51 (x)	21
राष्ट्रमंडल कानून का° प्रवर्तन	व्या 5	3
भूक्षेत्रीय सीमाएँ । देखिए सीमा भूक्षेत्रातीत		
भूमि		
देखिए क्राउन की भूमि : सम्पत्ति		
भेषजलाभ		
के सम्बन्ध में विधानशक्ति	51 (xxiiia)	22
मंडल, निर्वाचक		
प्रतिनिधि-सदन के लिए°	29	14
सीनेट ,,	7	7
मछली पकड़ना		
भूक्षेत्रातीत जल में°, उसके संबंध में विधानशक्ति	51 (x)	21
मतदान		
प्रतिनिधि-सदन में°	40	17
सीनेट में°	23	13
निर्वाचन में° । देखिए निर्वाचन : निर्वाचक		
संविधान के संशोधन पर°	128	52
मताधिकार, संघीय		
सीनेट°	8, 30	8, 15
प्रतिनिधि-सदन°	30	15

विषय	धारा	पृष्ठ
°विषयक राज्य के वयस्क निर्वाचकों का अधिकार	41	17
देखिए निर्वाचक—राष्ट्रमण्डल के		
मन्त्री, राज्य—राष्ट्रमण्डल के लिए		
लाभ के पद की अनर्हता नहीं लागू होती है	44	18
°की संख्या और पद	65	31
°का वेतन	66	32
°का राज्य-विभाग प्रशासित करना	64	31
संघीय कार्यपालिका परिषद् का सदस्य होना	64	31
प्रसन्नता तक पद ग्रहण करना	64	31
संसद में उपवेशन	64	31
महाराज्यपाल		
पद के° अन्तर्गत सरकार का प्रशासक है	4	6
°को संघीय कार्यपालिका परिषद् सलाह देगी	62	31
°द्वारा संविधान का परिवर्तन निर्वाचकों को सौंपा जाना	128	52
°की नियुक्ति	2	6
°की प्रथम"	व्या 3	2
धन के विनियोजन पर° द्वारा सिपारिश	56	28
आरक्षित बिल पर महारानी की अनुमति महाराज्यपाल द्वारा दी जाएगी	60	30
°में सेवाओं का मुख्य कमान निहित होगा	68	32
°के प्रतिनियुक्त, उनकी नियुक्ति	126	50
महारानी द्वारा कानून का निरनुमोदन °द्वारा प्रतिज्ञापित होगा	59	30
°द्वारा कार्यपालिका सलाहकार चुने और आहूत होंगे	62	31
राष्ट्रमण्डल की कार्यपालिका शक्ति °द्वारा प्रयोज्य	61	31
°राज्य-मन्त्री नियुक्त कर सकता है	64	31
°संसद के सत्र का समय नियत कर सकता है	5	7
°असहमति की हालत में दोनों सदनों का संयुक्त उपवेशन संयोजित कर सकता है।	57	29
प्रतिनिधि-सदन का समय° निर्धारित कर सकता है	5, 28	7, 14

विषय	धारा	पृष्ठ
एक ही साथ सीनेट और प्रतिनिधि-सदन विघटित कर सकता है	57	29
विधेयक पर सम्मति दे सकता है या संमति रोक सकता है	58	30
संसद का सत्रावसान कर सकता है	5	7
उपस्थित किए गए विधेयक में संशोधन की सिपारिश कर सकता है	58	30
महारानी की प्रसन्नता के लिए विधेयक आरक्षित कर सकता है	58	30
किसी दूसरे उपबन्ध के अभाव में मन्त्री और उसका पद निश्चित कर सकता है	65	31
प्रिवी कौंसिल में अपील प्रसीमित करते हुए विधेयक आरक्षित कर सकता है	74	34
°की शक्तियाँ और कृत्य	2, 61, 126	6,31,50
°की अनुमति के लिए विधेयकों की प्रस्तुति	57, 58, 128	29, 30, 52
°संबंधी उपबंधों की प्रयुक्ति	4	6
°महारानी का प्रतिनिधि	2, 61, 68	6,31,32
°का वेतन	3	6
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के समय सीनेट में रिक्तता की °द्वारा अधिसूचना	21	12
°के लिए सीनेटरों का नाम प्रमाणित होगा	9, 15	8, 11
°की कुछ शक्तियों और कृत्यों का अन्तरण	70	32
°द्वारा विभागों का अन्तरण उद्घोषित होगा	69	32
महाराज्यपाल, परिषद् सहित		
अधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन° में निहित होगा	67	32
संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की"	72	33
अन्तर राज्य आयोग के सदस्यों की"	103	44
°पद की परिभाषा	63	31
राज्य के विभाग स्थापित कर सकता है	64	31

विषय	धारा	पृष्ठ
प्रतिनिधिसदन के निर्वाचक के लिए लेख जारी कर सकता है	32, 33	15, 16
°को कुछ शक्तियों और कृत्यों का अंतरण	70	32
महारानी		
°द्वारा नियुक्त सरकार का प्रशासक	4	1
°द्वारा कानून की अस्वीकृति	59	30
राष्ट्रमंडल की कार्यपालिका शक्ति° में निहित है	61	31
°की कार्यपालिका शक्ति महाराज्यपाल द्वारा प्रयोज्य	61	31
°द्वारा नियुक्त महाराज्यपाल	2	6
संसद सहित°	1	6
°महाराज्यपाल को प्रतिनियुक्त नियुक्त करने के लिए अधिकृत कर सकती है	126	50
°की शक्ति और कृत्य महाराज्यपाल को सौंपे जा सकते हैं	2	6
°द्वारा राष्ट्रमंडल की उद्घोषणा	व्या 3	2
°के निर्देशन	व्या 3	3
°की सम्मति के लिए आरक्षित विधेयक	60	30
°की प्रजा। देखिए प्रजा		
°द्वारा राष्ट्रमंडल के अधीन रखा गया भूक्षेत्र क्राउन भी देखिए	122	49
महारानी द्वारा कानून की अस्वीकृति	59	30
मातृत्वकालीन भत्ते		
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxiiia)	22
मादक द्रव		
के सम्बन्ध में राज्य कानून की प्रयुक्ति	113	47
मानदेय—देखिए शुल्क		
मान्यता		
राज्यकानून, अभिलेख आदि की°	118	48
°के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxv)	23

विषय	धारा	पृष्ठ
माप देखिए बाट और माप		
मामले		
जिनमें उच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार है	73	34
जिनमें उच्च न्यायालम को मौलिक क्षेत्राधिकार है	75	35
जिनमें संसद उच्च न्यायालय को मौलिक क्षेत्राधिकार दे सकती है	76	35
„ संसद राष्ट्रमंडल या राज्य के विरुद्ध प्रक्रिया के लिए अधिकार दे सकती है	78	36
„ संसद संघीय और राज्य न्यायालयों का क्षेत्राधिकार निश्चित कर सकती है	77	36
जिन विषयों के सम्बन्ध में विधान-शक्ति, शक्तियों के निष्पादन के प्रसंग में हो	51(xxxix)	27
जिनके संबंध में संविधान उपबंध करता है; जब तक संसद कोई दूसरा उपबंध नहीं करती है	51 (xxxvi)	25
राज्य संसदों द्वारा निर्दिष्ट°	51 (xxxii)	25
अन्तरित विभागों के संबंध में°	52 (ii)	27
राष्ट्रमंडल की कार्यपालिका सरकार को सौंपे गए विषयों के संबंध में शक्तियों और कृत्यों का अन्तरण	70	32
ऊ		
आस्ट्रेलियाई० का पच्छिमी आस्ट्रेलिया में पास होना	95	42
°के उत्पादन या निर्यात पर अधिदान। देखिए अधिदान		
एकसमान शुल्क आरोपण के पहले निर्यात हुए माल का पच्छिमी आस्ट्रेलिया में अन्तर राज्य अन्तरण	95	42

विषय	धारा	पृष्ठ
°का अन्तर राज्य अन्तरण, चुकाए हुए शुल्क का आकलन	93	46
रेलवे पर° ढोवाई के लिए दरें	104	45
निर्यात : आयात भी देखिए		
मिलिटरी—देखिए सुरक्षा		
मेलबोर्न		
में संसद का अस्थायी रूप से बैठना	125	50
मौलिक राज्यों		
°की परिभाषा	व्या 6	3
°का बराबर प्रतिनिधित्व, सीनेट में	7	7
°का अल्पतम प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि सदन में	24	13
°के लिए सीनेटरों की संख्या	7	7
°का उपबंध, यदि पच्छिमी आस्ट्रेलिया मौलिक राज्य है	26,95	14,42
यदि संसद दूसरा उपबंध नहीं करती है तो		
संविधान द्वारा उपबंध करने की विधान शक्ति	51 (xxxvi)	25
परिषद् सहित महारानी के पास अपील के लिए शर्तें और प्रतिबंध	73	33
लेखापरीक्षा	97	43
सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क की प्रयुक्ति	87	39
विवादग्रस्त निर्वाचन	47	20
निर्वाचकीय विभाजन, प्रतिनिधि सदन	29	14
सीनेट	7	7
क्वींसलड	7	7
राज्यों को वित्तीय सहायता	96	42
सिविल अधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन	67	32
सदस्य-संख्या, कोटा का विनिश्चयन	24	13
मंत्री-संख्या	65	31

विषय	धारा	पृष्ठ
सीनेटर संख्या	7	7
सदस्यों को भुगतान	48	20
अनर्हित होने पर उपवेशन के लिए दण्ड	46	19
निर्वाचक की अर्हता	30	15
प्रतिनिधि-सदन के सदस्य की अर्हता	34	16
प्रतिनिधि-सदन की गणपूर्ति	39	17
सीनेट ,,	22	13
महाराज्यपाल का वेतन	3	6
मंत्री ,, ,,	66	32
राज्य निर्वाचकीय कानून, प्रतिनिधि सदन का निर्वाचन	31	15
सीनेट ,,	10	10
राजधानी, संघीय°, देखिए सरकार की सीट		
राजस्व		
उगाहा या प्राप्त°, संचित राजस्व निधि बनाएगा	81	37
°का पहला उपयोग व्यय की भुगतान के लिए	82	37
सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क, निबल राजस्व का पंचमांश से अनधिक राष्ट्र-मण्डल द्वारा व्यय के लिए लगाया जाना	87	39
अवशेष राज्यों को चुकाया जाना या ऋणों पर व्याज की भुगतान के लिए लगाया जाना	87	39
°का आकलन, राज्यों को	89,93	40,41
मालों के अन्तर राज्य अंतरण पर°	93	41
राज्यों को भुगतान, बही-खाते की अवधि में	89,93	40,41
—,, ,, के पश्चात्	94	42
°प्राप्ति पर राज्य कानून की अस्थायी प्रयुक्ति	97	43
°विनियोजक विधेयक। देखिए विनियोजन बिल		
कानून राज्य या किसी हिस्से को वरीयता न देगा	99	43
समीक्षा, °प्राप्ति और व्यय की। देखिए लेखापरीक्षा		

विषय	धारा	पृष्ठ
राज्य		
राज्य सीमा के बाहर बैंकिंग के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xiii)	22
—बीमा	51 (xix)	22
°अधिकार। देखिए राष्ट्रमंडल : राज्य		
राज्य		
°से सम्पत्ति अर्जन। देखिए सम्पत्ति		
°से रेलवे अर्जन	51 (xxxiii)	23
राज्यों के बहुमत के अनुमोदन से संविधान परिवर्तन	128	52
राज्य सीमा का परिवर्तन	123,128	49,51
°राष्ट्रमंडल के अंग हैं	व्या 6	3
°द्वारा अधिदान	90,91	40
राष्ट्रमंडल कानून° न्यायालयों, न्यायाधीशों और जनता पर बंधनकारी	व्या 5	3
रेलवे के निर्माण और विस्तार के लिए राज्य की सम्मति	51 (xxxiv)	23
राज्य के प्रश्नों पर अपील की संवैधानिक शक्ति	74	34
°संविधान में किसी बात के होते राज्य की सार्वजनिक ऋणें उभय पक्षों पर बंधनकारी	105 a (5)	46
राज्य संविधान का परिवर्तन	106	46
का अनुवर्तन	106	46
°न्यायालय से उच्च न्यायालय में अपील	73 (ii)	33
पर राष्ट्रमंडल कानून बंधनकारी	व्या 5	3
संघीय क्षेत्राधिकार से पृथक्	77 (ii)	36
संघीय क्षेत्राधिकारयुक्त हो सकते हैं	77 (iii)	36
संघीय क्षेत्राधिकार प्रयोगकर्ता न्यायाधीशों की संख्या	79	36
कार्यवाहियों की मान्यता	51 (xxv)	23

विषय	धारा	पृष्ठ
के निर्णय और प्रक्रिया की तामील और निष्पादन	51 (xxiv)	23
वर्तमान आभार राष्ट्रमंडल द्वारा स्वीकृत, अन्तरित विभागों के सम्बन्ध में	85 (iv)	38
°ऋण। देखिए ऋण, राज्य		
°की सुरक्षा। देखिए सुरक्षा		
°की परिभाषा	व्या 6	3
विभिन्न विषय, वस्तु उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अधीन दावेदारी के	76 (iv)	35
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए		
°द्वारा या उसके विरुद्ध विभेद। देखिए विभेद		
°की असफलता सीनेटर चुनने में	11	10
°को वित्तीय सहायता, राष्ट्रमंडल द्वारा	96	42
बही-खाते की अवधि में वित्तीय व्यवस्थाएँ		
एकत्रित राजस्व के आकलन विषयक	89 (i),93	40,41
व्यय का विकलन	89 (ii),93	40,41
अवशेष की भुगतान	89 (iii),93	40,41
°के राज्यपाल। देखिए राज्यपाल		
राज्य के निरीक्षण कानून निष्पादन के लिए प्रभार	112	47
°कानून के ऊपर राष्ट्रमंडल कानून होना	व्या 5,109	8,47
°का अनुवर्तन	108	46
विभिन्न राज्य, एक ही विषय वस्तु पर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन	76(iv)	36
°को विश्वास और प्रत्यय दिया जाएगा	118	48
°पर सीमा शुल्क या उत्पादन शुल्क या अधिदान का आरोपण	90	40
राष्ट्रमंडल कानून के साथ असगत होने पर अवैध	व्या 5,109	3,47
निरीक्षण। देखिए निरीक्षण कानून		
°के अधीन मादक द्रव	113	47

विषय	धारा	पृष्ठ
°द्वारा जनजाति के लोग मतदान से अनर्हित	75	35
परिवर्तन और निरसन की शक्ति का अनुवर्तन	108	46
°की मान्यता, सम्पूर्ण राष्ट्रमंडल में	51 (xxv),118	23,48
लेखापरीक्षा आदि सम्बन्धी राज्य कानून की प्रयुक्ति		
°निर्वाचन	97	43
°के अधीन अन्तरित अधिकारियों का अधिकार	10,31	10,15
°के अधीन अन्तरित विभागों के विषय में अर्पित सम्पत्ति का मूल्यांकन	84	37
°की विधान शक्ति । देखिए विधान शक्ति	85 (ii)	38
राज्यों के बीच विवाद या विभिन्न राज्य निवासियों के बीच या राज्य बनाम अन्य राज्य के निवासी के बीच विवाद के संबंध में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार		
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए	75 (iv)	35
नए° । देखिए नए राज्य		
°संसद को परिवर्तन और निरसन की समवर्ती शक्ति		
°की सम्मति, राज्य सीमा परिवर्तन के लिए	108	46
°से नए राज्य का निर्माण	123	49
°संसद की शक्तियों का अनुवर्तन	124	50
°से प्रतिसंहृत शक्तियाँ	107	46
निरपेक्ष शक्ति भी देखिए	107	46
°द्वारा राष्ट्रमंडल संसद को विषय निर्देशन	51(xxxvii)	24
°की, संघीय विधान के लिए प्रार्थना में सहमति	51(xxxviii)	24
आकस्मिक रिक्तता भरने के लिए संयुक्त उपवेशन में सीनेटर का चयन	15	11
°द्वारा भूक्षेत्र का समर्पण	111,122	47,49
देखिए विधान शक्ति (राज्यों की)		
°के भाग । देखिए भाग, राज्यों के		

विषय	धारा	पृष्ठ
°को भुगतान । देखिए राजस्व ।		
पेंशन आदि । अन्तरित विभागों के अधिकारियों को	84	38
°की जनता । देखिए जनता		
°को वरीयता । देखिए वरीयता		
°द्वारा कारागार आवास की व्यवस्था	120	49
°के विरुद्ध कार्यवाही के लिए राष्ट्रमंडल संसद अधिकार दे सकती है	78	36
°सम्पत्ति । राष्ट्रमंडल द्वारा करारोपण नहीं	114	48
°की सुरक्षा, चढ़ाई या हिंसा के विरुद्ध	119	48
°रेलवे । देखिए रेलवे		
राज्य कानून, सार्वजनिक कृत्य आदि की पूरे राष्ट्रमंडल में मान्यता	51 (xxv),118	23,48
°का प्रतिनिधित्व । देखिए प्रतिनिधित्व		
°अधिवासी । देखिए अधिवासी		
°का अधिकार, नदीजल के युक्तियुक्त उपयोग के लिए	100	43
नए राज्य; राज्य या राज्य हिस्सों के मेल से उपनिवेश भी देखिए	124	50
राज्यक्षेत्र		
°के विकास के लिए आवश्यक रेलवे दर	104	45
°का अलगाव, नए राज्य बनाने के लिए	124	50
°का समर्पण, राज्य संसद द्वारा	111, 122	4,49
समर्पित° की स्वीकृति	111, 122	47,49
°पर निरपेक्ष क्षेत्राधिकार	111	47
संघीय° के भीतर सरकार का स्थान होना	125	50
राज्यपाल, राज्य के (या उपनिवेश के)		
निर्वाचित सीनेटरों का नाम प्रमाणित करेंगे	7, 15	7 11
सीनेट निर्वाचनों के लिए लेख जारी करेंगे	12	10
यदि राज्य-संसद सत्र में हो तो सामयिक		

विषय	धारा	पृष्ठ
रिक्तताओं को भरने के लिए° सीनेटर नियुक्त कर सकते हैं	15	11
°को सीनेट में रिक्तता की अधिसूचना	21	12
°सम्बन्धी उपबंध, उसकी प्रयुक्ति	110	47
°की कुछ शक्तियों और कृत्यों का अन्तरण	70	32
राष्ट्रमण्डल		
°द्वारा राज्यक्षेत्रों की स्वीकृति	111, 122	47,49
°द्वारा राज्यक्षेत्र या सम्पत्ति का अर्जन। देखिए अर्जन		
°में राज्यों का प्रवेश। देखिए प्रवेश		
°में संगठित होने के लिए करारनामा	प्रस्तावना	
राज्यों के सार्वजनिक ऋण के संबंध में राज्यों के साथ °द्वारा करारनामा	105A	45
1895 का औपनिवेशिक प्रसीमा अधिनियम के प्रयोजन के लिए राष्ट्रमंडल स्वशासित उपनिवेश है	व्या 8	4
°की संचित राजस्व निधि। देखिए संचित राजस्व निधि		
°का संविधान। देखिए संविधान		
संवैधानिक शक्तियाँ। प्रश्नों पर उच्च न्यायालय से अपील। देखिए अपील		
°द्वारा लिए गए अन्तरित विभागों के सम्बन्ध में राज्यों के वर्तमान प्रभार	85 (iv)	39
°की सुरक्षा। देखिए सुरक्षा	व्या 6	3
°की परिभाषा		
°के विभाग। देखिए विभाग		
°की स्थापना	व्या 3	2
स्थापना भी देखिए		
°की कार्यपालिका सरकार। देखिए कार्यपालिका सरकार		
°की कार्यपालिका शक्तियाँ। देखिए कार्यपालिका शक्तियाँ		

विषय	धारा	पृष्ठ
°का व्यय। देखिए व्यय		
°की संघीय प्रवृत्ति	प्रस्तावना व्या 3	2
°की सरकार। देखिए कार्यपालिका सरकार : सरकार	प्रस्तावना	
°का महाराज्यपाल। देखिए महाराज्यपाल : परिषद् सहित महाराज्यपाल		
°की अविलेयता	प्रस्तावना	
°की न्यायिक शक्तियाँ। देखिए न्यायिक शक्तियाँ		
°के कानून। देखिए कानून		
°की विधान शक्ति। देखिए राष्ट्रमंडल की विधानशक्ति		
°के लिए राज्यमंत्री। देखिए राज्यमंत्री °का नाम	व्या 3	2
°नदियों के युक्तियुक्त उपयोग को न्यून नहीं करेगा	100	43
°राज्य या उसके हिस्से को वरीयता नहीं देगा	99	43
धर्म के सम्बन्ध में विधान	116	48
राज्य सम्पत्ति पर कर	114	48
°के अधिकारी। देखिए अधिकारी		
°की संसद। देखिए संसद		
°के अंग। देखिए भाग, राष्ट्रमंडल के		
°के मुकदमा करनेवाले पक्ष, क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए	75 (iii)	35
°के विरुद्ध कार्यवाहियों के अधिकार प्रदत्त होंगे	78	36
°की सम्पत्ति पर, °की संमति विना राज्यों द्वारा कराधान नहीं	114	48
°द्वारा राज्यों का परिरक्षण	119	48
°का राजस्व। देखिए राजस्व		
°सरकार का स्थान। देखिए सरकार का स्थान		
°के राज्य °के अंग हैं	व्या 6	3
°की सांख्यिकी। देखिए सांख्यिकी		

विषय	धारा	पृष्ठ
रिक्तता		
किसी सदन में°, अनर्हता द्वारा	45	19
°के सम्बन्ध में प्रश्न	47	20
प्रतिनिधि-सदन में°	33	16
अनुपस्थिति द्वारा	38	17
त्यागपत्र द्वारा	37	17
सीनेट में°		
अनुपस्थिति द्वारा	20	12
त्याग पत्र ,,	19	12
आवर्तन ,,	13, 14	10,11
सामयिक	15	11
की अधिसूचना	21	12
सीनेट के अध्यक्ष पद की°	17	12
प्रतिनिधि-सदन के अध्यक्ष पद की°	35	16.
रेलवे		
°का निर्माण और प्रसार, राष्ट्रमंडल द्वारा	51 (xxxiv)	23
°का नियंत्रण नौ-सेना और मिलिटरी प्रयोजन के लिए		
°के संबंध में विधान-शक्ति	51 (xxxii)	23
राज्य °के अर्जन के सम्बन्ध में विधानशक्ति	51 (xxxiii)	23
के सम्बन्ध में विधानशक्ति, व्यापार और वाणिज्य तक विस्तृत	98	43
पर वरीयता और विभेद	102	44
के संबंध में वित्तीय दायित्व	102	44
के विकास के लिए दरों के सम्बन्ध में उपबन्ध	104	44
लाइसेंस शुल्क		
का आरोपण और विनियोजन	59	44
लाभ		
बेरोजगार, भेषज, बीमारी, चिकित्सालय और		

विषय	धारा	पृष्ठ
विद्यार्थी लाभ के सम्बन्ध में विधानशक्ति	51 (xxiii A)	22
लुप्ति (ommission) देखिए संशोधन		
लेख		
साधारण निर्वाचन के लिए प्रतिनिधि-सदन के लिए°	32	16
°निकासी का समय	32	16
प्रतिनिधि-सदन के लिए सामयिक निर्वाचन के°	33	16
सीनेटरों का निर्वाचन°	12	10
संघीय अधिकारियों के विरुद्ध निषेध, परमादेश या व्यादेश के संबंध में क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए	75 (x)	35
लेखापरीक्षण		
सार्वजनिक खातों के लेखापरीक्षण के सम्बन्ध में विधानशक्ति	97	43
लेखापरीक्षण के सम्बन्ध में राज्य कानूनों की उपबंधिक प्रयुक्ति	51 (xxvi)	23
लोक कार्यवाही		
राज्यों की° की पूरे राष्ट्रमंडल में मान्यता	118	48
°की मान्यता के संबंध में विधान-शक्ति	51 (xxv)	23
वयस्क		
राज्य-निर्वाचकों के° अधिकार	41	17
राज्यों में °मताधिकार, एकसमान मताधिकार के लम्बन तक मतगणना	128	58
वरीयता		
राष्ट्रमंडल राज्य या किसी हिस्से को° नहीं देगा	99	43
अनुचित और अयुक्तियुक्त° आदि, राज्य रेलवे पर विभेद : अन्तर राज्य आयोग भी देखिए	132	49
वर्तमान आभार		
अन्तरित विभागों का	85 (iv)	39

विषय	धारा	पृष्ठ
वर्तमान और प्रोद्भूत		
अधिकार। देखिए अधिकार		
वसूली		
सीमा शुल्क और आबकारी शुल्क की°	86	39
पच्छिमी आस्ट्रेलिया द्वारा आरोपित	95	42
राजस्व की वसूली का खर्च	82	37
वाणिज्य		
देखिए व्यापार और वाणिज्य		
वाणिज्यदूत		
को प्रभावकारी विषयों में क्षेत्राधिकार	75 (ii)	35
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए		
वार्षिक विनियोजन विधेयक		
देखिए विनियोजन विधेयक		
विघटन		
प्रतिनिधि-सदन का°	5, 28	7 14
,, °के पश्चात् लेखों का प्रवर्तन	32	16
असहमति की स्थिति में सीनेट और प्रतिनिधि-सदन का°	59	29
°के पश्चात् सीनेट लेखों का प्रवर्तन	12	10
°के पश्चात् सीनेटरों का आवर्तन	13	10
वित्त और व्यापार		
देखिए ऋण: व्यय: राजस्व: व्यापार और वाणिज्य		
वित्तीय		
°करारनामें, राज्य-ऋण के सम्बन्ध में राज्य और राष्ट्रमंडल के बीच	105 A	45
राज्य ऋण भी देखिए		
राज्य को वित्तीय सहायता	96	42
°निगमों के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xx)	22
विदेशी निगमों		
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xx)	22

विषय	धारा	पृष्ठ
विदेशी राज्य		
°को निष्ठा-ज्ञापन संसद के लिए अनर्हित करता है	44 (i)	18
°के प्रतिनिधियों को अनुभावित करने वाले विषयों में क्षेत्राधिकार	75 (ii)	35
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए		
°के साथ व्यापार और वाणिज्य । देखिए व्यापार और वाणिज्य		
अन्यदेशीय भी देखिए ।		
विद्यार्थी, लाभ के संबन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxiiiA)	22
विधान-शक्ति, राज्यों की		
की व्यावृत्ति, यदि वे निष्कासित या प्रतिसंहृत नहीं हैं	107	46
कुछ विषयों में राज्य कानून का परिवर्तन और निरसन यदि राष्ट्रमंडल की संसद दूसरा उपबंध नहीं करती है	108	46
अधिदान	91	40
निरीक्षण प्रभार	112	47
मादक द्रव	113	47
राष्ट्रमंडल की संसद को विषयों का निर्देशन	51 (xxxvii)	24
राष्ट्रमंडल विधानमंडल की सहमति या प्रार्थना	51 (xxxviii)	25
सीनेटरों के निर्वाचन का समय और स्थान	9	8
,, ,, ,, ,, तरीका	9	8
राज्य भूक्षेत्र का समर्पण, यदि संसद दूसरी व्यवस्था नहीं करती है	111	47
विधान-शक्ति, राष्ट्रमंडल की		
संसद में निहित होगी	6	1
अन्यदेशीय	51 (xix)	22
संविधान परिवर्तन को निर्वाचकों के सम्मुख रखने पर मतदान	128	52
विवाचन, औद्योगिक	51 (xxxv)	24
खगोलीय या अंतरिक्ष शास्त्रीय प्रेक्षण	51 (viii)	21
आय और व्यय की लेखापरीक्षा	97	43

विषय	धारा	पृष्ठ
बैंकिंग (राज्य के भीतर राज्य बैंकिंग छोड़कर)	51 (xiii)	22
बैंकों का निगमन	51 (xiii)	22
दिवालियापन और शोधनक्षमता	51 (xvii)	22
आकाश-दीप	51 (vii)	22
विनिमय बिल और प्रामिसरी नोट	51 (xvi)	22
धन-उधारण	51 (iv)	22
उत्पादन या निर्यात पर अधिदान	51 (iii)	22
"ब्राडो उपवाक्य", दस वर्ष की अवधि के पश्चात्	87	39
बोया	51 (vii)	21
जनगणना और सांख्यिकी	51 (xi)	22
सिक्का ढलाई	51 (xii)	22
वाणिज्य, व्यापार और	51 (i)	21
राष्ट्रमंडल के विरुद्ध कार्यवाहियाँ	78	36
समझौता, औद्योगिक	51 (xxxv)	24
कृति स्वाम्य	51 (xiii)	23
निगम, विदेशी और व्यापारिक और वित्तीय जो राष्ट्रमंडल में बने हों		
अपराधियों का अन्तः प्रवेश	51 (xx)	22
चल-अर्थ, सिक्का ढलाई और वैध निविदा	51 (xxviii)	22
चल अर्थ—कागजी मुद्रा जारी करना	52 (xii)	22
सीमाशुल्क का आरोपण	51 (xiii)	22
ऋण, राज्यों की	51 (ii), 90	21 40
सुरक्षा, नौ-सेना और मिलिटरी	105	45
विभागों के अधिकारों के प्रासंगिक विषय	51 (vi)	21
डिजाइनों के पेटेंट	51 (xxxix)	25
तलाक और वैवाहिक कारण	51 (xviii)	22
निर्वाचन। दे० प्रतिनिधि-सदन : सीनेटर उत्प्रवास	51 (xxii)	22
उत्पादन (आबकारी) शुल्क का आरोपण	51 (xxvii)	22
निरपेक्ष° देखिए निरपेक्ष	51 (ii), 90	21,40

विषय	धारा	पृष्ठ
राष्ट्रमंडल कानून के निष्पादन और पोषण के लिए बलों का नियंत्रण	51 (vi)	21
व्यय, धन का	97	43
बाहरी मामले	51 (xxix)	23
संघीय परिषद्, आस्ट्रेलेशिया की; को दी गई शक्तियों का प्रयोग	51 (xxxviii)	25
°के कानून का निरसन	7	7
संघीय न्यायालयों का संस्थापन	71	33
°का क्षेत्राधिकार	77	36
°के न्यायाधिपतियों का पारिश्रमिक	72	33
संघीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायाधीशों की संख्या	79	36
°का निवेशन, संघीय न्यायालय को छोड़कर, अन्य न्यायालयों में	71	33
°का राज्य न्यायालयों में निवेशन	77 (iii)	36
मछली पकड़ना, भूक्षेत्र की सीमा के बाहर	51 (x)	21
राज्यों के सार्वजनिक ऋणों के संबंध में किए गए करारनामें की मान्यता	105 (2)	45
राज्यों के सार्वजनिक ऋणों के संबंध में करारनामें का पालन	105	45
उच्च न्यायालय के, न्यायाधिपतियों की संख्या	71	33
°का पारिश्रमिक	72	33
°का अपीलीय क्षेत्राधिकार	73	33
°का मौलिक क्षेत्राधिकार	76	36
संसद सदन के सदस्यों के भत्ते	48*	20
°की शक्ति के संबंध में प्रासंगिक विषय	51 (xxxix)	25
°अनर्हित होने पर उपवेशन के लिए दंड	46	19
°की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, और		

* 51 (xxxvi) भी देखिए

विषय	धारा	पृष्ठ
प्रतिरक्षाएँ	49	20
अर्हता, रिक्तता या निर्वाचन के विषय में प्रश्न	47*	20
प्रतिनिधि सदन, निर्वाचन के लिए राज्यों का विभाजन	29*	14
°के निर्वाचकों की अर्हताएँ	30	15
°के सदस्यों के निर्वाचन के विषय में कानून	31*	15
°की संख्या में घटाव या बढाव	27	14
°की संख्या, प्रत्येक मंडल के लिए	29*	14
°की अर्हताएँ	34	16
°की गणपूर्ति	36*	17
आप्रवास (immigration) और उत्प्रवास	51 (xxvii)	23
राजशाही, संसद के अधिकार	51(xxxviii)	25
शिशुओं की अभिरक्षा और संरक्षण	51 (xxii)	22
शोधाक्षमता	51 (xvii)	22
निरीक्षण कानून (राज्य के) रद्द करना	112	47
बीमा (राज्य की राज्यबीमा छोड़कर)	51 (xiv)	22
अन्तर राज्य आयोग की शक्तियाँ	101 (iii)	23
के सदस्यों का वेतन	103 (iii)	44
आविष्कारों के पेटेन्ट	51 (xviii)	22
न्यायालय की शक्तियों के प्रासंगिक विषय	51 (xxxix)	25
कानून (राष्ट्रमंडल के) के निष्पादन और पोषण के लिए बलों का नियंत्रण	51 (vi)	21
वैध निविदा	51 (xii)	22
प्रकाश-गृह, प्रकाश-नौकाएँ, आकाशदीप		

*देखिए 51 (xxxvi) (शब्दों के पहले छपा शून्य शीर्षक की कमी या ऊपरी पंक्ति के संगत अंश की कमी सूचित करता है। संख्याओं के बाद का पुष्प पादटिप्पणी के लिए निर्देश है)

विषय	धारा	पृष्ठ
और बोया	51 (vii)	21
विवाह	51 (xxi)	22
वैवाहिक कारण	51 (xxii)	22
विषय जिनके संबंध में संविधान उपबंध करता है, यदि दूसरा उपबंधन हो	51 (xxxvi)	24
शक्तियों के निष्पादन के प्रासंगिक विषय	51 (xxxix)	25
विषय जो राज्य-संसदों द्वारा निर्दिष्ट हों	51 (xxxvi)	24
°जो अन्तरित विभागों के संबंध में हों	52 (ii)	21
माप	51 (xv)	22
अंतरिक्ष शास्त्रीय प्रेक्षण	51(viii)	21
मंत्रियों की संख्या	65*	31
°के पद	65*	31
°का वेतन	65*	32
देशीयकरण और अन्यदेशीय	51 (xix)	22
नौपरिवहन और जहाजरानी	51 (i),98	21,43
अपराधों की जाँच के स्थान	80	36
अपराधियों का निरोध, राज्य कारावासों में	120	49
अधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन	67*	32
°की शक्तियों के प्रासंगिक विषय	51 (xxxix)	27
पैसिफिक द्वीपों के साथ संबंध	51 (xxx)	23
कागजी मुद्रा जारी करना	51 (xiii)	22
पेटेंट, आविष्कारों और डिजाइनों के	51 (xviii)	22
पेंशन, दुर्बलता और बुढ़ापा	51 (xxiii)	22
स्थान, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित	52 (i)	21
पोस्ट, तार, टेलीफोन और तत्सदृश सेवाएँ	51 (v)	21
प्रिवी कौंसिल में अपील के लिए शर्तें और प्रतिबंध	73*	33
°अपील योग्य विषयों की सीमा	74	34

विषय	धारा	पृष्ठ
प्रामिसरी नोट	51 (xvi)	22
सम्पत्ति अर्जन	51 (xxxi)	23
अन्तरित विभागों की° के लिए प्रतिकर	85 (iii)	21
संगरोध (क्वारंटीन)	51 (ix)	21
जाति, किसी; के लोगों के लिए विशिष्ट कानून	51 (xxvi)	22
रेलवे का निर्माण और प्रसार	51 (xxxiv)	23
राज्य° का अर्जन	51 (xxxiii)	23
°का नियंत्रण, नौसेना और मिलिटरी प्रयोजन के लिए	51 (xxxii)	23
°पर वरीयता और विभेद	102	44
°के संबंध में व्यापार और वाणिज्य	98	43
राजस्व, निबल; सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क से, की प्रयुक्ति, दस वर्ष बाद	87*	39
राजस्व की प्राप्ति	97*	43
वेतन, महाराज्यपाल का	3*	6
संघीय न्यायालय के न्यायाधिपतियों का°	72	33
अन्तर राज्य आयोग के सदस्यों का°	103 (iii)	44
मन्त्रियों का°	66*	32
स्थान, सरकार का, विनिश्चयन	125	50
°के संबंध में कानून	52 (i)	27
सीनेट, निर्वाचक	7*	7
°की गणपूर्ति	22*	13
सीनेटरों के निर्वाचन के संबंध में कानून	10*	10
°के निर्वाचन का तरीका	9	8
°की संख्या में बढ़ाव या घटाव	7*	7
मौलिक राज्यों के लिए°	7*	7
°की अर्हता	16, 34*	12,16
°निर्वाचकों की	8	8

*देखिए 51 (xxxvi)

सीनेटरों का आवर्तन, नियमितता बनाए रखने के लिए उपबंध, जब संख्या में परिवर्तन हो	14	11
जहाजरानी	98	43
राज्य बैंकिंग, राज्यसीमा के बाहर	51 (xiii)	22
राज्य न्यायालय से उच्च न्यायालय में अपील की शर्त	73	33
°का निरपेक्ष क्षेत्राधिकार	77 (ii)	33
°में संघीय क्षेत्राधिकार का निवेशन	77 (iii)	36
°की प्रक्रिया की सूचना और निष्पादन	51 (xxiv)	23
राज्यबीमा, राज्यसीमा के बाहर	51 (xiv))	23
राज्य कानून, अभिलेख आदि की मान्यता	51 (xxv)	23
राज्यों को वित्तीय सहायता	96*	42
°की सीमा का परिवर्तन, राज्यसंसद की सम्मति से और निर्वाचकों के अनुमोदन से	123	49
राज्य राष्ट्रमंडल की सम्मति से नौसेना या मिलिटरी बल का पोषण कर सकते हैं	114	48
राज्य संसद द्वारा निर्देशित विषय	51 (xxxvii)	25
नए राज्य का प्रवेश और संस्थापन	121	49
°का संसद में प्रतिनिधित्व	121	49
°को अतिरिक्त राजस्व की भुगतान	93,94*	42
°के विरुद्ध कार्यवाही	78	36
°द्वारा राष्ट्रमण्डल संपत्ति पर करारोपण के लिए संमति	114	48
सांख्यिकी	51 (v)	21
तार और टेलीफोन सेवाएँ	51	21
भूक्षेत्र की सरकार	122	49
°का संसद में प्रतिनिधित्व	122	49
व्यापार और वाणिज्य, वाह्य और अन्तर राज्य	51 (i), 98	21, 43
ट्रेडमार्क	51 (xviii)	22

*देखिए 51 (xxxvi)

विषय	धारा	पृष्ठ
अन्तरित विभाग	52 (ii)	21
बाट और माप	51 (xv)	21
विधेयक—देखिए धनविधेयक : प्रस्तावित कानून		
विधेयक (बिल), विनिमय°		
विनिमय विधेयकों के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xvi)	22
विनियोजन		
धन और राजस्व का°	81, 88	37, 39
°का प्रयोजन, महाराज्यपाल द्वारा सिपारिश किए जाने के लिए	56	28
विभाग		
राष्ट्रमंडल के°, संस्थापना और प्रशासन	64	31
विभागों की शक्तियों के निष्पादन के संबंध में विधान-शक्ति	51 (xxxix)	27
अन्तरित° । देखिए अन्तरित विभाग		
विभेद		
राष्ट्रमंडल करारोपण के सम्बन्ध में° निषिद्ध	51 (ii)	21
राज्य रेलवे पर अनुचित°	102	44
दूसरे राज्य के निवासियों के विरुद्ध राज्य विभेद नहीं कर सकते हैं	117	48
अन्तर राज्य आयोग भी देखिए		
विवाचन		
औद्योगिक,° उसके सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxxv)	24
विवादग्रस्त निर्वाचनों		
°के प्रश्नों की जाँच	47	20
विवाह		
°के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxi)	22
विशेषाधिकार		
विदेशी नागरिकता के° द्वारा संसद के लिए अनर्हता	44 (i), 45	18, 19

विषय	धारा	पृष्ठ
संसद°	49	20
°के सम्बन्ध में नियम और आदेश	50	20
विश्वास और प्रत्यय		
राज्य कानून का,° इत्यादि । देखिए मान्यता		
विषय वस्तु		
विभिन्न राज्य कानून के अधीन दावा किए हुए° के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार	76 (iv)	36
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए		
वेतन		
सरकार के प्रशासक का°	4	6
महाराज्यपाल का°	3	6
संघीय न्यायालय के न्यायाधिपति का°	72	33
अन्तर राज्य आयोग के सदस्य का°	103	44
राज्य मंत्री का°	66	32
अन्तरण के समय अन्तरित अधिकारी का°	84	37
वैधानिक (मान्य) निविदा		
°के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xii)	22
°के सम्बन्ध में राज्यशक्ति का प्रसीमन	115	48
धन भी देखिए		
वैवाहिक कारण		
°के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxii)	22
व्यय का विकलन : देखिए व्यय		
व्यय, राष्ट्रमंडल का		
°बहीखाते की अवधि में राज्यों के नाम आकलन	89, 93	40, 41
प्रथम निर्वाचन के लिए°, आदि	83	37
विभागों के पोषण और अनुवर्तन पर°	89 (ii)	40
"दूसरा" या "नया°"	89 (ii)	40

विषय	धारा	पृष्ठ
°के सम्बन्ध में राज्य कानूनों की उपबंधिक प्रयुक्ति	97	43
°की भुगतान के लिए सबसे पहिले राजस्व का उपयोग	82	37
सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क से राजस्व, किस सीमा तक वे °की भुगतान के लिए प्रयोज्य हैं	87	39
व्याज, लाभ		
ऋण पर° । देखिए ऋण		
आर्थिक लाभ राष्ट्रमण्डल के साथ किसी करारनामें में संसद के लिए अनर्हित करता है	44 (vi), 45	18, 19
व्यादेश (निषेधाज्ञा) राष्ट्रमण्डल अधिकारियों के विरुद्ध किसी मामले में° क्षेत्राधिकार	75 (v)	35
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए		
व्यापार और वाणिज्य		
बाह्य और अन्तर राज्य° के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (i)	21
°नौपरिवहन और जहाजरानी तक विस्तृत	98	43
°राज्य रेलवे तक विस्तृत	98	43
अन्तर राज्य° की स्वतंत्रता	92	41
पश्चिमी आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध में अस्थायी उपबंध	95	42
कानून, संसद द्वारा निर्मित;		
अन्तर राज्य आयोग द्वारा° प्रशासन और	101	43
रेलवे पर° की अनुचित वरीयता आदि बन्द कर सकता है	102	44
नदी जल का युक्तियुक्त उपयोग न्यून नहीं होगा	100	43

विषय	धारा	पृष्ठ
राज्य या उसके हिस्से को वरीयता नहीं देगा	99	43
व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क)		
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xviii)	22
व्यापारिक निगम		
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xx)	22
व्यावृत्ति		
देखिए अनुवर्तन		
शक्ति		
°और कृत्य, महाराज्यपाल की। देखिए महाराज्यपाल		
°की संवैधानिक सीमा। देखिए संवैधानिक शक्तियाँ		
संसद की°। देखिए विधान शक्ति, राष्ट्रमंडल की		
राज्य संसदों की°। दे० विधान-शक्ति, राज्यों की		
विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा, संसद की°	49	20
°के संबंध में नियम	50	20
कार्यपालिका शक्ति : न्यायिक शक्ति भी देखिए		
शपथ		
°या निष्ठा का प्रतिज्ञान, संसद सदस्यों द्वारा	42	18
°का स्वरूप		अनुसूची
कार्यपालिका सलाहकारों की°	62	31
शिशु		
की अभिरक्षा और संरक्षण के संबंध में विधान-शक्ति	51 (xxviii)	22
शुल्क		
देखिए सीमाशुल्क : उत्पादन शुल्क		
शुल्क		
सेवाओं के लिए शुल्क लेने के कारण संसद के लिए अनर्हता	45 (iii)	19
°या लाइसेंस का आरोपण और विनियोजन	53	27

विषय	धारा	पृष्ठ
शोधाक्षमता		
देखिए दिवालियापन		
शोधाक्षमता		
संख्या	51 (xvii)	22
न्यायाधीशों की°, संघीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले	79	36
प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों की° । देखिए प्रतिनिधि-सदन		
जन° । देखिए जनता		
सीनेटरों की° । देखिए सीनेटर		
संगरोध		
के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (ix)	21
°विभाग का अन्तरण	69	32
संघ		
अविलेय°	प्रस्तावना	
राज्य के हिस्से के° से नए राज्य बनाना	124	50
संघीय उच्चतम न्यायालय	71	33
उच्च न्यायालय भी देखिए		
संघीय कार्यपालिका परिषद्		
°का संगठन और कृत्य	62	31
°के सदस्य का महाराज्यपाल द्वारा आहूत होना	62	31
°ग्रहीतशपथ होना	62	31
°प्रसन्नता तक पद ग्रहण करना	62	31
°का मंत्री होना	64	31
राज्यमंत्री भी देखिए ।		
संघीय क्षेत्राधिकार		
°का प्रयोग करने वाले न्यायालय, उनसे उच्च न्यायालय में अपील	73 (ii)	33
संघीय न्यायालय से भिन्न न्यायालय का क्षेत्राधिकार° में निहित होना	71	33
°का प्रयोग करने वाले न्यायाधीशों की संख्या	79	46

विषय	धारा	पृष्ठ
राज्य न्यायालय में° निहित हो सकता है	77 (iii)	36
° से पृथक् हो सकता है	77 (ii)	36
अपील : संघीय न्यायालय भी देखिए ।		
संघीय न्यायालय		
संसद °स्थापित कर सकती है	71	33
°के न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन	72	33
संसद° का क्षेत्राधिकार पारिभाषित कर सकती है	77 (i)	36
°ऐकान्तिक बना सकती है	77 (ii)	36
°से उच्च न्यायालय को अपील	73 (ii)	33
उच्च न्यायालय भी देखिए ।		
संघीय परिषद्, आस्ट्रेलेशिया की		
अधिनियम 1885 का निरसन	व्या 7	4
°के कानून के निरसन पर प्रभाव	व्या 7	4
°के कानून के निरसन की शक्ति	व्या 7	4
°की विधानशक्ति, राज्यों की प्रार्थना पर संसद द्वारा प्रयोज्य	51 (xxxviii)	25
संघीय राजधानी		
देखिए सरकार का स्थान		
संघीय राष्ट्रमंडल		
में संगठित होने के लिए करारनामा	प्रस्तावना	
°का संघ	व्या 3	2
राष्ट्रमंडल भी देखिए ।		
संघीय संसद		
देखिए राष्ट्रमंडल की संसद		
संचित राजस्व निधि		
उगाहे या प्राप्त सभी राजस्व या धन° बनाएँगे	81	37
°का विनियोजन	81, 83	37
°पर प्रभार और° की प्रयुक्ति	82	37

विषय	धारा	पृष्ठ
°से देय महाराज्यपाल का वेतन	3	6
°से देय मन्त्रियों का वेतन	66	32
राजस्व भी देखिए		
संधि		
के अन्तर्गत उठने वाले विषयों में क्षेत्राधिकार	75 (i)	35
बाहरी मामले : संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए		
संवाद (संदेश)		
महाराज्यपाल का°, अधिनियम की अस्वीकृति ज्ञापित करते हुए	59	30
आरक्षित विधेयक पर संमति ज्ञापित करते हुए	60	30
विधेयक के संशोधन की सिफारिश करते हुए	58	30
विनियोजन के प्रयोजन के लिए सिफारिश	56	28
सीनेट को° धन विधेयक के संशोधन की प्रार्थना सहित	53	27
संमति, राजशाही		
दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक (बिल) पेश करने के लिए	58	30
संयुक्त बैठक में°	57	29
संविधान संशोधन पर°	128	51
महारानी की ओर से महाराज्यपाल की°	58	30
कानून की अस्वीकृति पर महाराज्यपाल द्वारा घोषणा	59	30
आरक्षित बिल पर महारानी की°	60	30
संयुक्त उपवेशन (बैठक)		
असहमति की हालत में राष्ट्रमण्डल की संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का°	57	29
सामयिक रिक्तता के लिए सीनेटर चुनने के लिए राज्यसंसद का°	15	11
संयुक्त नियम और आदेश		
संसद-सदन बना सकते हैं	50 (ii)	20
संयुक्त राज (United Kingdom)		
के क्राउन के अधीन संघ	प्रस्तावना	

विषय	धारा	पृष्ठ
°द्वारा प्रयोज्य अधिकार के संबंध में विधानशक्ति	51 (xxxviii)	25
संरक्षण		
जल का°, नदियों के युक्तियुक्त उपयोग का अधिकार न्यून नहीं होगा	100	43
संविधान		
°अधिनियम का बंधनकारी प्रभाव	व्या 5	3
राष्ट्रमण्डल के° में किसी बात के होते हुए राज्यों के सार्वजनिक ऋणों के सम्बन्ध में करारनामें उभयपक्षों पर बंधनकारी	105 (5)	46
राष्ट्रमण्डल के° का परिवर्तन	128	51
°का समारम्भ	व्या 4	3
°के अधीन राष्ट्रमण्डल	प्रस्तावना	
°के भाग	व्या 9	5
°के अधीन निर्मित कानूनों का बंधनकारी प्रभाव	व्या 5	3
°का निष्पादन और पोषण	61	31
°के निर्वचन सम्बन्धी या उसके अधीन विवादास्पद विषयों में क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए	76 (i), 77	36
राज्य°। देखिए राज्य		
संवैधानिक शक्तियाँ		
राज्य तथा राष्ट्रमण्डल की°, °के सीमा के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से अपील	74	34
संशोधन		
सीनेट द्वारा विधेयकों का°, देखिए सीनेट	128	52
संविधान परिवर्तन के लिए विधेयक का°	57	29
संयुक्त बैठकों (उपवेशनों) में विधेयकों का°	58	30
महाराज्यपाल द्वारा संशोधन की सिफारिश		
धन-विधेयकों के संशोधन के लिए सीनेट		

विषय	धारा	पृष्ठ
द्वारा प्रार्थना	53	27
परिवर्तन भी देखिए		
वार्षिक विनियोजन विधेयक°—देखिए विनियोजन विधेयक		
संसद, राष्ट्रमण्डल की		
°का संघटन	1	6
राष्ट्रमंडल की विधानशक्ति° में निहित है	1	6
°का नाम	1	6
°का सत्रावसान	5	7
°सत्र और समय महाराज्यपाल द्वारा निश्चित होगा	5	7
°वार्षिक सत्र	6	7
°का आह्वान	5	7
°अस्थायी रूप से मेलबोर्न में बैठेगी	125	50
°सरकार की सीट पर बैठेगी जब निश्चित हो जाए	125	50
संसद सदन : प्रतिनिधि-सदन : विधान-शक्ति : सीनेट भी देखिए		
संसद समितियों		
की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, और प्रतिरक्षाएँ	49	20
संस्थापन		
राज्य के रूप में उपनिवेशों या भूक्षेत्रों का°	व्या 6	3
राष्ट्रमण्डल का°	व्या 6	3
राष्ट्रमण्डल के संस्थापन पर सीमाशुल्क और उत्पादनशुल्क का एकत्रण और नियंत्रण	86	39
अधिदान की भुगतान का नियंत्रण	86	39
सीमाशुल्क और उत्पादनशुल्क के विभाग अन्तरित	96	32
के दस वर्ष बाद सीमाशुल्क और उत्पादनशुल्क राजस्व की प्रयुक्ति	87	39

विषय	धारा	पृष्ठ
°के दस वर्ष बाद राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा सकती है	69	42
°के दो वर्ष बाद, एकसमान सीमाशुल्क	88	39
राज्यों के राष्ट्रमण्डल विभागों का°	64	31
संविधान का°	प्रस्तावना	
नए राज्यों का°	121	49
सत्र, संसद		
°के लिए महाराज्यपाल समय नियुक्त करेगा	5	7
°वार्षिक	6	7
सत्र के समय लगातार दो महीने की अनुपस्थिति से सदस्य का स्थान रिक्त होता है	20, 38	12, 17
सत्रावसान		
संसद का°	5	7
सदन, संसद		
की समितियाँ, शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाएँ	49, 50	20
°के लिए मताधिकार। देखिए मताधिकार, संघीय	51 (xxxix)	27
°की शक्तियों के प्रसंग में विधान-शक्ति	48	20
°सदस्यों के भत्ते	44, 45	19
°सदस्यों की अर्हताएँ		
°के सदस्यों को अनर्हित होने पर उपवेशन के लिए दण्ड	46	19
°के सदस्य अनर्हित होने पर रिक्तता	45	19
°के सदस्य की दूसरे सदन के लिए अपात्रता	43	18
राज्य-मन्त्रियों का° सदस्य होना	64	31
°के सदस्यों द्वारा निष्ठा की शपथ या प्रतिज्ञान	42	18
°की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाएँ	49, 50	20
°के निर्वाचन या अर्हता संबंधी प्रश्न	47	20
°में नए राज्यों का प्रतिनिधित्व	121	49
°को प्रभावी परिवर्तन में राज्यों का प्रतिनिधित्व	128	52

विषय	धारा	पृष्ठ
°में भूक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व	122	49
नियम और आदेश देने की° की शक्ति	50	20
सदनों में असहमति		
विधेयक पर°, उसके सम्बन्ध में कार्यवाही	57	29
°पर संविधान का प्रस्तावित परिवर्तन	128	52
सदस्य, अन्तर राज्य आयोग		
देखिए अन्तर राज्य आयोग		
सदस्य, प्रतिनिधि-सदन		
देखिए प्रतिनिधि-सदन		
सदस्य, संसद		
देखिए संसद सदन		
समर्पण, राज्य द्वारा		
भूक्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य संसद की शक्ति	111,123	47,49
°से प्राप्त विधान-शक्ति	122	49
समवर्ती (concurrent)		
राज्यों की° विधान शक्ति	107	46
राज्य कानूनों के अधीन° कानून-प्रवृत्तता	108	46
राज्यों की विधान-शक्ति भी देखिए		
समागम		
अन्तर राज्य° की स्वतंत्रता	92	41
समाप्ति, प्रतिनिधि-सदन की		
प्रथम उपवेशन से तीन वर्ष की समाप्ति पर°	28	14
°से छः महीने पहिले दोनों सदनों का विघटन नहीं होगा	57	29
°के बाद दस दिन के भीतर लेख निकालना	32	16
समुद्री क्षेत्राधिकार		
उच्च न्यायालय को दिया जा सकता है	76 (iii)	35
संघीय क्षेत्राधिकार भी देखिए		

विषय	धारा	पृष्ठ
सम्पत्ति		
अर्जन के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (xxxi)	24
राष्ट्रमंडल की° पर राज्य विना सम्मति के करारोपण नहीं करेंगे	114	48
राज्य° पर राष्ट्रमंडल करारोपण नहीं करेगा	114	48
राज्य,° अन्तरित विभागों के संबंध में प्रयुक्त	86 (i)	39
सरकार, भूक्षेत्रों की । देखिए भूक्षेत्र		
सरकार, राष्ट्रमंडल की		
शान्ति, व्यवस्था और अच्छी सरकार के लिए विधान-शक्ति	51,52	21,27
कार्यपालिका सरकार भी देखिए ।		
सहायता देखिए अधिदान		
सांख्यिकी		
°के संबंध में विधान-शक्ति	51 (xi)	22
जन-संख्या के लिए राष्ट्रमंडल की सांख्यिकी, निर्वाचक कोटा के संदर्भ में	24	13
राज्य ऋण लेने के लिए°	105	45
साख		
राष्ट्रमंडल की साख पर ऋण लेने की शक्ति	51 (iv)	21
°पर राजस्व । देखिए राजस्व		
सार्वजनिक ऋण, राज्य की । देखिए राज्य ऋण		
सिचाई		
के लिए जल के युक्ति युक्त उपयोग का अधिकार न्यून नहीं किया जाएगा	100	43
सिक्का-ढलाई		
°के संबंध में विधान-शक्ति	51(xii)	22
राज्यों में °निषिद्ध	115	48
चल अर्थ भी देखिए		

विषय	धारा	पृष्ठ
सिडनी		
में सरकार का स्थान 100 वर्ग मील से कम नहीं होगा	125	50
सीनेट		
°का संघटन	7	7
प्रतिनिधि-सदन के साथ° का विघटन	57	29
°विघटन के पश्चात् लेख निकालना	12	10
आवर्तन में निवृत्त होने के प्रयोजन के लिए श्रेणियों में सीनेटरों का विभाजन, °द्वारा	13	10
°के लिए निर्वाचक		
°की शक्ति, विनियोजन या करारोपक विधेयक नहीं प्रारंभ करना	53	27
°का संशोधन नहीं कर सकता	53	27
जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए कोई विधेयक या संशोधन नहीं पारित कर सकता	53	27
यदि संशोधन न कर सके तो संशोधन की सिपारिश कर सकता है	53	27
अन्य सब बातों में° की शक्ति प्रतिनिधि-सदन के बराबर है	53	27
°का अध्यक्ष। देखिए अध्यक्ष		
°में प्रश्नों पर निर्णय कैसे होता है	23	13
°की गणपूर्ति	22	13
°में प्रतिनिधित्व को प्रभावी संविधान परिवर्तन	128	52
°में व्यवस्था के लिए किसी राज्य की असफलता	11	10
°मौलिक राज्यों का प्रतिनिधित्व समान होगा	7	7
°में रिक्तता। देखिए रिक्तता, सीनेट में		
°में मतदान	23	13
,, ,, यदि मत संख्या बराबर हो तो निर्णय नकारात्मक	23	13

विषय	धारा	पृष्ठ
सीनेटर		
°की अर्हताएँ	44	19
°का विभाजन, दो श्रेणियों में	13	10
°के निर्वाचन पर राज्य कानून की प्रयुक्ति	10	10
°का समय और स्थान	9	9
°आकस्मिक रिक्तता पूर्ति के लिए	15	11
°के लिए लेख निकालना	12	10
°निर्वाचक। देखिए निर्वाचक		
°की प्रतिनिधि-सदन के सदस्य के रूप में अपात्रता	43	18
°निर्वाचन का तरीका-निर्धारण सम्बन्धी कानून	9	8
°का नाम राज्यपाल द्वारा प्रमाणित	7, 15	7 11
°संख्या प्रत्येक राज्य के लिए	7	7
°संख्या में बढ़ाव या घटाव	7, 14	7 11
°द्वारा निष्ठा की शपथ या प्रतिज्ञान	42	18
°की अर्हता	16	12
°का त्यागपत्र (स्तीफा)	19	12
°की, आवर्तन में; निवृत्ति	13, 14	10, 11
°की सेवा-अवधि	7, 13, 15	7, 10, 11
°का अवधि की समाप्ति पर स्थान रिक्त करना	13, 14	10 11
°के पहले ,,	15	11
°स्तीफे द्वारा ,,	16	12
°अनुपस्थिति द्वारा ,,	20	12
°अनर्हता द्वारा ,,	45	19
मत, प्रत्येक सीनेटर का एक मत होगा	23	13
सदन, संसद भी देखिए		
सीमा		
राष्ट्रमंडल की° के भीतर बने निगम	51 (xx)	22
°के बाहर आस्ट्रेलियाई समुद्रों में मछली पकड़ना	51 (x)	21
संवैधानिक शक्तियों की °के प्रश्न पर अपील	74	34
राज्य° का परिवर्तन	123, 128	49, 52

विषय	धारा	पृष्ठ
°के बाहर औद्योगिक विवाद	51 (xxxv)	24
°के बाहर राज्य बैंकिंग	51 (xiii)	22
°के बाहर राज्य बीमा	51 (xiv)	22
सीमाशुल्क		
°का एकत्रण और नियन्त्रण	86	39
अन्तर राज्य अन्तरण पर° का आकलन	93	41
आरोपित करों का ऐकान्तिक अधिकार	90	40
°का आरोपण। देखिए आरोपण		
केवल सीमाशुल्कों से व्यवहार करने वाले कानूनों का आरोपण	55	28
एकसमान शुल्कों के पश्चात् दो वर्ष के भीतर अन्तर राज्य अंतरण पर मालों पर सीमाशुल्क का दायित्व	92	41
°की प्रयुक्ति से निबल राजस्व	87	39
°की समाप्ति, करारोपक राज्य कानून	90	40
°का एकसमान आरोपण	88	39
पश्चिमी आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलियाई मालों पर पाँच वर्ष के लिए सीमाशुल्क आरोपित करने की शक्ति	95	42
°का समंजनशील मान के अनुसार प्रति वर्ष घटाव	95	42
°यदि उच्चतर हो तो आयात हुए मालों पर भारित होगा	95	42
सीमाशुल्क विभाग		
राष्ट्रमंडल को अन्तरित°	69	32
सुरक्षण		
चढ़ाई आदि के विरुद्ध राज्यों का°	119	48
सुरक्षा		
°के लिए रेलवे का नियंत्रण	51 (xxxii)	24
सुरक्षा बलों का मुख्य कमान महाराज्यपाल में निहित होगा	68	32

विषय	धारा	पृष्ठ
°बल का नियंत्रण	51 (vi)	21
संघीय संसद की संमति के बिना राज्य सुरक्षा बलों का वर्धन या पोषण नहीं करेंगे	114	48
°के सम्बन्ध में विधान-शक्ति	51 (vi)	21
आक्रमण या गृहहिंसा के विरुद्ध राज्यों की सुरक्षा	119	48
सुरक्षा विभागों का अन्तरण	69	32
सेवा		
°के लिए शुल्क आरोपण या विनियोजन कानून	53	27
चिकित्सा या दंत° के संबंध में विधान-शक्ति	51 (xxiiiA)	22
सामान्य वार्षिक° । देखिए विनियोजन विधेयक		
संसदीय° के लिए शुल्क या मानदेय लेने के लिए संसद-सदस्य का स्थान रिक्त करना	45 (iii)	19
पोस्ट, तार आदि° । देखिए पोस्ट		
स्थान		
राष्ट्रमंडल द्वारा अर्जित° के सम्बन्ध में निरपेक्ष विधान-शक्ति	52 (i)	27
कानून के विरुद्ध अपराधियों की जाँच के°	80	36
स्थान, सरकार का		
°का निश्चय संसद द्वारा	125	50
°के विषय में निरपेक्ष विधान-शक्ति	52 (i)	27
°के लिए भूक्षेत्र का अनुदान या अर्जन	125	50
संसद मेलबोर्न में बैठेगी जब तक यह °पर नहीं बैठती	125	50
°की स्थिति और क्षेत्र	125	50
स्थायी आदेश		
प्रत्येक संसद-सदन° बना सकता है	50	20
स्वतन्त्रता		
अन्तर राज्य व्यापार आदि की°	92	41
पच्छिमी आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध में अस्थायी उपबंध की°	95	42

विषय	धारा	पृष्ठ
साधारण निर्वाचन		
देखिए निर्वाचन		
स्वीकृति, राष्ट्रमंडल द्वारा		
अर्जित राज्यक्षेत्र की°	122	49
राज्य द्वारा समर्पित°	111, 122	47 49
हिंसा		
गृह° के विरुद्ध राज्यों का संरक्षण	119	48

शब्दावली

अंगीकार	adopt
अंतरिक्षशास्त्रीय	meteorological
अक्षमता	incapacity
अधिदान	bounty
अधिनियम	act
अधिन्यास	assignment
अधिसूचित	notified
अध्यक्ष	Speaker
अनुचित	undue
अनुज्ञा	permisson
अनुभावित	affected
अनुमति	assent
अनुमोदन	approval
अनुषक्ति	adherence
अनुसमर्थन	ratification
अनुसूची	schedule
अन्तःप्रवाह	influx
अन्तर राज्य आयोग	Inter State Commission
अन्तराक्षेप	intervène
अभिग्रहण	adoption
अभिदान	subscribe
अभिद्रोह	treason
अभिपुष्ट	affirmed
अभिभावी	prevail
अभिरक्षा	custody
अभिलेख	record
अभिवेदन	representation
अभिशस्त	convicted
अभ्यारोपण	indictment
अयुक्त	unreasonable
अर्जन	acquisition
अर्जित	acquired
अर्हता	qualification
अवचार	misbehaviour
अवधि	period
अविलेय	indissoluble
असंगत	inconsistent
आकाश-दीप	beacon
आज्ञापालन	obedience
आदान-प्रदान	intercourse
आदिवासी	aborigines
आदेय	chargeable
आदेश	order
आनुतोषिक	gratuity
आप्रवासन	immigration
आबकारी शुल्क	excise duty
आमुख	preamble
आयाधिक्य	surplus
आयोग	commission
आर्थिक	pecuniary
आवर्तन	rotation
आसुत	distilled

आस्तियाँ	possessions
आहूत करना	to summon
इष्टकर	expedient
उत्तराधिकारी	successor
उत्पादन शुल्क	excise duty
उत्प्रवासन	emigration
उद्घोषणा	proclamation
उधारण	borrowing
उपनिवेश	colony
उपबंध	provision
उपवेशन	sitting
एकसमान	uniform
ऐकान्तिक क्षेत्राधिकार	absolute jurisdiction
करारनामा	agreement
कार्यपालिका	executive
किण्वित	fermented
कृतिस्वाम्य	copyright
कोटा	quota
क्राउन	Crown
क्षतिपूरण	indemnification
खगोलीय	astronomical
चलअर्थ	currency
जन-साख	public credit
जहाजरानी	shipping
तामील	service
तारण	indemnification
दायाद	heir
दायित्व	liability
दिवालिया	bankrupt
धर्मस्व	endowment
नवीकरण	renewal
निगमित संस्था	incorporated company
निबल	net
नियोजित	employed
निरपेक्ष	absolute
निरसन	repeal
निरसित	repealed
निरीक्षण कानून	inspection laws
निर्णायक	casting
निर्दिष्ट	referred to
निर्योग्यता	disability
निर्वचन	interpretation
निर्वाचक	elector
निर्वाचन	election
निर्वाचक मंडल	Electorate College
निवृत्तिका	pension
निष्पादन	execution
नैयायिक कार्यवाही	judicial proceeding
नौ-अधिकरण	admiralty
नौपरिवहन	navigation
न्यायालय	judicature

यायाधिपति	justice
यायाधीश	judge
यायालय	court
यायिक शक्ति	judicial power
यून	abridge
ंगुता	invalid
रमश्रेष्ठ महि-मामयी महारानी	Queen's Most Excellent Majesty
परमाधिकार	Royal prerogative
परिकलन	calculation
परिकलित	calculated
परिव्यय	cost
परिषद्	council
पर्यालोचना	deliberation
पारिश्रमिक	remuneration
पुष्टिकरण	affirmation
पूर्वगत	preceding
पोषण	maintenance
प्रकाश-गृह	light house
प्रकाश-नौका	light ship
प्रक्रिया	procedure
प्रखण्ड	division
प्रतिकर	compensation
प्रतिग्रहण	acceptance
प्रतिधारित	retained
प्रतिनिधित्व	representation
प्रतिनियुक्त	deputy
प्रतिनिधि-सदन	House of Representative
प्रतिबंध	restriction
प्रतिरक्षा	immunity
प्रतिवेदन	report
प्रतिसंहृत	revoked
प्रत्यय	credit
प्रभावी	effective
प्रभुसत्ता	sovereignty
प्रयुक्ति	application
प्रवर्तन	operation
प्रवर्तनशील	operative
प्रवृत्त	in force
प्रशमन	couposition
प्राधिकार	authority
प्रामिसरी नोट	promissory note
प्रोद्भूत	accruing
प्लाव	bouys
बद्धता	conscription
बन्धनकारी	binding
बहुसंख्यक	more numerous
बैठक	meeting
भूक्षेत्र	territory
भूक्षेत्रातीत	extra-territorial

मतदान	voting
मध्यस्थ निर्णय	arbitration
मध्ये	on account of
महाराज्यपाल	Governor General
मातृत्वकालीन	maternity
मादक	intoxicating
मानदेय	honorarium
मान्यता	validity
राजस्व	revenue
राष्ट्रमंडल	Commonwealth
रिक्तता	vacancy
लॉर्ड, धर्म और लौक	Lords Spiritual and Temporal
लेख	writ
लोकन्यास	trust
लोक-सदन	Commons' House
लोक-सभासद	Commons
वयस्क मताधिकार	adult franchise
वाणिज्यदूत	consul
विमान परिवहन	air navigation
विखंडित	rescinded
विधान शक्ति	legislative power
विनिमय पत्र	bills of exchange
विनियम	regulation
विनियोजन	appropriation
विभेद	discrimination
विमोचन	redemption
विवादग्रस्त	disputed
विवेक	discretion
विशेषाधिकार	privilege
व्ययभार	charge
व्यावृत्ति	saving
शक्ति	power
शुल्क	fee
शोधन-निधि	sinking fund
शोधाक्षम	insolvent
संगठित	constituted
संगरोध	quarantine
संचित राजस्व निधि	Consolidated Revenue fund
संधि	treaty
संपरिवर्तन	conversion
संयुक्त राज	United Kingdom
संरक्षण	guardianship
संविधान	constitution
संविधि	statute

संविधीय	statutory
संशोधन	amendment
संसद	Parliament
सक्षमता	competence
सत्र	session
सत्रावसान	prorogation
सदन	House
सदस्य	member
समापवाह	effluxion
समारम्भ	commencement
समेकन	consolidation
समोपलब्धि	equal emolument
सलाहकार	counsellor
सांख्यिकी	statistics
सीनेट	Senate
सीनेटर	senator
सीमाशुल्क	custom duty
स्थिरता	continuance
स्वायत्त शासित	self-governing
हकदार	entitled

GLOSSARY

abridge	न्यून	assent	अनुमति
absolute	निरपेक्ष	assignment	अधिन्यास
absolute jurisdiction	ऐकान्तिक क्षेत्राधिकार	astronomical	खगोलीय
acceptance	प्रतिग्रहण	authority	प्राधिकार
accruing	प्रोद्भूत	bankrupt	दिवालिया
acquired	अर्जित	beacon	आकाश-दीप
acquisition	अर्जन	bills of exchange	विनिमय-पत्र
act	अधिनियम	binding	बन्धनकारी
adherence	अनुषक्ति	borrowing	उधारण
admiralty	नौ-अधिकरण	bounty	अधिदान
adopt	अंगीकार	bouys	प्लाव
adoption	अभिग्रहण	calculation	परिकलन
adult franchise	वयस्क मताधिकार	casting	निर्णायक
		charge	व्ययभार
affected	अनुभावित	chargeable	आदेय
affirmation	पुष्टिकरण	colony	उपनिवेश
affirmed	अभिपुष्ट	compensation	प्रतिकर
agreement	करारनामा		
air navigation	विमान परिवहन	competence	सक्षमता
		commencement	समारम्भ
amendment	संशोधन		
application	प्रयुक्ति	commission	आयोग
appropriation	विनियोजन	Commons	लोक सभासद
approval	अनुमोदन	Common's House	लोक सदन
arbitration	मध्यस्थ निर्णय	Commonwealth	राष्ट्रमंडल

conscription	बद्धता
counsellor	सलाहकार
conservation	संरक्षण
Consolidated Revenue fund	संचित राजस्व निधि
consolidation	समेकन
constituted	संगठित
constitution	संविधान
consul	वाणिज्यदूत
continuance	स्थिरता
conversion	संपरिवर्तन
convicted	अभिशस्त
copyright	कृतिस्वाम्य
cost	परिव्यय
council	परिषद्
couposition	प्रशमन
court	न्यायालय
credit	प्रत्यय
Crown	क्राउन
currency	चल-अर्थ
custody	अभिरक्षा
custom duty	सीमा शुल्क
deliberation	पर्यालोचना
disputed	विवादग्रस्त
disability	निर्योग्यता
discretion	विवेक
discrimination	विभेद
distilled	आसुत
division	प्रखंड
effluxion	समापवाह
election	निर्वाचन
elector	निर्वाचक
electorate college	निर्वाचक मंडल
emigration	उत्प्रवासन
employed	नियोजित
endowment	धर्मस्व
entitled	हकदार
equal emolument	समोपलब्धि
excise duty	आबकारी शुल्क, उत्पादन शुल्क
execution	निष्पादन
executive	कार्यपालिका
expedient	इष्टकर
extra-territorial	भूक्षेत्रातीत
fee, duty	शुल्क
gratuity	आनुतोषिक
Governor General	महाराज्यपाल
guardianship	संरक्षण
heir	दायाद
honorarium	मानेदय
House	सदन
House of Representatives	प्रतिनिधि-सदन
immigration	आप्रवासन

immunity	प्रतिरक्षा
incapacity	अक्षमता
inconsistent	असंगत
incorporated company	निगमित संस्था
indemnification	तारण, क्षतिपूरण
indictment	अभ्यारोपण
indissoluble	अविलेय
influx	अन्तःप्रवाह
in force	प्रवृत्त
insolvent	शोधाक्षम
inspection laws	निरीक्षण कानून
intercourse	आदान-प्रदान
interpretation	निर्वचन
Inter State Commission	अन्तर राज्य आयोग
intervene	अन्तराक्षेप
intoxicating	मादक
invalid	पंगुता
judicial proceeding	न्यायिक कार्यवाही
judicature	न्यायमंडल
judicial power	न्यायिक शक्ति
justice	न्यायाधिपति
legislative power	विधान-शक्ति
liability	दायित्व
light-house	प्रकाश-गृह
lightship	प्रकाश-नौका
Lords Spiritual and Temporal	लॉर्ड, धर्म और लौक
maintenance	पोषण
maternity	मातृत्वकालीन
meeting	बैठक
member	सदस्य
meteorological observation	अंतरिक्ष शास्त्रीय प्रेक्षण
mibehaviour	अवचार
more numerous	बहुसंख्यक
navigation	नौपरिवहन
net	निबल
notified	अधिसूचित
obedience	आज्ञापालन
on account of	मध्ये
operation	प्रवर्तन
operative	प्रवर्तनशील
order	आदेश
Parliament	संसद
permission	अनुज्ञा
possession	आस्ति
power	शक्ति
preamble	आमुख

preceding	पूर्वगत
prevail	अभिभावी
privilege	विशेषाधिकार
procedure	प्रक्रिया
proclamation	उद्घोषणा
promissory notes	प्रामिसरी नोट
prorogation	सत्रावसान
provision	उपबन्ध
public credit	जन-साख
qualification	अर्हता
quarantine	संगरोध
Queen's Most Excellent Majesty	परमश्रेष्ठ महिमामयी महारानी
quota	कोटा
ratification	अनुसमर्थन
record	अभिलेख
redemption	विमोचन
referred to	निर्दिष्ट
regulation	विनियम
remuneration	पारिश्रमिक
renewal	नवीकरण
repeal	निरसन
repealed	निरसित
report	प्रतिवेदन
representation	प्रतिनिधित्व, अभिवेदन
representative	प्रतिनिधि
restriction	प्रतिबन्ध
retained	प्रतिधारित
revenue	राजस्व
revoked	प्रतिसंहृत
rotation	आवर्तन
Royal prerogative	परमाधिकार
saving	व्यावृत्ति
schedule	अनुसूची
self-governing	स्वायत्त शासित
Senate	सीनेट
senator	सीनेटर
service	तामील, सेवा
session	सत्र
shipping	जहाजरानी
sinking fund	शोधन-निधि
sitting	उपवेशन
sovereignty	प्रभुसत्ता
Speaker	अध्यक्ष
statistics	सांख्यिकी
statute	संविधि
statutory	संविधीय
subscribe	अभिदान
successor	उत्तराधिकारी
surplus	आयाधिक्य
summon	आहूत करना
territory	भू-क्षेत्र

treason	अभिद्रोह	unreasona-ble	अयुक्त
treaty	संधि	vacancy	रिक्तता
trust	न्यास	validity	मान्यता
undue	अनुचित	voting	मतदान
uniform	एकसमान	writ	लेख
United Kingdom	संयुक्त राज		

———